मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्‍वासनों संबंधी समिति

का

तृतीय प्रतिवेदन

(जुलाई, 2011 सत्र, भाग —2)

(यह प्रतिवेदन में योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन, जेल, गृह , सामान्य प्रशासन, आयुष, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नगरीय विकास एवं आवास, औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा जनजातीय कार्य विभाग के आश्‍वासनों से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	एक
2.	प्रस्तावना	दो
3.	प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची	तीन
4.	विभागों के नाम:-	
	(1) योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	01
	(2) वाणिज्यिक कर	03
	(3) सामाजिक न्याय एवं नि: शक्तजन कल्याण	06
	(4) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	07
	(5) परिवहन	19
	(6) जेल	20
	(7) गृह	22
	(8) सामान्य प्रशासन	38
	(9) आयुष	43
	(10) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	44
	(11) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	61
	(12) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	62
	(13) राजस्व	73
	(14) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	91

	(15) नगरीय विकास एवं आवास	95
	(16) औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	109
	(17) लोक निर्माण	113
	(18) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	126
	(19) जनजातीय कार्य	132
5.	परिशिष्ट – " क " (आश्वासन क्रं 327 से संबंधित)	136
6.	परिशिष्ट – " ख " (आश्वासन क्रं 330 से संबंधित)	137
7.	परिशिष्ट – " ग " (आश्वासन क्रं 369 से संबंधित)	138

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024-25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर राजपाल	. .	तकनीकी संचालक .
5.	श्री नरेन्द्र मिश्रा	. .	अवर सचिव
6.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री रवीन्द्र चिकटे	. .	सहायक ग्रेड-2
8.	श्री अभिनव शर्मा	. .	सहायक ग्रेड-3.

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **तृतीय प्रतिवेदन (भाग-2)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 16 अगस्त , 2024 को गठित की गई है।

- इस प्रतिवेदन में, **जुलाई 2011 सत्र (भाग-2)** में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है।

- समिति की बैठक **दिनांक 17.12.2024** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

- समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

- समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

स्थान : भोपाल

दिनांक : 17.12.2024

हरिशंकर खटीक

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	03, 04, 05, 06, 07, 08
2.	वाणिज्यिक कर विभाग	09, 10, 11, 12
3.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	13
4.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43
5.	परिवहन विभाग	44
6.	जेल विभाग	45, 46
7.	गृह विभाग	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
8.	समान्य प्रशासन विभाग	81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
9.	आयुष विभाग	94, 95, 109

10.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183
11.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	198
12.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
13.	राजस्व विभाग	227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
14.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	226, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283

15.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	118, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
16.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333
17.	लोक निर्माण विभाग	341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
18.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387
19.	जनजातीय कार्य विभाग	412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419

जुलाई, 2011 सत्र
(1) योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	03	ता.प्र.सं. 01 (क्र. 120) दि. 11.07.2011	(1) भिण्ड जिले के माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित स्वैच्छा अनुदान के प्रस्तावों पर कार्यवाही न करने से राशि लैप्स होने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही । (2) माननीय विधायकों को दी जाने वाली स्वेच्छानुदान की राशि एक सप्ताह के अंदर रिलीज किये जाने के निर्देश जारी किये जाना तथा मा. विधायक द्वारा प्रस्ताव न भेजे जाने पर राशि लेप्स न कर उसका आने वाले सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान किया जाना । (3) मा. विधायकों द्वारा दी जाने वाली स्वेच्छानुदान की राशि के दो हजार रूपये के बेयरर चेक विधायक द्वारा प्रमाणित करने के बाद संबंधित को दिये जाने की कार्यवाही।	(1) जांच रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्यवाही की जायेगी । (2) इसमें किसी तरह का विलंब न हो उसके लिये व्यवस्था बन रही है और वैसी ही व्यवस्था कर दी जाएगी । राशि अगर मा. विधायक जी की गलती भी होगी या उन्होने प्रस्ताव न भेजे होंगे तो छोड़ दें अन्यथा उनकी राशि लेप्स नहीं होने दी जायेगी उसका आने वाले सप्लीमेन्ट्री बजट में उसका प्रावधान कर दिया जाएगा । (3) अब मैं निश्चित रूप से उसका परीक्षण करवाऊंगा ।	(1) लेप्स राशि पुर्नावंटन रू. 39000 दिनांक 15.02.11 को जारी कर दिया गया है । राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया गया है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (2) समस्त कलेक्टर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3942/2011/ 23/योआसां/17/पी.आई.डी./वि.नि./25.07.2011 द्वारा स्वेच्छानुदान की राशि संबंधित हितग्राहियों को अधिकतम 7 दिवस के अवधि में भुगतान करने के निर्देश जारी किये गये । (3) कार्यवाही की जा रही है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-50/2011/23/यो.आ.सां., दिनांक 29.09.2012	कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने की शर्त पर समिति प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा करती है।
2.	04	परि.ता.प्र.सं. 28 (क्र. 149) दि. 11.07.2011	बालाघाट जिले के बैहर में बेहरा भाटा प्रतीक्षालय का निर्माण का कार्य पूर्ण न किये जाने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है ।	विधान सभा निवार्चन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 108 बैहर के अंतर्गत ग्राम बेहराभाटा में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण हेतु राशि रू. 1.33 लाख स्वीकृत की गई थी। उक्त स्वीकृत राशि से कार्य पूर्ण करा लिया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-97/2011/23/यो.आ.सां., दिनांक 16.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	05	परि.ता.प्र.सं. 81 (क्र. 1521) दि. 18.07.2011	रायसेन जिले में जनभागीदारी योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से गत पांच वित्तीय वर्षों में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन।	भौतिक सत्यापन की जानकारी प्राप्त की जा रही है।	रायसेन जिले में जनभागीदारी योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से गत पांच वित्तीय वर्षों में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन अधिकारियों द्वारा कराया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-65/2012/23/यो.आ.सां., दिनांक 23.05.2012	कोई टिप्पणी नहीं
4.	06	अता.प्र.सं. 63 (क्र. 1518) दि. 18.07.2011	प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जनसंपर्क निधि से राघौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सेमराचांच में भजन कीर्तन मण्डली एवं सेमराचांच में वाद्ययंत्र क्रय हेतु उपलब्ध कराई गई राशि लैप्स होने की जांच।	जांच कर कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर गुना के आवंटन आदेश क्र. लेखा/6-17/2011-12/2/ 58, दिनांक 19.11.2011 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवंटित की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरोन द्वारा चेक क्र. 524589, दिनांक 22.09.2011 से राशि रूपये 5000/- का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-61/2011/23/यो.आ.सां., दिनांक 28.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
5.	07	अता.प्र.सं. 78 (क्र. 1579) दि. 18.07.2011	जिला सांख्यिकी अधिकारियों को आहरण संवितरण के अधिकार प्रदान करने पर कार्यवाही।	प्रशासनिक एवं आहरण संवितरण के अधिकार सौंपे जाने की कार्यवाही की जावेगी।	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्र. 1878/2011/23/यो.आ.सां. दिनांक 12.10.11 द्वारा ऐसे जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में जहां जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं जिला योजना अधिकारी दोनों ही पद रिक्त है वहां पदस्थ वरिष्ठ सहायक सांख्यिकी अधिकारी (समयमान वेतनमान में रूपये 8000-275-13,500 का वेतनमान प्राप्त कर रहे है) को जिला सांख्यिकी अधिकारी का प्रभार समय-समय पर सौंपा जाता है। राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभारी जिला सांख्यिकी अधिकारियों को संबंधित जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक के लिए प्रत्यायोजित किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-63/2011/23/यो.आ.सां., दिनांक 21.03.2012	कोई टिप्पणी नहीं
6.	08	अता.प्र.सं. 82 (क्र. 1590) दि. 18.007.2011	लहार एवं रौन विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई गई विधायक निधि लैप्स होने पर पुन: स्वीकृत की जाना।	वर्ष 2011-12 में अनुपूरक बजट में प्रावधान हेतु प्रस्तावित किया जावेगा।	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विधानसभा लहार के विकासखण्ड रौन में स्वीकृत कार्यों की राशि 8.50 लाख बैंक से चेकों का क्लीयन्स न होने के कारण उपरोक्त राशि लेप्स हो गई थी जो वर्ष 2011-12 में लेप्स राशि का पुर्नवांटन उपलब्ध कराने के परिणाम स्वरूप राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन को दिनांक 05.11.2011 को जारी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-60/2012/23/यो.आ.सां., दिनांक 28.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(2) वाणिज्यिक कर विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	09	परि.ता.प्र.सं. 28 (क्र. 597) दि. 18.07.2011	3 फरवरी को सरदारपुर में शराब के जप्त ट्रक को राजसात किया जाकर ट्रक मालिक के विरूद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही जारी है। प्रकरण में अभी अनुसंधान/जांच की कार्यवाही जारी है।	न्यायालय कलेक्टर, जिला धार के प्रकरण क्रमांक 21/2010-11/आबकारी, जिला धार में पारित आदेश दिनांक 13.01.2012 अनुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 47 क (3) (ख) के अंतर्गत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने हेतु प्रकरण में आरोपी अज्ञात होने से जप्त वाहन क्रमांक GJ-10 V-5944 के वाहन स्वामी को जानकारी प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी पुलिस थाना सरदारपुर को न्यायालयीन पत्र क्रमांक 161 दिनांक 18.03.2011 से निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी, सरदारपुर द्वारा अवगत कराया गया कि आर.टी.ओ. जामनगर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त जप्त वाहन (ट्रक) मारूति मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रायवेट लिमिटेड, श्रीजी शापिंग सेंटर सिक्का पातिया, जिला जामनगर गुजरात के नाम दर्ज है। प्रस्तुत जानकारी पर प्रकरण में अनावेदक वाहन स्वामी को सूचना पत्र जारी किया गया। थाना प्रभारी, पुलिस थाना, सरदारपुर ने पत्र क्रमांक 1044 दिनांक 22.06.2011 द्वारा अवगत कराया कि वाहन स्वामी को सूचना पत्र तामील कराने हेतु गये आरक्षक द्वारा प्रस्तुत पंचनामा अनुसार उक्त ट्रांसपोर्ट कंपनी विगत पांच वर्षों से वहां पर नहीं होने से सूचना पत्र तामील नहीं हो सका। प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक GJ-10 V-5944 ट्रक के स्वामी का पता ज्ञात नहीं होने से वाहन (ट्रक) स्वामी के लिए जाहिर सूचना का प्रकरण दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 28.12.2011 को किसी के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 13.01.12 को जारी आदेश में कलेक्टर न्यायालय, जिला धार द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित-2000) की धारा 47 क (2) के अंतर्गत थाना सरदारपुर द्वारा अवैध रूप से परिवहित की जा रही विभिन्न	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग मा. न्यायालय के निर्णयानुसार दोषियों पर कार्यवाही करेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					ब्राण्ड्स की विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की कुल 1920 बोतल एवं हेवर्डस् 5000 (500 एम.एल.कैन) बीयर की 468 बोतल कुल मात्रा 1674.0 बल्क लीटर (जप्ती पंचनामा अनुसार) एवं परिवहन के उपयोग में लाये जा रहे वाहन क्रमांक GJ-10 V-5944 को मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में राजसात किया गया है। उक्त जप्त वाहन (ट्रक) क्रमांक GJ-10 V-5944 एवं जप्त शराब को न्यायालय कलेक्टर, जिला धार के उपरोक्त आदेश पृ.क्रमांक 66/रीडर-1/2012, दिनांक 13.01.2012 द्वारा राजसात किया जाकर उक्त वाहन को कलेक्टर जिला धार द्वारा रूपये 3,25,000/- में दिनांक 19.03.2013 को नीलाम किया जाकर नीलाम राशि शासन के राजस्व लेखे में जमा कराई जा चुकी है। थाना प्रभारी, पुलिस थाना सरदारपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 19.6.2014 अनुसार अपराध क्रमांक 43/11 धारा 34(2), 36 आबकारी एक्ट में विवेचना जारी रखते हुए प्रकरण में पश्चात्वर्ती अनुसंधान में आरोपी वाहन स्वामी के रूप में अनिल पिता मथुरा प्रसाद नागपाल, निवासी अहमदाबाद को चिन्हित करते हुए अभियोग पत्र क्रमांक 38/12 दिनांक 10.02.2012, फौजदारी मुकदमा नंबर 290/14.2.2012 समक्ष दाण्डिक न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2599/1462/2011/2/पांच, दिनांक 17.10.2014	
8.	10	अता.प्र.सं. 18 (क्र. 599) दि. 18.07.2011	सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड पीथमपुर जिला धार के फैक्ट्री मालिक, मैनेजर तथा वाहन मालिक के विरूद्ध अवैध रूप से शराब निर्यात किये जाने के दर्ज अपराधिक प्रकरण पर कार्यवाही।	प्रकरण में अभी विवेचना जारी है।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मानपुर के अप.क्र. 144/10 धारा 34(1)क (2) आबकारी अधिनियम एवं 120-बी भादवि के प्रकरण में वाहन का चालक आरोपी भारत सिंह पिता बाबूसिंह निवासी घाटा बिल्लोद, बेटमा, जिला इंदौर एवं सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड पीथमपुर, जिला धार की फैक्ट्री के सहायक मैनेजर अहमद कुरैशी पिता मो.अजीम निवासी 110 सेक्टर, 1 पीथमपुर जिला धार को गिरफ्तार किया जाकर अभियोग पत्र मान. न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 15-77/2011/2/पांच, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	11	अता.प्र.सं. 22 (क्र. 695) दि. 18.07.2011	राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से चर्चा कर डोडा चूरा नीति का निर्धारण किया जाना।	जी हां।	वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित पॉपीस्ट्रा नीति के अनुसार ही वर्ष 2011-12 हेतु पॉपीस्ट्रा नीति, मंत्री-मण्डल द्वारा स्वीकृत की गई है, तद्नुसार वर्ष 2;012-13 के लिये पी.एस.-2 एवं पी.एस.-3 लायसेंसों का निष्पादन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से चर्चा कर "डोडा चूरा की नीति के निर्धारण किये जाने के आश्वासन" के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 30 नवम्बर, 2011 द्वारा नीति विषयक यथोचित अनुशंसा करने के लिये समिति गठित की गई है। समिति की अनुशंसा के अनुसार इस विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-15-71/2011/2/पांच, दिनांक 14.03.2012	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि सा.प्र.वि. द्वारा गठित निती विषयक यथोचित अनुशंसा करने के लिये समिति की अनुशंसा अनुसार विभाग अग्रिम कार्यवाही करेगा।
10.	12	अता.प्र.सं. 37 (क्र. 1136) दि. 18.07.2011	(1) टीकमगढ़, खरगौन व बड़वानी में शासनादेशों के तहत मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग में चतुर्थ श्रेणी को समयमान एवं एरियर का लाभ दिया जाना। (2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड 3 पर पदोन्नति की कार्यवाही।	(1) समयमान एवं एरियर देने की कार्यवाही की जा रही है। (2) पदोन्नति हेतु कार्यवाही की जा रही है।	(1) टीकमगढ़ में जिला पंजीयक के आदेश दिनांक 02.7.11 द्वारा खरगोन में जिला पंजीयक के आदेश दिनांक 11.7.11 व बडवानी में जिला पंजीयक के आदेश दिनांक 20.7.11 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान एवं एरियर का लाभ स्वीकृत किया गया है। (2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 5.11.11, 9.11.11, 26.11.11 एवं 7.1.12 को जारी किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-15-68/2011/2/पांच, दिनांक 18.01.2012	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(3) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	13	परि.ता.प्र.सं. 04 (क्र. 179) दि. 18.07.2011	जनपद पंचायत पन्ना एवं अजयगढ़ में वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के प्रकरणों का निराकरण।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	जनपद पंचायत पन्ना एवं अजयगढ़ में वृद्धावस्था योजना के 81 प्रकरणों तथा विधवा पेंशन योजना के 16 प्रकरणों के स्वीकृति क्रमश: आदेश क्र.1799 दिनांक 20.7.11 तथा क्र. 1792 दिनांक 20.7.11 को पेंशन स्वीकृत कर माह अगस्त 2011 में पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-137/2011/26/2, दिनांक 06.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(4) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	14	परि.ता.प्र.सं. 07 (क्र. 265) दि. 18.07.2011	अध्यक्ष जिला पंचायत कटनी द्वारा वाटर शेड योजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय समितियों द्वारा कराये गये कार्यों की जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही प्रगति पर है।	अध्यक्ष जिल पंचायत कटनी द्वारा वाटरशेंड कार्यो की गुणवत्ता एवं मात्रा का मूल्यांकन कराये जाने के निर्देश के परिपालन में जिला पंचायत द्वारा आदेश क्रमांक 21238/आई.डब्ल्यू.एम.पी./जिप./2011 दिनांक 13.02.2011 द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर आई.डब्ल्यू.एम.पी.-2 मिली वाटरशेड उमरिया विकास खण्ड बडवारा की तीन वाटरशेड समितियों, ग्राम पठना, ग्राम बडागांव एवं ग्राम बडवाराखुर्द (बठरवारा) द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता एवं मात्रा का मुल्यांकन कराया गया। तीप सदस्यीय समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में तीनों वाटरशेड समितियों द्वारा कराये गयें कार्य, परियोजना अंतर्गत कार्यो के लियें जारी प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति एवं माप पुस्तिका में दर्ज मूल्यांकन के अनुरूप मौके पर पाया गया जो, गुणवत्ता पूर्ण है। योजनांतर्गत वृक्षारोपण के कार्य भी कराये गये है। ततसमय सूखे की स्थिति एवं पशुओं द्वारा नष्ट कर दिये जाने के कारण पौधो की संख्या कम है। मिली वाटरशेड उमरिया विकास खण्ड बडवारा में आई.डब्ल्यू.एम.वी. 2 अंतर्गत कराये गये कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा संतोषजनक है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6550/22/वि-10/ग्रायांसे, दिनांक 17.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	15	परि.ता.प्र.सं. 10 (क्र. 305) दि. 18.07.2011	रतलाम ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण किया जाना।	मार्च, 2012 तक पूर्ण होने की संभावना है।	ठेकेदार को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। वर्ष 2010-11 में स्वीकृत सभी 11 कार्य पूर्ण हो चुके है तथा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 7 कार्यों में से 04 कार्य पूर्ण हो चुके है। शेष 03 कार्य अक्टूबर 2014 तक पूर्ण करा लिया जावेगें। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6550/22/वि-10/ग्रायांसे, दिनांक 17.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं
14.	16	ता.प्र.सं. 08 (क्र. 92) दि. 11.07.2011	एस.डी.एम. पन्ना द्वारा श्री डी.के. नागेन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत रानीगंज पुरवा एवं ग्राम पंचायत रजोपुरा में वर्ष 2008-09 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये कार्यों के संबंध में दिये गये जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण सेवा, पन्ना से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 1876 दिनांक 28.06.2012 के अनुसार 1. स्टापडेम कम रपटा निर्माण रजोरपुरा कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद है। 2. पुलिया निर्माण रानीगंजपुरवा का कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद है। चूंकि कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद है, अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 9192/MGNREUS-MP/NR-11/वि.स./2012, दिनांक 26.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
15.	17	ता.प्र.सं. 15 (क्र. 157) दि. 11.07.2011	सांची विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत पंचायत भवनों का निर्माण।	स्वीकृति प्राप्त होने पर वर्क आर्डर के उपरांत 1 वर्ष में भवनों को पूर्ण कराया जा सकेगा।	सांची विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इस कार्यालय को 13 ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत हुये थे। जिसमें से 11 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने के कारण निरस्त हेतु जिला पंचायत रायसेन को समर्पित किये गये। कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.से. संभाग रायसेन के पत्र दि. 05.05.2015 द्वारा शेष 02 ग्राम पंचायत भवन परवरिया एवं पीपलखिरिया का सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है, विद्युतीकरण कार्य शेष है। शेष विद्युतीकरण कार्य माह जून 2015 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-113/2011/22/पं-1, दिनांक 16.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	18	ता.प्र.सं. 20 (क्र. 13) दि. 11.07.2011	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जनपद क्षेत्र भितवार एवं घाटेगांव मैदानी अधिकारी/ कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति ।	रिक्त पदों की पूर्ति पदस्थापना उपरांत की जावेगी ।	जनपद पंचायत भीतरवार में दिनांक 28.7.2012 को एक उपयंत्री की पदस्थापना कर दी गई है । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वर्तमान में उपयंत्री के लगभग 30 प्रतिशत पद रिक्त है, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है, व्यापम से चयनित उपयंत्री की सूची प्राप्त हो चुकी है, जनपद पंचायत घाटीगांव (बरई) में दिनांक 01.04.2013 को श्री रामलखन बैरवा नवनियुक्त उपयंत्री की पदस्थापना कर दी गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-115/2011/22/पं-1, दिनांक 26.06.2013	कोई टिप्पणी नहीं
17.	19	परि.ता.प्र.सं. 13 (क्र. 61) दि. 11.07.2011	भोपाल संभाग की जिला पंचायतों में आडिटर की नियुक्ति में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही ।	जांच प्रचलित है ।	आश्वासन के परिपालन में कलेक्टर विदिशा द्वारा जांच प्रतिवेदन पत्र क्र. 7792/लेखा/जिप/दि. 29.07.11 से प्राप्त शिकायत में वर्णित तथ्यों की पुष्टि न होना प्रतिवेदित किया गया है । उक्त प्रतिवेदन की आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा भी पुष्टि की गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 15-320/22/वि-8/यानिट/2013, दिनांक 23.12.2014	कोई टिप्पणी नहीं
18.	20	परि.ता.प्र.सं. 27 (क्र. 142) दि. 11.07.2011	भोपाल संभाग की जनपद पंचायतों में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ दिया जाना ।	वित्तीय वर्ष तक पूर्ण किया जावेगा।	भोपाल संभाग की जनपद पंचायतों में मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 131 हितग्राहियों को लाभान्वित करने की लक्ष्य पूर्ति पूर्ण कर ली गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8930/22/वि-7/ग्रा.आ./वि.स./2012, दिनांक 05.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
19.	21	ता.प्र.सं.12 (क्र. 51) दि. 11.07.2011	जिला पंचायत जिला बैतूल द्वारा नियुक्त किये गये परियोजना अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य की शिकायत पर कार्यवाही ।	जांच की कार्यवाही जारी है ।	विचाराधीन शिकायत की जांच आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा तीन सदस्यी जांच दल का गठन किया जाकर कराई जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पाई गई हैं । आश्वासन पर कार्यवाही पूर्ण की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 30672/22/वि-9/RUM/2014 दिनांक 10.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	22	अता.प्र.सं. 23 (क्र. 97) दि. 11.07.2011	भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमरी के पूर्व सरपंचों से राशि की वसूली।	राजेन्द्र सिंह से शेष राशि रू. 1,15,475 की वसूली एवं श्री अशोक सिंह से संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत उमरी के पूर्व सरपंच श्री राजेन्द्र सिंह व अशोक सिंह से बकाया राशि वसूली प्रकरण प्रचलित है अभी राशि वसूल नहीं हुयी है। वसूली की कार्यवाही जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 303/22/वि-7/ग्रा.आ/वि.स./2011, दिनांक 09.01.2012 <u>अद्यतन जानकारी</u> :- 01 ग्राम पंचायत उमरी के पूर्व सरपंच श्री राजेन्द्र सिंह से शेष राशि रू. 1,15,475/- की वसूली का प्रकरण क्रमांक 17/97-98/अ.89(19) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड में दर्ज है। जिसमें रूपये 75000/- की वसूली की जा चुकी है। शेष राशि की वसूली की कार्यवाही हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 02 ग्राम पंचायत उमरी के पूर्व सरपंच अशोक सिंह पर पंचायत की बकाया राशि रूपये 8,73,280/- की वसूली हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रकरण क्र. 32/10अ-89 अ-19 में दर्ज किया जाकर रूपये 13000/- की वसूली की गई है। शेष राशि की वसूली की कार्यवाही हेतु गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उक्त न्यायालयीन प्रवृत्ति का है शेष वसूली न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2964/22/वि-7/ग्रा.आ/वि.स./2013, दिनांक 25.03.2014	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि मा. न्यायालय के निर्णयानुसार शेष राशि की वसूली करेगा।
21.	23	अता.प्र.सं. 25 (क्र. 101) दि. 11.07.2011	जिला बड़वानी के विकासखण्ड पानसेमल के ग्राम बालझिरी से भेदराणा तक सड़क निर्माण हेतु निकाली गई राशि से सड़क निर्माण न करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलन में है।	अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल इंदौर के पत्र क्र. 1334 दिनांक 06.06.15 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बड़वानी के विकासखण्ड पानसेमल के ग्राम बालझिरी में मेदराणा तक सड़क हेतु आहरित की गई राशि से सड़क निर्माण न करने के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कलेक्टर जिला बड़वानी के द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3412/22/वि-10/ग्रायांसे/15, दिनांक 23.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	24	अता.प्र.सं. 38 (क्र. 144) दि. 11.07.2011	राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा में निर्माण कार्य में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	एक शिकायत की जांच गतिशील है।	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़, जिला गुना द्वारा उनके पत्र क्र. 3187/स्था./2011 राघौगढ़, दिनांक 24.11.2011 द्वारा सूचित किया गया कि श्री अरूण कुमार शिवहरे, उपयंत्री दिनांक 30.08.2006 से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, संजय सागर शीर्ष कार्य उपसंभाग-1 राघौगढ़ में पदस्थ थे, तथा इनके नाम ठेकेदारी हेतु कोई पंजीयन नहीं है। कार्यपालन यंत्री के पत्र से स्पष्ट है कि श्री ए.के. शिवहरे इनके अधीन उपयंत्री है, एवं उनके नाम पर ठेकेदारी का पंजीयन नहीं है। अत: शिकायत निराधार है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8275/22/वि-12/आ.प्र./2014, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
23.	25	अता.प्र.सं. 41 (क्र. 151) दि. 11.07.2011	जनपद पंचायत के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप पेंशन व अन्य सुविधाएं दी जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	जनपद पंचायत के कर्मचारियों को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-24/2009/22/पं.-1, दिनांक 11.6.12 को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने हेतु आदेश जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10/114/2011/22/पं.1, दिनांक 18.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
24.	26	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 333) दि. 19.07.2011	(1) वर्ष 2007-08 में जिला सीधी में मनरेगा योजना तहत जेटोफा प्लांटेशन में प्राप्त शिकायतों की जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही। (2) सीधी जिले में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जेटोफा प्लांटेशन में की गई अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये सीधी के तत्कालीन कलेक्टर श्री सुखवीर सिंह एवं तत्कालीन सी.ई.ओ. श्री बोरकर के विरूद्ध कार्यवाही। (3) सीधी जिले में जोटोफा के प्लांटेशन में की गई अनियमितता की तीनों जांच रिपोर्ट को समेकित कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर उस पर कार्यवाही की	(1) शासकीय धनराशि में वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण संबंधितों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (2) हमने सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है कि ऐसे अधिकारी जो हमारी जांच में दोषी पाये गये है उनके विरूद्ध वे शीघ्रतीशीघ्र वे कार्यवाही करे और कार्यवाही भी समय सीमा में सुनिश्चित करवाएगें। (3) जो कुछ भी अनियमितता हुई है वो सारी की सारी अनियमितताएं तीनों जांच रिपोर्ट में आ चुकी है उनको समेकित करके जी.ए.डी. के लिए प्रेषित कर दिया है और मुझे जहां तक विश्वास है कि जी.ए.डी. जल्दी से जल्दी इस पर एकशन ले लेगा में मुख्यमंत्री जी से निवेदन	प्रकरण में वित्तीय हानि नहीं हुई है। प्रक्रियात्मक त्रुटियों के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की गई :- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. डी/2/22/2008/6/एक दिनांक 01.06.2012 के द्वारा श्री बी.चन्द्रशेखर बोरकर को भविष्य में प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु सचेत करने हुए प्रकरण सामप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. डी-2/22/2008/6/एक दिनांक 01.06.2012 द्वारा श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे कलेक्टर सीधी से माँगे गये स्पष्टीकरण के उत्तर पर राज्य शासन ने श्री सुखवीर सिंह भाप्रसे की भविष्य के लिये प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु सचेत करते हुये इनके सापेक्ष यह प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10/114/2011/22/पं.1, दिनांक 18.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			जाना।	करूंगा। (4) जी.ए.डी. जल्दी जल्द कार्यवाही करे इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से विशेष अनुरोध करूंगा और कार्यवाही के बारे में सदन को अवगत कराऊंगा।		
25.	27	अता.प्र.सं. 30 (क्र. 914) दि. 18.07.2011	रीवा जिले के जनपद शिक्षा केन्द्र जवा अंतर्गत संचालित वैकल्पिक शाला गोडिया में कार्यरत स्व सहायता समूह को बिना कार्य के चावल एवं राशि दी जाने की जांच एवं दोषी अधिकारी पर कार्यवाही कर चावल/राशि शासन के कोष में जमा की जाना।	शाला गोड़िया में कार्यरत स्व-सहायता समूह की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	मुख्य कार्यपानल अधिकारी जिला पंचायत रीवा के पत्र क्र. 6763/स्था.-एमडीएम/वि.स./2014 रीवा, दि. 13.11.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :- • मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ईजीएस शाला गोइडिया में अनियमितता करने वाले दोषी श्री राम स्व सहायता समूह चौखंडी से रूपये 4232.00 एवं महिला विश्वास स्व सहायता समूह चौखंडी से 14688.00 की वसूली हेतु कार्यालय कलेक्टर-रीवा के पत्र क्र. 122/ब्रिस्क/2013 दिनांक 12.08.2013 द्वारा तहसीलदार जवा को आर.आर.सी. जारी कर वसूली कार्यवाही की अनुमति दी गई है। तहसीलदार जवा स्तर से वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। • मध्यान्ह भोजन संचालन में अनियमितता के उत्तरदायी जनशिक्षक श्री तरूण कुमार पाण्डेय के विरूद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-रीवा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आदेश क्र. 8382 दिनांक 05.12.13 से एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। • मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन में अनियमितता के दोषी तत्कालीन बी.आर.सी.सी. श्री रामलल्लू सिंह के विरूद्ध आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जिसके तहत संभागायुक्त स्तर से विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश क्र. 305/6-विकास/वि.जां./2014, दिनांक 07.11.14 द्वारा श्री रामलल्लू सिंह तत्कालीन बीआरसीसी जनपद पंचायत जवा वर्तमान व्याख्याता शासकीय पुष्पराज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविन्दगढ़ जिला रीवा की 03 वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की लघुशास्ती से दण्डित किया जाकर	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि जांच उपरान्त दोषी पाये गये तत्का. कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					प्रकरण समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। • मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में हुई अनियमितता के दोषी श्री बलवान सिंह मवासे तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा वर्तमान में जनपद पंचायत जौरा जिला मुरैना के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत संभागायुक्त स्तर से विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रिया हेतु पत्र क्र. 3749 दिनांक 08.07.2013 द्वारा आरोप पत्रादि जारी किया जाकर कार्यवाही प्रक्रियारत है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 15443/22/वि-9/M.D.M./वि.स./2014, दिनांक 26.12.2014	
26.	28	अता.प्र.सं. 49 (क्र. 1356) दि. 18.07.2011	राजगढ़ जिले में म.प्र. शासन रोजगार गारंटी कार्यों में अनियमितता के जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है।	राजगढ़ जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत भियापुर विकासखंड राजगढ़ में मनरेगा योजना के अंतर्गत हुई अनियमितताओं की शिकायत की जांच कलेक्टर राजगढ़ से करायी गयी। प्राप्त प्रतिवेदनों के परीक्षण उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत में पायें दस्तावेजों अनुसार कार्य प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप संपादित किये गये है। कार्य का भुगतान समानुपातिक किया गया है, तथा ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई सड़क के उपर लोक निर्माण विभाग की सडक का निर्माण होना पाया गया है। उक्त प्रतिवेदन से भारत सरकार को दिनांक 21.01.2014 को अवगत कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8382/MGNREGS/NR-11/वि.स./2014, दिनांक 22.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं
27.	29	परि.ता.प्र.सं. 105 (क्र. 1672) दि. 18.07.2011	विधानसभा क्षेत्र तेंदूखेड़ा के अंतर्गत जनपद पंचायत चीचली के ग्राम करपगांव से खंचारी तिचोर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना में पुन: प्रारंभ किया जाना।	(1) अनुबंध करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी हां।	विधानसभा क्षेत्र तेंदुखेड़ा के अंतर्गत जनपद पंचायत चीचली के ग्राम करपगांव से खंचारी तिचोर मार्ग का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण पूर्व ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर शेष कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही की गई। दिनांक 27.4.2012 को नवीन एजेंसी से अनुबंध कर कार्य पुन: प्रारंभ कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7988/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./23/2012, दिनांक31.05.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	30	अता.प्र.सं. 15 (क्र. 542) दि. 18.07.2011	(1) होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत पिपरिया एवं जनपद पंचायत बनखेड़ी में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी (ग्राम सहायक) को छठवे वेतनमान के एरियर्स एवं द्वितीय किस्त का भुगतान की कार्यवाही। (2) जनपद पंचायतों में पदस्थ पंचायत समन्वयक पात्र अधिकारियों को समयमान वेतन का लाभ।	(1) एक सप्ताह में एरियर्स की प्रथम एवं द्वितीय किश्तों का भुगतान कर दिया जावेगा । जनपद पंचायत बनखेड़ी में एरियर्स की द्वितीय किश्त का भुगतान सात दिवस में कर दिया जावेगा। (2) सत्यापन उपरांत तत्काल वित्तीय लाभ प्रदाय किया जावेगा।	(1) जनपद पंचायत पिपरिया एवं बनखेड़ी अंतर्गत पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी को छठवें वेतनमान का एरियर्स राशि का प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है। (2) जनपद पंचायत पिपरिया एवं बनखेड़ी के अंतर्गत पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारियों का पात्रतानुसार समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-121/2011/22/पं.-1, दिनांक 29.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
29.	31	अता.प्र.सं. 25 (क्र. 736) दि. 18.07.2011	गुना जिले में आवास ऋण योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	"भू-अधिकार प्रमाण पत्र एवं/ अथवा आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन 9017 प्रकरणों में भू-अधिकार प्रमाण पत्र एवं/अथवा आय प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है। बैंक में ऋण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये 284 प्रकरणों में" बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति जारी कर ऋण वितरण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 18709/22/वि-22/वि-12/वि.स./15, दिनांक 29.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं
30.	32	अता.प्र.सं. 26 (क्र. 754) दि. 18.07.2011	जिला नीमच, मनासा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बारहमासी सड़क योजनान्तर्गत प्रथम चरण के शेष मार्गों का कार्य प्रारंभ कर प्रथम चरण के सभी मार्गों का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	वर्ष 2011-2012 में पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग नीमच से प्राप्त पत्र क्रमांक 632 दिनांक 23.03.14 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में सम्मिलित 09 मार्गों में से 08 कार्य पूर्ण हो गये है। 01 कार्य को दिसम्बर 2014 के पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 9528/22/वि-10/ग्रायांसे/2014, दिनांक 05.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं
31.	33	परि.ता.प्र.सं. 46 (क्र. 941) दि. 18.07.2011	नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रूके हुये निर्माण कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही।	निविदा स्वीकृति पश्चात पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करा लिया जावेगा।	नरसिंहपुर जिले के नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रश्नावधि में जिन 4 मार्गों एवं 1 ब्रिज का निर्माण कार्य ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किये जाने के कारण रूका हुआ था। उन समस्त कार्यों का निविदा स्वीकृति पश्चात निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 22160/22/वि-12/वि.स./आश्वा./15, दिनांक 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	34	परि.ता.प्र.सं. 51 (क्र. 1103) दि. 18.07.2011	वर्ष 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भिण्ड जिले में मेहगांव विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जाना।	शीघ्र कार्य पूर्ण कराने हेतु प्रयास किया जायेगा।	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड से प्राप्त पत्र क्रमांक 2455 दि. 12.09.14 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भिण्ड जिले में मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत 13 सड़कों में से 01 सड़क का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भिण्ड को हस्तांतरित किया गया है। शेष 12 सड़कों में से 09 पर सबग्रेड कार्य पूर्ण तथा 03 सड़कों पर सबग्रेड कार्य प्रगति पर है। सभी कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण कर लिये जावेगें। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6838/22/वि-10/ग्रायांसे/2014, दिनांक 29.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं
33.	35	परि.ता.प्र.सं. 55 (क्र. 1285) दि. 18.07.2011	वन्दना कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सर्वे का उल्लंघन एवं घटिया कार्य करने के कारण कंस्ट्रक्शन कंपनी को काली सूची में रखने की कार्यवाही।	पंजीयनकर्ता विभाग को काली सूची में रखने हेतु लिखा जायेगा।	विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न के उत्तर के पंजीयन विभाग को काली सूची में रखने हेतु लिखा जायेगा का उल्लेख एजेंसी द्वारा पैकेज एमपी 3231 का कार्य पूर्ण नहीं करने एवं घटिया कार्य को हटाकर पुन: वांछित गुणवत्ता का कार्य नहीं कराने की स्थिति में किया गया था। वर्तमान में एजेंसी द्वारा पकैकेज क्र. 3231 का कार्य गुणवत्तानुसार दिनांक 01.10.13 को पूर्ण कर लिया है। विलंब से कार्य करने के कारण रू. 9,51,690.00 की राशि अधिरोपित कर ठेकेदार से वसूली की गई है। अत: काली सूची में रखने हेतु लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2832/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./2014, दिनांक 13.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
34.	36	परि.ता.प्र.सं. 86 (क्र. 1547) दि. 18.07.2011	टीकमगढ़ जिले के मनरेगा में पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किया जाना।	पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पर्याप्त संख्या में जॉब कार्डधारियों की उपलब्धता अनुसार पूर्ण कराया जा सकेगा।	अपूर्ण 322 कार्यों में से 26 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं, शेष कार्यों को आगामी समय में जॉबकार्डधारियों की कार्य की मांग की उपलब्धता अनुसार पूर्ण कराये जाने एवं जॉबकार्डधारी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की हर संभव कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। चूंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम- म.प्र. एक मांग आधारित योजना है। कार्य की मांग किए जाने पर जॉकार्डधारी परिवारों को 100 का रोजगार मुहैया कराया जाता है। जॉबकार्डधारी मजदूरों द्वारा कार्य की मांग किए जाने पर शीघ्र ही शेष कार्य पूर्ण करा लिये जावेंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4029/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2012, दिनांक 20.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	38	परि.ता.प्र.सं. 95 (क्र. 1576) दि. 18.07.2011	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पन्ना जिले में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जाना ।	जी हां ।	प्रश्नावधि में पन्ना जिले में 53 मार्गों एवं 1 ब्रिज का कार्य अपूर्ण था, वर्तमान में उक्त कार्यों में से 47 मार्गों तथा 1 ब्रिज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । तीन मार्गों जो कि बरियापुर नहर की सर्विस रोड पर बनाये जा रहे थे सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के आधिपत्य में है सिंचाई विभाग उत्तरप्रदेश से एन.ओ.सी. प्राप्त न होने के कारण तीन मार्गों का यथास्थिति में फोरक्लोजर किया गया है, इन तीनों मार्गों में आने वाले ग्रामों को नहर के समानांतर पडने वाली लोक निर्माण विभाग की सड़क से एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित अन्य मार्गों से जोडा जा चुका है । इस प्रकार नहर मार्ग के दोनों तरफ पडने वाले ग्रामों को सड़क संपर्कता उपलब्ध है । शेष तीन मार्गों का कार्य प्रगति पर है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2159/22/वि-12/आश्वा/अद्य./15, दिनांक 09.11.2015	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग शेष तीन मार्गो का कार्य पूर्ण करेगा।
36.	39	ता.प्र.सं. 16 (क्र. 1575) दि. 18.07.2011	पन्ना जिले की पंचायत पन्ना अंतर्गत आने वाले ग्राम डड़बरिया तालाब निर्माण में सामग्री का भुगतान न करने की जांच एवं की गई कार्यवाही ।	जांच प्रचलित है । परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।	1. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग नीमच से प्राप्त पत्र क्रमांक 1477 दि. 29.09.14 के द्वारा अवगत कराया गया है कि बारहमासी सडक योजनान्तर्गत विकासखण्ड मनासा में द्विमीय एवं तृतीय चरणों में सम्मिलित कुल 35 सड़कों में से 34 सड़क प्रारंभ होकर 27 सड़क पूर्ण है तथा शेष 07 सड़क माह दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 01 सड़क भूमि विवाद होने के कारण निरस्त की गई है । 2. प्रस्तावों का परीक्षण किया गया, विवरण निम्नानुसार है:- प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है । इनमें से प्रस्तावित 05 मार्गों का कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना/प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत पूर्ण है । शेष 02 मार्गों गांधी सागर के डूब क्षेत्र में होने से/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाईड लाईन में नहीं होने से इनका निर्माण नहीं किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 9532/22/वि-10/ग्रायांसे/2014, दिनांक 05.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>37.</td><td>40</td><td>ता.प्र.सं. 21
(क्र. 1623)
दि. 18.07.2011</td><td>निवाड़ी विधान सभा क्षेत्र के भवनहीन ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण।</td><td>यथाशीघ्र पूर्ण करवा दिया जायेगा।</td><td>ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निवाड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम के निम्नलिखित ग्राम पंचायत भवन के कार्य की स्थिति निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>ग्राम पंचायत भवन</th><th>कार्य की स्थिति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नयाखेरा</td><td>कार्य पूर्ण</td></tr>
<tr><td>2</td><td>उरदौर</td><td>छत तक का कार्य पूर्ण</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सेंदरी</td><td>ग्राम पंचायत भवन सेंदरी में मान.न्यायालय का स्थगन आदेश होने तथा जमीनी विवाद के कारण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया है</td></tr>
</table>
मात्र एक सेंदरी का ग्राम पंचायत भवन न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ 10-120/2012/22/पं-1/712, दिनांक 12.06.2015</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
<tr><td>38.</td><td>41</td><td>परि.ता.प्र.सं. 16
(क्र. 428)
दि. 18.07.2011</td><td>ग्वालियर जिले के ए.बी. रोड से सिमरिया गांव तक का रोड़ का निर्माण कार्य समय सीमा में किया जाना।</td><td>31.12.2011 तक कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।</td><td>ग्वालियर जिले के ए.बी. रोड से सिमरिया गांव तक का रोड़ निर्माण कार्य दिनांक 15.12.2011 को पूर्ण किया जा चुका है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1667/22/वि-12/वि.स./आश्वा./04/201,
दिनांक 04.02.2012</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
<tr><td>39.</td><td>42</td><td>परि.ता.प्र.सं. 32
(क्र. 693)
दि. 18.07.2011</td><td>सुवासरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शेष संधारण कार्य पूर्ण किया जाना।</td><td>शेष संधारण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है।</td><td>संधारण एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में शेष संधारण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

विभागीय पत्र क्रमांक :-
1666/22/वि-12/वि.स./आ.क्र./42/2012,
दिनांक 04.02.2012</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr>
<td>40.</td>
<td>43</td>
<td>परि.ता.प्र.सं. 34
(क्र. 708)
दि. 18.07.2011</td>
<td>सागर जिले में सुरखी विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन एवं जीर्णशीर्ण पंचायतों के भवनों का निर्माण।</td>
<td>(1) परीक्षण उपरांत स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।
(2) संकलन उपरांत शासन के निर्देशानुसार नये पंचायत भवनों की स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।</td>
<td>विधानसभा क्षेत्र सुरखी अंतर्गत जनपद पंचायतों की भवन विहीन ग्राम पंचायतों में मनरेगा से अभिसरण रू. 10.00 लाख सहित रू. 12.85 लाख एवं रू. 14.85 लाख से निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये जाकर कार्य प्रगति पर है।
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>ज.पं. का नाम</th><th>स्वीकृत कार्य</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सागर</td><td>58</td><td>171.30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>राहतगढ़</td><td>66</td><td>190.10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जैसीनगर</td><td>41</td><td>116.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td>165</td><td>478.25</td></tr>
</table>
भवनविहीन ग्राम पंचायतों एवं जीर्णशीर्ण ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किये गये है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ-10-118/2011/22/पं.-1, दिनांक 17.11.2014</td>
<td>कोई टिप्पणी नहीं</td>
</tr>
</table>

जुलाई, 2011 सत्र
(5) परिवहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.	44	अता.प्र.सं. 85 (क्र. 1624) दि. 18.07.2011	प्रदेश की परिवहन चौकियों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने की कार्यवाही।	चौकियों का निर्माण कार्य प्रचलित है।	प्रदेश की 24 सीमावर्ती स्थानों पर एकीकृत कम्प्यूटीराईजड चेकपोस्टों के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। इसमें 04 अन्य विभागों के अतिरिक्त परिवहन विभाग के चेकपोस्ट भी शामिल है। इस कार्य के लिये परिवहन विभाग नोडल विभाग है। यह कार्य एजेंसी के रूप में म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है जिनके द्वारा दिनांक 10.11.2010 को एमपी बोर्डर चेकपोस्ट डेव्लेपमेंट कंपनी लि. मुबंई का कसेंशनायर नियुक्त किया गया है। म.प्र. सड़क विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 चेकपोस्टों हेतु भूमि का कब्जा नोडल एजेंसी को दिया जा चुका है, किंतु 03 स्थानों हेतु न्यायालयीन स्थगन कायम है। जिस कारण हस्तांरण नहीं हुआ है। 13 स्थानों पर कार्य जारी है एवं चेकपोस्टों का कार्य पूर्ण होकर व्यावसायिक परिचालन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-96/2011/आठ, दिनांक 09.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(6) जेल विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	45	ता.प्र.सं. 25 (क्र. 77) दि. 11.07.2011	म.प्र. की जेलों में बंद कैदियों की पैरोल की अवधि बढ़ाई जाना।	पैरोल अवधि को 21 दिन से बढ़ाने के लिये जानकारी प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत व अन्य विभाग से अभिमत प्राप्त करते हुए उनके मतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	पैरोल अवधि को 21 दिन से बढ़ाने के लिये अन्य प्रदेशों से जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी का परीक्षण किया गया तथा अन्य विभागों से अभिमत भी लिया गया। पैरोल की अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 42 दिन किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इसके लिये बंदी अधिनियम 1985 की धारा 31 में संशोधन आवश्यक होने से इस हेतु वरिष्ठ सचिव समिति के विचार हेतु विषय की टीप प्रस्तुत की गइ हैं। इसके उपरांत आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करके इसे विधान सभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 362/216/2011/तीन/जेल, दिनांक 09.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
43.	46	अता.प्र.सं. 47 (क्र. 1352) दि. 18.07.2011	(1) जेल विभाग के अधीन जेल अधीक्षक/सहायक जेल अधीक्षक/ प्रमुख मुख्य प्रहरी/मुख्य प्रहरी के रिक्त पदों की पूर्ति। (2) जेल विभाग सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही।	(1) सीधी भर्ती की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रचलन में है। (2) प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	(1) सीधी भर्ती के अंतर्गत अधीक्षक, जिला जेल के 03 एवं सहायक जेल अधीक्षक के 12 पदों हेतु मांग पत्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं। लोक सेवा आयोग स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। वर्ष 2008 में लोक सेवा आयोग से सहायक जेल अधीक्षक के पद पर चयनित अनुपूरक सूची में से 01 अभ्यार्थी का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। 02 अभ्यार्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है तथा 03 अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र लोक सेवा आयोग से प्राप्त होने के उपरांत नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। शेष रिक्त पदों हेतु मांग पत्र वर्ष 2012 में सम्मिलित कर लोक सेवा आयोग को भेजा जावेगा। मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) जेल सेवा भर्ती नियम 1974 में प्रमुख मुख्य प्रहरी एवं मुख्य प्रहरी के पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरने का प्रावधान है। विधान सभा में उक्त प्रश्न के उत्तर हेतु दिनांक 18.7.2011 तिथि निश्चित थी। उक्त दिनांक को प्रमुख मुख्य प्रहरी का कोई पद रिक्त नहीं था। मुख्य प्रहरी के 19 पद रिक्त थे जिनकी पूर्ति पदोन्नति के	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					माध्यम से माह अगस्त, 2011 में की जा चुकी है। (2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जेल विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के विभिन्न संवर्गों (प्रहरी को छोड़कर) को समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिसके अनुक्रम में शासन एवं जेल मुख्यालय स्तर पर पात्रता रखने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। प्रहरी संवर्ग को समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी प्रावधान करने की कार्यवाही वित्त विभाग के अधीन विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 359/216/2011/तीन/जेल, दिनांक 09.02.2012	

जुलाई, 2011 सत्र
(7) गृह विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	47	परि.ता.प्र.सं. 07 (क्र. 36) दि. 11.07.2011	भोपाल शहर में विगत ढाई वर्ष में चेन झपटने की घटित घटनाओं के आरोपियों की गिरफ्तारी।	गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे है।	भोपाल शहर में विगत ढाई वर्ष में कुल 228 प्रकरणों में से 173 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 02 प्रकरणों में खारजी कता की गई, 51 प्रकरणों में खात्मा कता किया गया है तथा 02 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3550/3919/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
45.	48	परि.ता.प्र.सं. 22 (क्र. 124) दि. 11.07.2011	थाना कोतवाली जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्र. 75/2011 के आरोपियों की गिरफ्तारी।	साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	थाना कोतवाली विदिशा के अप.क्र. 75/11 धारा 406, 420, 34 भादवि में आरोपी किशन सिंह, नीरज शुक्ला, बी.के. जैन, अविनाश गौतम तथा डॉ. दिनेश कौशल को गिरफ्तार किया जाकर चालान क्र. 194/12 दिनांक 19.5.2012 तैयार कर न्यायालय पेश किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 943 दिनांक 19.06.12 से प्रकरण मान.न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4246/4948/2012/बी-1/दो, दिनांक 17.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
46.	49	परि.ता.प्र.सं. 30 (क्र. 159) दि. 11.07.2011	नगर निरीक्षक थाना मेहगांव जिला भिण्ड के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	एक शिकायत के संबंध में विभागीय जांच की जा रही है।	तत्कालीन थाना प्रभारी मेहगांव श्री रविन्द्र तिवारी के विरूद्ध आदेशित विभागीय जांच क्रमांक 6/11 आदेशित की जाकर पुलिस अधीक्षक दतिया को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया है। विभागीय जांच संस्थित होने के फलस्वरूप आश्वासन को पूर्ण मान्य किया जाए। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3016/3658/2012/बी-4/दो, दिनांक 15.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47.	50	अता.प्र.सं. 01 (क्र. 09) दि. 11.07.2011	जिला सिंगरौली में महिला थाना व जिला पुलिस लाईन की स्थापना की जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	अपचारी निरीक्षक रविन्द्र तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी मेहगांव जिला भिण्ड के विरूद्ध विभागीय जांच क्र. 6/11 संस्थित कर 03 आरोपों के अंतर्गत विभागीय जांच की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक दतिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच में लेख किया है कि अपचारी निरीक्षक द्वारा अपनी भूल स्वीकार कर क्षमायाचना की गई तथा समक्ष उपस्थित होकर भी स्वयं की भूल स्वीकार की गई। समग्र जांच में अपचारी निरीक्षक रविन्द्र तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी मेहगांव के विरूद्ध अधिरोपित आरोप क्र. 3 आशिंक रूप से प्रभाणित पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन ग्वालियर के आदेश क्र. पुमनि/चझो/ पीए/विजा/6/11 दिनांक 04.06.12 के द्वारा अपचारी निरीक्षक रविन्द्र तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी मेहगांव जिला भिण्ड को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। दोषी निरीक्षक के विरूद्ध कोई विभागीय जांच अब लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4035/6730/2016/बी-4/दो, दिनांक 30.11.2016 अद्यतन जानकारी :- जिला सिंगरौली में महिला थाने की स्थापना का प्रस्ताव वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अमान्य किया गया है। पुलिस लाईन सिंगरौली के लिये शासन आदेश दिनांक 20.1.11 के द्वारा 54 नवीन पदों का निर्माण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 302/2154/2014/बी-3/दो, दिनांक 11.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
48.	51	अता.प्र.सं. 34 (क्र. 134) दि. 11.07.2011	थाना सिवनी जिला सिवनी में मनीषा पालीवाल की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी।	आरोपी की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।	अप.क्र. 570/09 धारा 302, 201 ताहि में मनीषा पालीवाल की हत्या के प्रकरण में आरोपी घटना दिनांक को फरार हो गया था जिस पर दिनांक 10.8.11 को आरोपी के विरूद्ध फरारी में चालान क्र. 516/11 तैयार कर दि. 18.08.11 को पेश किया गया। दिनांक 16.11.11 को आरोपी सतेन्द्र प्रताप सिंह नि. तेलीगंज इलाहबाद हाल माधवनगर स्कूल कटनी को गिरफ्तार कर न्यायालय अभिरक्षा में भेजा गया। दिनांक 19.11.11 को पूरक चालान आरोपी के विरूद्ध तैयार कर दिनांक 25.11.11 को पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 3009/11 है। प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3552/4329/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	52	अता.प्र.सं. 37 (क्र. 143) दि. 11.07.2011	1 अप्रैल, 2009 से प्रश्न दिनांक तक राजगढ़ जिले के थाना सुठालिया में पंजीबद्ध अपराध के प्रकरणों में आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जाना।	विवेचना शीघ्र पूर्ण की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	जिला राजगढ़ थाना सुठालिया में पंजीबद्ध अपराध के प्रकरणों में मान. न्यायालय में लंबित 14 अपराधों में अप.क्र. 165/11 धारा 294, 323, 506 भादवि में 100-100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाकर एवं अप.क्र. 173/11 धारा 294, 323, 506 में दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा किया गया है। शेष 12 प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस विवेचना में लंबित अप.क्र. 67/11 में आरोपियों की सतत् तलाश की जाकर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। आरोपियों की चल-अचल संपत्ति की जप्ती की भी कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5494/3921/2012/बी-1/दो, दिनांक 08.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
50.	53	अता.प्र.सं. 40 (क्र. 148) दि. 11.07.2011	इंदौर के थाना एम.आई.जी. में पेनजान फार्मा के संचालकों के विरूद्ध दर्ज अपराध क्र. 288/10 के आरोपियों की गिरफ्तारी।	आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे है।	उक्त प्रकरण में निवेशक पेन्जान फार्मा संघ की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से दिनांक 02.03.10 को पेनजॉन फार्मा के संचालक मनोज कोठारी पिता नगीन चन्द्र कोठारी, निवासी साकेत नगर, इंदौर, अंजू कोठारी पति मनोज कोठारी, निवासी साकेत नगर, इंदौर तथा कीर्ति कुमार शाह पिता शान्ति लाल शाह निवासी कालिंदी पार्क, श्रीनगर काकड़ इंदौर के विरूद्ध दिनांक 02.03.2010 को थाना एम.आई.जी. अप.क्र. 288/10 धारा 420, 406, 34 भादवि एवं 6(1) म.प्र. निवेशकों का संरक्षण अधिनियम 2000 का अप्राप्त पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के हर विधिसम्मत प्रयास किये गये किंतु गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। फलस्वरूप प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण करते हुए धारा 299 द.प्र.सं. के तहत अभियोग पत्र क्रमांक 442/11 दि. 03.10.11 का आरोपी क्रमश: मनोज कोठारी पिता नगीन चन्द कोठारी, अंजू कोठारी पति मनोज कोठारी तथा कीर्ति शाह पिता शांति लाल शाह के विरूद्ध तैयार कर मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो फौ.मु.नं. 20152/2011 दिनांक 12.10.11 पर दर्ज होकर मान. जेएमएफसी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत मान. न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज कोठारी, अंजू कोठारी एवं कीर्ति कुमार शाह के विरूद्ध दिनांक 04.05.12 को स्थायी वारंट जारी किये गये हैं जिन्हें तामील कराये जाने के हरसंभव प्रयास जारी हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3564/3920/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51.	54	अता.प्र.सं. 44 (क्र. 160) दि. 11.07.2011	सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी दुर्गेश गुप्ता को भोपाल से जिलाबदर किया जाना।	नियमानुसार विचार किया जायेगा।	थाना शाहपुरा में अप.क्र. 206/11 धारा 420 भादवि के प्रकरण में आरोपी दुर्गेश गुप्ता लगातार फरार हैं। गिरफ्तारी के यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं। आरोपी पर पांच हजार का ईनाम घोषित किया जा चुका है। दुर्गेश गुप्ता के विरूद्ध गालीगुप्तार, जान से मारने की धमकी देने जैसे साधारण किस्म के अपराध पंजीबद्ध हैं। कोई भी ऐसा जघन्य अपराध नहीं है जिससे आम जनता में भय उत्पन्न हो सके। इस कारण आरोपी का जिलाबदर किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3560/3328/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
52.	55	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 52, 252) दि. 12.07.2011	(1) इंदौर स्थित बहुमंजिला इमारतों/शॉपिंग माल में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था न की जाने की जांच एवं कार्यवाही तथा नये वाहन उपलब्ध कराये जाना। (2) इंदौर की वर्तमान बहुमंजिला इमारतों के हिसाब से फायर बिग्रेड की व्यवस्था की जाना। (3) इंदौर में वर्तमान ऊंचाई से अधिक की इमारते निर्मित होने पर अग्निशमन हेतु नई मशीनों का क्रय किया जाना।	(1) हम पूरा अभियान चला कर पिछले सारे इन भवनों की जांच करायेंगे और आगे भी इसे सुनिश्चित करेंगे। नये वाहन खरीदना है उसको भी हम जल्दी से जल्दी वह उपलब्ध हो जाये इसकी व्यवस्था करेंगे। (2) जो वर्तमान में भवन है उसमें सारे मापदंड के हिसाब से व्यवस्था नहीं है इसकी पूरी एक बार फिर से जांच करायेंगे। (3) नये भवन बनने से पहले मशीन खरीद ली जाएगी।	इंदौर स्थित बहुमंजिला इमारतों/शापिंग माल में की गई अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था की जांच करने हेतु समिति गठित कर जांच करायी जा रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है और निरंतर कार्यवाही की जाती रहेगी। इंदौर शहर में अग्नि सुरक्षा हेतु उपकरण क्रय करने के लिए नगर पालिका निगम, इंदौर को शासन द्वारा वर्ष 2012-13 में रूपये 3,11,97,500/- लाख उपलब्ध करायी गई तथा 55 मी. ऊंचाई के विशिष्ट फायर फायटिंग उपकरण, हाईड्रालिक टर्न टेबल लेडर की स्वीकृति दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 545/5823/2012/बी-1/दो, दिनांक 20.02.2014	कोई टिप्पणी नहीं
53.	56	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.) दि. 13.07.2011	पुलिस थाना धार द्वारा वाहन क्रमांक एच.आर. 69 ए 7786 से जब्त की गई अवैध शराब ले जाने वालों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में वाहन एवं मदिरा जब्त कर राजसात करने की कार्यवाही।	प्रकरण में वाहन एवं मदिरा को जब्त कर राजसात करने की कार्यवाही प्रचलन में है।	थाना धार के अप.क्र. 493/11 धारा 34-क(2) के प्रकरण में जप्त वाहन क्र. एच.आर.-69-ए-7786 की राजसात की कार्यवाही में जिला दण्डाधिकारी धार के द्वारा दिनांक 10.10.12 नियत की गई थी किंतु साक्षीगणों को नोटिस तामिली के उपरांत भी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रकरण में शासकीय साक्ष्य हेतु आगामी पेशी दिनांक 21.11.12 नियत की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5546/3923/बी-1/दो, दिनांक 19.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	57	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.) दि. 13.07.2011	मुरैना जिला मुख्यालय स्थित दतपुरा का वाडा क्षेत्र के बीस मालिकाना हक के पक्के मकानों का क्रय विक्रय राजस्व अधिकारियों की साठगांठ से किये जाने के आरोपियों की गिरफ्तारी तथा क्रेता विक्रेता द्वारा फरियादी व्यक्तियों को धमकाये जाने पर उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाना।	(1) इन लोगों की गिरफ्तारी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। (2) पुलिस की निरंतर वहां गश्त जारी है पूरी सुरक्षा उनको मिलेगी उनको पूरा न्याय दिया जायेगा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।	(1) थाना सिटी कोतवाली, मुरैना के अप.क्र. 382/11 धारा 420, 120-बी, 467, 468, 471 भादवि आरोपी गजराज सिंह, महेश, सुरेन्द्र उर्फ सुल्तान, बनवारी, भूपसिंह, धमेन्द्र सिंह पटवारी, कपूर सिंह यादव, एवं तत्कालीन तहसीलदार बी.पी. श्रीवास्तव के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सुरन्द्र सिंह, धमेन्द्र एवं बनवारी की गिरफ्तारी होना शेष है। शेष अभियुक्तों की अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी सतत् प्रक्रिया है। विभागीय कार्यवाही पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 319/4986/2012/बी-1/दो, दिनांक 22.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं
55.	58	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र.) दि. 14.07.2011	इंदौर शहर में हत्या, लूट, डकैती के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना।	उन सबको हम तत्परता से गिरफ्तार करके और उन आरोपियों को छोडेगें नहीं।	1. देशपाण्डे हत्यांकाड - दिनांक 19.08.11 को थाना एम.आई.जी. इंदौर में 1- श्रीमती मेघा पति निलंजय देशपाण्डे, 2- श्रीमती रोहिणी पति एस.बी. फडक, 3- कु. अश्लेषा पिता निलंजय देशपाण्डे सभी निवासी श्रीनगर मेन की हत्या व लूट की घटना के संदर्भ में अप.क्र. 401/11 धारा 302, 397, 34 ताहि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। अनुसंधान में आरोपी 1-गोविन्द उर्फ राहुल पिता चुन्नी लाल मराठा, 2- कु. नेहा पिता अनिल वर्मा, 3- मनोज पिता नानूराम को गिरफ्तार किया जाकर अपहृत मश्रुका जप्त कर अभियोग पत्र 306/11, दि. 17.7.11 तैयार किया जाकर मान. न्यायालय प्रस्तुत किया गया जो फौ.मु.नं. 14110/11, दि. 18.7.11 पर जर्द होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। 2. गुलशन तेलवानी हत्याकांड - दि. 07.03.11 को थाना विजय नगर पर गुलशन पिता प्रहलाद तेलवानी की फिरौती के लिये अपहरण एवं बाद में उसकी हत्या किये जाने के फलस्वरूप अप.क्र. 188/11 धारा 364ए, 365 302, 201, 212 एवं 34 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपियान 1-अस्सू उर्फ अशुल पिता पिता अमर सिंह, 2- रवि उर्फ आदित्य पिता दिनेश गुर्जर, 3- हेप्पी उर्फ रूद्राक्ष पिता वेंकट लाल अग्रवाल, 4- वीरेन्द्र गुर्जर पिता रामप्रसाद को गिरफ्तार किया जाकर अभियोग पत्र क्र. 246/2011 दिनांक 02.06.11 का तैयार किया जाकर मान. न्यायालय प्रस्तुत किया गया जो फौ.मु.न. 10590/11 दिनांक 07.06.11 पर दर्ज होकर मान. न्यायालय में विचाराधीन है। 3. समद हत्याकांड - थाना एम.जी. रोड, इंदौर पर दिनांक 23.3.11 को समद पिता गुल मोहम्मद निवासी नयापुरा, इंदौर के फिरौती के लिये अपहरण एवं बाद में उसकी हत्या कर दिये जाने के फलस्वरूप	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अप.क्र. 115/2011 धारा 364ए, 365, 302, 201, 34 ताहि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपीगण 1- नावेदन पिता शहनाज कुरैशी, 2-मंगुअली उर्फ समीर पिता शब्बीर अली को गिरफ्तार किया जाकर अभियोग पत्र क्र. 135/2011 दिनांक 22.6.11 का तैयार किया जाकर मान. न्यायालय पेश किया गया जो फौ.मु.नं. 12110/11, दि. 23.05.11 पर दर्ज होकर मान. न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3540/3636/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	
56.	59	ता.प्र.सं. 02 (क्र. 1492) दि. 18.07.2011	भोपाल में मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में हुई डकैती के आरोपियों की गिरफ्तारी की जाना।	विवेचना में पाये गये साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	भोपाल स्थित मणप्पपुरम गोल्ड फायनेंस कंपनी में पड़ी डकैती के संबंध में थाना हनुमानगंज में अप.क्र. 431/10 धारा 395, 397 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना पिपलानी के अप.क्र. 838/10 धारा 395, 397 120-बी भादवि में गिरफ्तार आरोपी शैलेन्द्र कुमार मेहतो नि. नालंदा बिहार से डकैती के संबंध में पूछे जाने पर अपने भाई शैलेन्द्र सिंह एवं अन्य साथी के साथ मिलकर डकैती करना स्वीकार करने पर न्यायालय की अनुमति लेकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान जारी रखते हुए चालान मान. न्यायालय में दिनांक 29.03.2011 को पेश किया गया । दौरान विवेचना ए.टी.एस./एस.टी.एफ. के अप.क्र. 04/11 के आरोपी अब्बू फैसल, मोहम्मद इकरार, मोहम्मद एजाजउद्दीन एवं अप.क्र. 05/11 में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद असलम शेख मुजीब तथा जी.आर.पी. रतलाम के अप.क्र. 35/11 में गिरफ्तार आरोपी जाकिर हुसैन से पूछताछ पर थाना हनुमानगंज के बैंक डकैती की घटना किये जाने से न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर प्रकरण में धारा 3, 10, 13, 16, 17, 18 एवं 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 तथा 120-बी भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी अब्बू फैसल से ए.टी.एस. द्वारा मणप्पपुरम से लूटे गये सोने में 6 किलो 246 ग्राम, 27 मिली ग्राम सोना बरामद हुआ तथा निशानदेही पर बेचे गये सोने में से 470 ग्राम सोना जब्त किया गया। प्रकरण में धारा 376(8) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान जारी रखते हुए दिनांक 07.03.2012 को आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3546/3924/2012/बी-1/दो, दिनांक 12.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	60	ता.प्र.सं. 18 (क्र. 501) दि. 18.07.2011	थाना एम.आय.जी. कॉलोनी इंदौर में पेनजान फार्मा के संचालकों की गिरफ्तारी हेतु अन्य प्रदेशों की पुलिस से मदद ली जाना। (2) पेनजॉन फार्मा के संचालको को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाना।	(1) लुक आउट सर्कुलर जारी करने की कार्यवाही प्रचलन में है। (2) चालान योग्य सुसंगत साक्ष्य एकत्र करने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास जारी है।	आरोपियों के संबंध में लुक आउट नोटिस जारी किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, पूर्व क्षेत्र, जिला इंदौर के कार्यलयीन पत्र क्रमांक पुअ/इ/पूर्व/2011-(33) दिनांक 28.06.2011 के माध्यम से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर पत्र लिखा गया था इस संबंध में इस कार्यालय से भी पत्र क्रमांक वपुअ/इ/रीडर/विविध-1/348 ई/2011 दिनांक 29.10.11 से लुक आउट नोटिस बाबत् पत्राचार किया गया है। प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र. वपुअ/इ/रीडर/विविध-1/348ई/2011 दिनांक 29.10.11 के माध्यम से पुलिस कमिश्नर मुबंई, महाराष्ट्र को पत्र लिखकर गिरफ्तार बाबत अनुरोध किया गया है। 2. उक्त प्रकरण में निवेशक पेन्जान फार्मा संघ की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से दिनांक 02.03.10 को पेनजॉन फार्मा के संचालक मनोज कोठारी पिता नगीन चन्द्र कोठारी, निवासी साकेत नगर, इंदौर, अंजू कोठारी पति मनोज कोठारी, निवासी साकेत नगर, इंदौर तथा कीर्ति कुमार शाह पिता शान्ति लाल शाह निवासी कालिंदी पार्क श्रीनगर काकड़ इंदौर के विरूद्ध दिनांक 02.03.2010 को थाना एम.आई.जी. पर अप.क्र. 288/10 धारा 420, 406, 34 भादवि एवं 6(1) मध्यप्रदेश निवेशकों का संरक्षण अधिनियम, 2000 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। इस दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के हर विधिसम्मत प्रयास किये गये किंतु गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी। फलस्वरूप प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण करते हुए धारा 299 द.प्र.सं. के तहत अभियोग अंजू कोठारी पति मनोज कोठारी तथा कीर्ति शाह पिता शांति लाल शाह के विरूद्ध तैयार कर मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो फौ.मु.नं. 20152/2011 दिनांक 12.10.11 पर दर्ज होकर मान. जेएमएफसी महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत मान. न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज कोठारी, अंजू कोठारी एवं कीर्ति कुमार शाह के विरूद्ध दिनांक 04.05.12 को स्थायी वारंट जारी किये गये हैं जिन्हें तामील कराये जाने के हरसंभव प्रयास जारी हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3559/3925/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58.	61	ता.प्र.सं. 25 (क्र. 1603) दि. 18.07.2011	आयुक्त रीवा के फर्जी लेटर पैड पर उन्ही के फर्जी हस्ताक्षर कर कतिपय अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानांतरण किये जाने के संबंध में उप संचालक मत्स्योद्योग द्वारा थाना सिविल लाइन रीवा में दर्ज कराये गये अपराध के आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	विवेचना में सामने आई साक्ष्य के अनुसार विधि संगत कार्यवाही की जावेगी।	फरियादी बी.एन. त्रिपाठी, उप संचालक, मत्स्य उद्योग, रीवा संभाग रीवा द्वारा थाना सिविल लाईन रीवा में इस आश्य की रिपोर्ट किया कि पत्र क्रमांक 41/म./स्था./11/12 दि. 14.6.11 से आयुक्त रीवा के फर्जी लेटरपेड में उन्हीं का फर्जी हस्ताक्षर कर कतिपय अधि.कर्म. का स्थानांतरण किया गया है। फरियादी की सूचना के आधार पर अप.क्र. 447/11 धारा 420, 34 ताहि का प्रकरण अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध कायम किया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान श्री प्रत्यूसशील तिवारी, मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य उद्योग, रीवा के ऊपर संदेह व्यक्त होना पाया गया एवं जिला अभियोजन अधिकारी की राय से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण सदर में धारा 467, 468, 471 ताहि का इजाफा किया गया है तथा अन्य संदेही आरोपियों की पता तलाश पूछताछ की जा रही है। तत्कालीन कमिश्नर श्री रविन्द्र पश्तोर का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने एवं संदेही श्री प्रत्यूशील तिवारी, तत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग रीवा में दस्तयाब न होने से इनकी हेण्डराईटिंग नहीं ली जा सकी है और हेण्ड राइटिंग स्पेशलिस्ट की ओर जांच हेतु नहीं भेजी जा सकी है। हेण्ड राईटिंग मिलने पर तत्काल हेण्डराईटिंग विशेषज्ञ, भोपाल की ओर जांच हेतु भेजी जावेगी व जांच उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। श्री रविन्द्र पश्तोर की ओरिजन हेण्डराईटिंग उपलब्ध कराने बाबत् कमिश्नर रीवा को पत्र क्र. क्यू/12, दि. 26.09.12 द्वारा लिखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6131/3926/2012/बी-1/दो, दिनांक 31.12.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	62	परि.ता.प्र.सं. 19 (क्र. 449) दि. 18.07.2011	पुलिस थाना रीठी जिला कटनी में लूट, गुण्डागर्दी, आतंक, मारपीट तथा अवैध वसूली के पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी।	(1) गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास जारी है। (2) आरोपी पप्पू चौरसिया की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। (3) आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे है।	(1) प्रकरण में पप्पू चौरसिया एक अन्य की गिरफ्तारी हेतु 200 रूपये के ईनाम की उद्घोषणा दि. 07.07.11 को की गई है। परिणामस्परूप पप्पू चौरसिया को छोडकर अन्य की गिरफ्तारी की जा चुकी है। (2) आरोपी पप्पू चौरसिया की गिरफ्तारी हेतु आरोपी की चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई। हल्का पटवारी द्वारा अचल संपत्ति न होने का लेख किया है। सभी 05 प्रकरण फरारी में धारा 299 जा.फौ. के तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके है। (3) पप्पू चौरसिया के विरूद्ध माननीय न्यायालय से पूर्व में जारी स्थाई वारंट में तलाश जारी है। दि. 09.12.14 को आर.क्र. 188 महेन्द्र पाण्डे को पप्पू चौरसिया की तलाश हेतु दिगर जिलों में भेजा गया था जो आरोपी का पता नहीं चल सका। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 295/3927/2012/बी-1/दो, दिनांक 22.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं
60.	63	परि.ता.प्र.सं. 39 (क्र. 828) दि. 18.07.2011	पुलिस विभाग में निरीक्षक एवं उप निरीक्षक एस.एल.एफ. के कंपनी कमान्डर एवं प्लाइन कमान्डर पद का वेतनमान समान होने की विसंगति दूर की जाने के संबंध में। (2) वेतन विसंगति को दूर करने पर कार्यवाही।	(1) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	शासन के आदेश क्रमांक एफ 2(अ) 332/2006/बी-4/दो, दिनांक 06.08.2012 द्वारा निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक संवर्ग के समकक्ष पदों को उन्नत वेतनमान दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3388/7540/2012/बी-2/दो, दिनांक 27.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
61.	64	परि.ता.प्र.सं. 49 (क्र. 1042) दि. 18.07.2011	अनुसूचित जनजाति वर्ग के डी.एस.पी. को प्रताडित किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) यथासमय पेश किया जायेगा। (2) विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।	जिला भोपाल, थाना तलैया अप.क्र. 244/11, धारा 147, 148, 149, 302 ताहि में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शफीक फरार है जिसका धारा 299 जाफौ में चालान कता किया गया है। जिला भोपाल, थाना तलैया अप.क्र. 245/11, धारा 307, 302 34 भादवि का प्रकरण मान. न्यायालय, एडीजे भोपाल के विचाराधीन है। थाना सोनकच्छ, जिला देवास के अप.क्र. 99/09, धारा 327, 337, 347, 34 भादवि के प्रकरण में अभियोग पत्र क्रमांक 164/02.06.2011 तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय, देवास के	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					एसडी क्र. 1/18.7.2011 पर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में तत्का. एस.डी.ओ.पी. सोनकच्छ, मोहिन्दर कंवर द्वारा मान. न्यायालय में समर्पण करने पर पत्र क्र. 2/04.05.2011 से मान. न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत स्वीकृत की गई है व आर.क्र. 247 दीपचंद द्वारा समर्पण करने पर रूपये 25,000/- जमानत पर रिहा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 541/4916/2012/बी-1/दो, दिनांक 11.02.2015	
62.	65	परि.ता.प्र.सं. 60 (क्र. 1350) दि. 18.07.2011	शिवपुरी के देहात थानान्तर्गत रेडलाइट एरिया में पुलिस की कार में सवार पुलिस कर्मियों द्वारा आपराधिक घटना घटित करने पर उन के विरूद्ध कार्यवाही।	दो आरोपियों का पता कर विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी। आरोपी शैलेन्द्र तोमर को निलंबित किया जाकर सेवा से समाप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है।	(1)थाना देहात शिवपुरी के अप.क्र. 150/11 एवं 151/11 के आरोपी शैलेन्द्र तोमर के अतिरिक्त अन्य किसी आरोपी के संबंधी में कोई साक्ष्य न आने से आरोपी नव आर. शैलेन्द्र तोमर के विरूद्ध उक्त अपराधों में चालान क्र. 152/11 एवं 134/11 कता किये जाकर न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं। (2) कार्यालयीन आदेश क्र. पुअ/शिव/स्था/367-ए/11 दिनांक 25.07.11 द्वारा आरोपी नव आर. 285 शैलेन्द्र सिंह तोमर की सेवाऐं समाप्त की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3562/3894/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
63.	66	परि.ता.प्र.सं. 63 (क्र. 1362) दि. 18.07.2011	मंदसौर-नीमच जिले में मृतकों के शस्त्र लायसेंसो के नामांतरण हेतु महिलाओं द्वारा दिये गये आवेदन पर कार्यवाही।	02 आवेदन पत्र संबंधित एस.डी.एम. का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निराकरण किया जावेगा।	मंदसौर जिले में शस्त्र लायसेंस के नामांतरण केवल एक महिला द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में अनुशंसा नहीं किये जाने से दिनांक 27.07.11 को प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। नीमच जिले में शस्त्र लायसेंस के नामांतरण हेतु प्राप्त 02 आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5496/5746/2012/बी-1/दो, दिनांक 08.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
64.	67	परि.ता.प्र.सं. 77 (क्र. 1489) दि. 18.07.2011	छतरपुर जिले की पुलिस चौकी धुवारा के बाल किशन आत्मज छवारे सोनी के यहां दिनांक 20.6.2010 एवं 16.07.2010 को चारी, लूटपाट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी।	विशेष टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।	प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बड़ामलेहरा एवं थाना प्रभारी भगवा के नेतृत्व में विशेष टीम द्वारा दिनांक 20.6.2010 एवं 16.7.10 को घटित घटना के संबंध में प्रकरण को सरसब्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4239/3928/2012/बी-1/दो, दिनांक 16.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	68	परि.ता.प्र.सं. 83 (क्र. 1542) दि. 18.07.2011	भोपाल स्थित मणप्पुरम गोल्ड फायनेंस कंपनी में पड़ी डकैती में पुलिस द्वारा फर्जी कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की जांच एवं दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	विवेचना जारी है। विवेचना में पाये जाने वाले साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	भोपाल स्थित मणप्पपुरम गोल्ड फायनेंस कंपनी में पड़ी डकैती के संबंध में थाना हनुमानगंज में अप.क्र. 431/10 धारा 395, 397 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना पिपलानी के अप.क्र. 838/10 धारा 395, 397 120-बी भादवि में गिरफ्तार आरोपी शैलेन्द्र कुमार मेहतो नि. नालंदा बिहार से डकैती के संबंध में पूछे जाने पर अपने भाई शैलेन्द्र सिंह एवं अन्य साथी के साथ मिलकर डकैती करना स्वीकृत करने पर न्यायालय की अनुमति लेकर दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान जारी रखते हुए चालान मान. न्यायालय में दिनांक 29.03.2011 को पेश किया गया। दौरान विवेचना ए.टी.एस./एस.टी.एफ. के अप.क्र. 04/11 के आरोपी अब्बू फैसल, मोहम्मद इकरार, मोहम्मद एजाजउद्दीन एवं अप.क्र. 05/11 में गिरफ्तार आरोपी जाकिर हुसैन से पूछताछ पर थाना हनुमानगंज के बैंक डकैती की घटना किये जाने से न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर प्रकरण में धारा 3, 10, 13, 16, 17, 18 एवं 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 तथा 120-बी भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी अब्बू फैसल से ए.टी.एस. द्वारा मणप्पपुरम से लूटे गये सोने में 6 किलो 246 ग्राम, 27 मिली ग्राम सोना बरामद हुआ तथा निशादेही पर बेचे गये सोने में से 470 ग्राम सोना जब्त किया गया। प्रकरण में धारा 173 (8) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान जारी रखते हुए दिनांक 07.03.2012 को आरोपियों के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3572/3929/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
66.	69	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 1582) दि. 18.07.2011	थाना सरदारपुर जिला धार में झीतरा पिता सोमलाल चौकीदार की हत्या के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 14.6.11 को एस.पी. धार को लिखे पत्र पर कार्यवाही।	प्राप्त साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु पु.अ. धार द्वारा नगर ईनाम की उद्घोषणा कर आदेश सार्वजनिक किया गया। प्रकरण में पतारसी हेतु गठित की गई टीम द्वारा मृतक के पुत्र एवं अन्य परिजनों से भी चर्चा की किसी प्रकार की कोई रंजीश नहीं होना पाई गई। प्रकरण में पंजीयन दिनांक से अज्ञात हत्या के प्रकरण में पतारसी बाबत हरसंभव प्रयास किये गये किंतु कोई पता नहीं चलने से प्रकरण में खात्मा क्रमांक 22/9.6.2013 कता किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 532/4536/2012/बी-1/दो, दिनांक 11.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67.	70	परि.ता.प्र.सं. 97 (क्र. 1583) दि. 18.07.2011	थाना सराफा इंदौर के श्री गौरव जैन की मृत्यु के कारणों की परिजनों की मंशा अनुसार उच्च स्तरीय जांच कराई जाना।	जांच गहराई से की जा रही है।	थाना सराफा के मर्ग क्रमांक 2/2011 धारा 174 जा.फौ. में मृतक गौरव जैन पिता जीवन जैन उम्र 20 साल निवासी बदनावर, जिला धार द्वारा आत्महत्या किये जाने के संबंध में मर्ग जांच थाना प्रभारी सराफा, निरीक्षक एस.के.एस. तोमर द्वारा पूर्ण की गई। जांच में मृतक द्वारा एकतरफा प्रेम प्रसंग में प्रेम प्रस्ताव ठुकराये जाने के कारण भावावेश में सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या किया जाना पाया गया है। उक्त मर्ग की जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी सराफा इंदौर द्वारा नस्तीबद्ध कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3574/3930/2012/बी-1/दो, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
68.	71	अता.प्र.सं. 01 (क्र. 62) दि. 18.07.2011	भोपाल शहर के विभिन्न थानों में 1 जुलाई, 2009 से 15 मई, 2011 तक विभिन्न प्रकरणों में जप्त किये गये वाहनों की नीलामी।	शीघ्र की जायेगी।	भोपाल शहर के विभिन्न थानों में जप्त शुदा वाहन रक्षित में सुराक्षार्थ रखे हुये है। जप्त किये गये वाहनों की नीलामी में विभिन्न प्रकार के कुल 637 वाहनों को जप्त कर नियमानुसार कलेक्टर भोपाल द्वारा गठित कमेटी की उपस्थिति में 20 थानों के 506 विभिन्न प्रकार के वाहनों की नीलामी कराई गई। शेष 05 थानों के 131 वाहनों की नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-53/2011/बी-3/दो, दिनांक 25.08.2014	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग शेष 05 थानों के 131 वाहनों की नीलामी करेगा।
69.	72	अता.प्र.सं. 03 (क्र. 257) दि. 18.07.2011	गंजबासौदा में देहात थाना का संचालन की कार्यवाही आरंभ की जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	गंजबासोदा के अंतर्गत बासोदा में देहात थाना की स्थापना विभागीय ज्ञाप क्र. एफ 2(क)-19/2012/बी-3/दो, दिनांक 08.08.2013 के द्वारा दी जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13/2014/बी-3/दो, दिनांक 06.03.2014	कोई टिप्पणी नहीं
70.	73	अता.प्र.सं. 19 (क्र. 600) दि. 18.07.2011	दिनांक 30.5.2011 को ग्राम वीफ खोदरा पंचायत मेवास जामन्या थाना नालंदा जिला धार में अवैध जप्त शराब के मालिक तथा फैक्ट्री मालिक के विरूद्ध कार्यवाही।	सुसंगत तथ्यों की विवेचना जारी है।	थाना नालछा जिला धार के अप.क्र. 94/11 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में दिनांक 30.5.2011 को वीफ खोदरा वा नि. जामन्या के बीच अवैध रूप से 28 पेटी बियर शराब पकड़ी गई थी। उक्त प्रकरण में फैक्ट्री मालिक राकेश पिता रामदेवजी गौतम उम्र 35 वर्ष निवासी लेबड़ को दिनांक 09.02.12 को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3542/3931/2012/बी-1/दो, दिनांक 12.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71.	74	अता.प्र.सं. 21 (क्र. 694) दि. 18.07.2011	सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के गुराडिया विजय में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की गृह मंत्री जी की घोषणा पर कार्यवाही।	प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	गुराडिया विजय में पुलिस चौकी की स्थापना के प्रस्ताव का पु.मु. स्तर पर परीक्षण किया गया। प्रस्तावित पुलिस चौकी क्षेत्र एवं उसके निकटतम थाने में घटित भा.द.वि. के अपराधों का वार्षिक औसत शासन द्वारा नवीन पुलिस चौकी की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं होने से दिनांक 12.7.12 को प्रस्ताव अमान्य किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-13-64/2012/बी-3/दो, दिनांक 18.12.2012	कोई टिप्पणी नहीं
72.	75	अता.प्र.सं. 46 (क्र. 1306) दि. 18.07.2011	देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों की पूर्ति।	प्रशिक्षणोपरांत जिले में आमद देने पर रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी।	जिला देवास में विधान सभा क्षेत्र बागर्ल के अंतर्गत आने वाले थाना बागली में 03 काटाफाड-2 एवं उदयनगर-2 में आरक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा आदेश दिनांक 01.5.12 के द्वारा की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3679/3659/2012/बी-1/दो, दिनांक 27.12.2012	कोई टिप्पणी नहीं
73.	76	अता.प्र.सं. 81 (क्र. 1589) दि. 18.07.2011	होमगार्ड सैनिकों के मानदेय वृद्धि एवं काल आउट प्रथा समाप्त कर उन्हें पूरे वर्ष ड्यूटी पर लिये जाने के परीक्षणाधीन प्रस्ताव पर कार्यवाही।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	होमगार्ड सैनिकों के संबंध में जारी काल आउट आदेश में उन्हें पूरे वर्ष ड्यूटी पर रखा गया है तथा गृह विभाग के आदेश दिनांक 25.4.12 द्वारा मानदेय में वृद्धि की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3553/7913/2012/बी-4/दो, दिनांक 17.12.2012	कोई टिप्पणी नहीं
74.	77	अता.प्र.सं. 86 (क्र. 1625) दि. 18.07.2011	थाना कोतवाली, विदिशा में स्वास्थ्य विभाग के जनरेटर गुम होने पर दर्ज एफ.आई.आर. के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाना।	वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।	थाना कोतवाली विदिशा के अप.क्र. 75/11 धारा 406, 420, 34 भादवि में आरोपी किशन सिंह, नीरज शुक्ला, बी.के. जैन, अविनाश गौतम तथा डॉ. दिनेश कौशल को गिरफ्तार किया जाकर चालान क्र. 194/12 दिनांक 19.5.12 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 943 दिनांक 19.06.12 से प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4244/4547/2012/बी-1/दो, दिनांक 17.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
75.	78	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 246, 443) दि. 20.07.2011	(1) भिण्ड जिले के लहार विकासखण्ड के ग्राम चंदावली निवासी सी.आई.एस.एफ. जवान श्री यादवेन्द्र सिंह की दिनांक 5 जुलाई, 2011 को की गई हत्या की जांच एवं आरोपियों की गिरफ्तारी	(1) तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे है। (2) प्रकरणों के आरोपियों की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर पुलिस पार्टियां भेजकर उनका पता लगाने	(1) सी.आई;एस.एफ. जवान श्री यादवेन्द्र सिंह की हत्या वर्ष 2011 में की गई थी जिसमें अभि. नीरज पुत्र रामप्रकाश शर्मा नि. तिलोरी 2-विपिन पुत्र आत्माराम नि. बरूअनपुरा लहार को गिर. किया जाकर चालान न्यायालय पेश किया जा चुका है। (2) थाना रौन के अप.क्र. 128/11 धारा 394, 34 भादवि 11/13 एमपीडीपीके एक्ट 25/27 एक्ट के आरोपीगण 1-अमित राठौर गिर.	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग जॉच निष्कर्षो के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			की जाना । (2) रौन थानान्तर्गत दिनांक 20.6.2011 को सहायक शिक्षक देवेन्द्र सिंह एवं मुलायम सिंह राजावत निवासी नबलपुरा के साथ मारपीट की घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी । (3) भिण्ड जिले के लहार के मनीष परियात एवं अन्य 8 लोगों के लायसेंस राजगढ़ जिले से बनाये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही । (4) श्री देवेन्द्र सिंह शिक्षक के साथ मारपीट कर लूटी गई मोटर साइकिल के आरोपियों की गिरफ्तारी । (5) लहार के मनीष एवं उनके अन्य साथियों अशोक मिश्रा पुत्र रामसहाय मिश्रा, मनीष पटियात पुत्र विद्याराम पटियात, मुकेश शर्मा, मेहरा बुजुर्ग लली ढोमरिया बेटा शर्मा ग्राम बिछोदना, कमलेश कुशवाह, राधेलाल कुशवाह, मनोज शास्त्री पुत्र अशोक शास्त्री को जिला राजगढ़ से शस्त्र लायसेंस देने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध 302 का मुकदमा कायम किया जाना ।	तथा पकड़ने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे है । (3) अगर रायफल बगैरह लायसेंस की बात है हम इसकी जांच करवा लेंगे मा.अध्यक्ष महोदय कैसे मिला है क्या मिला है और कही कोई गड़बड़ है दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे । (4) हत्या वाले लूट वाले सबको पकडवाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे । (5) नियम कायदे में जिसके खिलाफ भी जो मुकदमा धारा का लगेगा वह करेंगे । इनको रायफल के लायसेंस कहां से मिले और कैसे मिले और भी 11 या 8 जो भी साथी है उनके नाम भी उपलब्ध कराएगें । तो उपाध्यक्ष महोदय हम सबकी जांच करायेंगे । इन सबकी मैं जांच करा दूंगा ।	दि. 18.01.11, मनोज जाटव गिर. दि. 17.8.11, 3- जितेन्द्र नगाईच गिर. दि. 24.8.11 4-छोटू उर्फ विमलेश गिर. दि. 19.10.11 को गिर. किया जाकर चालान क्र. 34/11 दि. 29.10.11 को न्यायाल पेश किया गया / मिस नं. 51/11 दि. 05.11.11 पर विचाराधीन है । (3) थाना लहार के मनीष परियात एवं अन्य लोगों के लायसेंस राजगढ़ जिले में बनाये जाने हेतु जांच श्री पी.के. माथुर, उप पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुमु, भोपाल द्वारा की जा रही है । (4) अज्ञात आरोपियों की पतारसी की जाकर गिरफ्तार कर न्यायालय चालान पेश किया गया है एवं उक्त आरोपी छोटू खान से मोटर साईकिल जप्त की गई है । (5) जिन लोगों के लायसेंस राजगढ़ जिले में बनाये जाने हेतु जांच श्री पी.के. माथुर, उप पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पुमु, भोपाल द्वारा की जा रही है । जांच जारी है । जांच में प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4202/6886/2017/बी-1/दो, दिनांक 14.09.2017	
76.	79	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 276) दि. 21.07.2011	श्योपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्री रमेश जगांम के दिनांक 18.6.2011 से गुमसुदगी प्रकरण की आई.जी. के स्तर के वरिष्ठ अधिकारी से जांच ।	हम आई.जी. स्तर से जांच करा देंगे।	पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन ग्वालियर श्री रमेश चन्द्र जंगम के गुमशुदगी की जांच की गई थी, दिये गये आश्वासन के अनुरूप जांच कराई गई । जांच प्रतिवेदन में श्योपुर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कोई संदिग्ध भूमिका परिलक्षित नहीं पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5049/4985/2012/बी-1/दो, दिनांक 31.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77.	80	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 629) दि. 22.07.2011	राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के क्षत्री चौराहे पर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना एवं आम सभा समाप्त करने के पश्चात् एस.डी.एम. को ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के मध्य पथराव एवं मारपीट की घटना की जांच एवं कार्यवाही।	विवेचना में जो तथ्य सामने आयेगें जिसके खिलाफ आयेगें उसके खिलाफ आगे मामला बनेगा, सारे प्रकरण की जांच हम एडिशनल एस.पी. से करा देगें।	दिनांक 20.7.12 को कस्बा नरसिंहगढ़ में कांग्रेस पार्टी एवं भा.ज.पा. कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद पर थाना नरसिंहगढ़ में उक्त घटना को लेकर 05 अपराध पंजीबद्ध हुये थे। इन प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कार्यवाही की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :- 1. फरियादी गोविन्द सिंह गुर्जर की रिपोर्ट पर अप.क्र. 299/11 धारा 323, 294, 506, 336, 147, 148 भादवि आरोपीगण 1-सुदीप शर्मा, 2-विभोर वर्मा, 3-साम वर्मा, 4-सुधीर वर्मा, 5- दिनेश वर्मा, 6-बद्धी वर्मा, 7-कालू मेवाडे, 8-धीरेन्द्र, 9-राजू जडिया, 10-नीतिन वर्मा, 11-राजकुमार वर्मा, 12- अब्बू उर्फ अभिषेक गुप्ता, 13-राहुल शिवहरे, 14-राधेश्याम, 15-मनोज यादव, 16-रवि वर्मा, 17-सुनील वर्मा, 18-रिंकू जाट, 19-घनश्याम यादव सर्व निवासी नरसिंहगढ़ सभी आरोपियों को दिनांक 30.10.11 को गिरफ्तार किया जाकर चालान क्र. 401/24.11.11 कता किया जाकर मान. न्यायालय नरसिंहगढ़ में प्रकरण क्र. 471/06.06.12 को पेश किया गया है। प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है। 2. फरियादी शनि बाथम निवासी नरसिंहगढ़ के रिपोर्ट पर अप.क्र. 300/11 धारा 294, 323, 506, 341, 147, 148 भादवि आरोपीगण 1- पिंकू सक्सेना, 2-लोकेश नाई, 3- गिरीश भण्डारी, 4-गोलू परिहार, 5- रामेश्वर दांगी सर्वनिवासी नरसिंहगढ़ सभी आरोपियों को दिनांक 25.03.12 को गिरफ्तार किया जाकर चालन क्र. 73/25.3.12 कता किया जाकर मान. न्यायालय, नरसिंहगढ़ में प्रकरण क्र. 477/07.6.12 को पेश किया गया है। प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है। 3. फरियादी शिवहरे, निवासी नरसिंहगढ़ की रिपोर्ट पर अप.क्र. 301/11 धारा 294, 323, 506, 43 भादवि का आरोपीगण 1-गिरीश भण्डारी, 2-गोविन्द गूर्जर के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में सभी आरोपियों को दिनांक 02.3.12 को गिरफ्तार किया जाकर चालन क्र. 45/2.3.12 कता किया जाकर मान. न्यायालय नरसिंहगढ़ में प्रकरण क्र. 478/7.6.12 को पेश किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। 4. फरियादी कैलाश चन्द्र नामदेव, चालक, एस.डी.एम. वाहन नरसिंहगढ़ की रिपोर्ट पर अप.क्र. 302/11 धारा 353, 332, 147, 148, 188 भादवि आरोपीगण आक्रोशित भीड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में कोई आरोपी का नाम दर्ज न होने एवं दौराने विवेचना में तमाम प्रयासों के बाद भी आरोपियों का पता न चलने से प्रकरण में खात्मा क्र. 19/12 दिनांक 9.4.12 कता किया गया है। 5. फरियाद दिनेश वर्मा, निवासी नरसिंहगढ़ की रिपोर्ट पर अप.क्र.	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					303/11 धारा 147, 148, 323, 506, 294 भादवि आरोपीगण 1-गोविन्द गुर्जर, 2-पंकज यादव, 3- गिरीश भण्डारी, 4- भयू भाई, 5-रामेश्वर दांगी, 6- पिंकू सक्सेना, 7-सेलू परिहार, 8-अजयपाल सिंह बागड़ी, 9-राशिल अली सिद्धीकी निवासी नरसिंहगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया था । प्रकरण में सभी आरोपियों को दिनांक 22.3.12 को गिरफ्तर किया जाकर चालान क्र. 75/25.3.12 कता किया जाकर मान. न्यायालय, नरसिंहगढ़ में प्रकरण क्र. 479/7.6.12 को पेश किया गया है। प्रकरण मान. न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6127/4987/2012/बी-1/दो, दिनांक 31.12.2012	

जुलाई, 2011 सत्र
(8) सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	81	परि.ता.प्र.सं. 22 (क्र. 263) दि. 12.07.2011	वर्ष 2010-11 में श्रीमती राजकुमारी यादव पत्नी श्री सोमचंद यादव ग्राम बगदरी तहसील बरही की निवासी न होने पर मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के दोषी अधिकारी के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जांच में दोषी पाये गये अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर कटनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये नियंत्रण अधिकारी (कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी) के आदेश क्र. 1403/एबाविसे/स्था./2014 दिनांक 01.10.14 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से आगामी आदेश तक रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** सी-8-16/1/3/2011, दिनांक 19.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
79.	82	अता.प्र.सं. 55 (क्र. 635) दि. 12.07.2011	रायसेन जिले में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	कलेक्टर रायसेन से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में 21 प्रकरण लंबित थे। जिनमें से 19 प्रकरणों का निराकरण पूर्व में किया जा चुका है। शेष 02 प्रकरणों में से एक प्रकरण 07 वर्ष से अधिक अवधि का होने के कारण आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता न होने से प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है तथा अन्य एक प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन द्वारा आवेदिका श्रीमती पूर्वी सक्सेना को संगणक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय की जा चुकी है। इस प्रकार रायसेन जिले के लंबित उक्त दोनों प्रकरणों का निराकरण हो जाने से आश्वासन की पूर्ति हो गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** सी-8-15/2011/1/3, दिनांक 10.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं
80.	83	अता.प्र.सं. 63 (क्र. 682) दि. 12.07.2011	म.प्र. राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो से 5 वर्षों की प्रकरणों की चार बिन्दुओं की मा.सदस्य द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जाना।	ब्यूरो में विगत 5 वर्षों की जानकारी संकलित की गई है जो माननीय विधायक महोदय को भेजी जा रही है।	ब्यूरो द्वारा विगत 05 वर्षों की अवधि की जानकारी अपने पत्र क्रमांक विविध 428 ए/2011 दिनांक 05.07.2011 को माननीय विधायक महोदया को भेजी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 18-16/01/1-10, दिनांक 24.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81.	84	लोक सेवा आयोग अनु.जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010 पर चर्चा. दि. 14.07.2011	लोक सेवा आयोग महिला वर्ग के अंक न्यूनतम कट ऑफ प्वाइंट सामान्य पुरूष वर्ग से ज्यादा होने पर भी साक्षात्कार में न बुलाये जाने की जांच।	इसका परीक्षण करा लेंगे।	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षाओं में आयोग के Rules of Procedure अनुसार परीक्षा परिणाम के अंतर्गत अनारक्षित एवं आरक्षित पदों के लिये पदवार वर्गवार पदों के तीन गुना गुणानुक्रम के आधार पर आवेदकों को अर्ह किया जाता है। प्रत्येक वर्ग के गुणानुक्रम सूची के अंतिम अर्ह आवेदक के प्राप्तांक ही उस वर्ग के कट ऑफ मार्क्स होते है अत: भिन्न-भिन्न श्रेणी के पदवार वर्गवार न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। आरक्षित श्रेणी की महिला वर्ग को आयु में 10 वर्ष की छूट होती है। इसी के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग को आयु में अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट होती है, इन्हें न्यूनतम उत्तीर्णाक में भी 10 प्रतिशत की छूट होती हैं। इन आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जो कि उक्त छूट का लाभ लेते हैं, अनारक्षित वर्ग को देय नहीं होता है। आरक्षित वर्गों के आवेदकों को अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत लेने पर आयु अथवा न्यूनतम उत्तीर्णाक में छूट का लाभ देय नहीं होता है, इसलिये कि आरक्षित वर्ग की महिला एवं अन्य आवेदक अनारक्षित वर्ग में अनर्ह हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में उन महिला आवेदकों को अधिक कट ऑफ मार्क्स के बावजूद अनारक्षित वर्ग में अर्ह नहीं होने के कारण नहीं लिया जाता है। अत: आयोग के Rules of Procedure के अनुसार आरक्षित अर्ह महिलाओं को उनके विज्ञापित पदों के तीन गुना संख्या गुणानुक्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है एवं उनका विधिवत चयन किया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 18-16/11/1-10, दिनांक 24.01.2012	कोई टिप्पणी नहीं
82.	85	ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1919) दि. 19.07.2011	प्रदेश में प्रोटोकाल सूची में विधान सभा सदस्यों को महापौर से उपर रखा जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलित है। (2) हमने प्रोटोकाल लिस्ट बनाई है यह प्रोटोकॉल लिस्ट मंत्री परिषद् की अनुमति के लिये भिजवा दी गयी है और जैसे ही अनुमति प्राप्त होती है वह लिस्ट हम जारी कर देगें। (3) सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विधायिका का और सम्मानीय विधायकों का सम्मान बनाये रखने के लिये जो भी आवश्यक कार्यवाही है वह निश्चित तौर पर हम करेंगे।	इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.12.2011 द्वारा अग्रता अधिपत्र (आर्डर ऑफ प्रसीडेंस) का पुनरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें माननीय विधायकों को महापौर से उपर रखा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 9-13/2011/एक/(1), दिनांक 04.01.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.	86	परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 1231) दि. 19.07.2011	संयुक्त कलेक्टर श्री गौतम सिंह के विरूद्ध शासकीय भूमि के नामांतरण करने की शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	शिकायत की जांच की जा रही है।	श्री गौतम सिंह राप्रसे तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर इंदौर के विरूद्ध शासकीय भूमियों के नामांतरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर आयुक्त इंदौर संभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा कलेक्टर इंदौर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया जाकर परीक्षणोपरांत उक्त शिकायत संबंधी प्रकरण दिनांक 19.7.2012 को नस्तीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-4/09/2011/दो/एक, दिनांक 04.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
84.	87	परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 1699) दि. 19.07.2011	सिंध परियोजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के अलावा विभाग के अन्य अधिकारियों की जांच एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही।	विवेचना में प्राप्त तथ्यों के आधार पर दोषी पाये जाने पर अन्य आरोपियों के विरूद्ध नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में विवेचना के दौरान 31 आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। परियोजना से संबंधित शेष संदेही/आरोपियों की भूमिका की विवेचना द.प्र.सं. की धारा 173(8) के अंतर्गत जारी है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-21/11/1-10, दिनांक 27.01.2012	कोई टिप्पणी नहीं
85.	88	परि.अता.प्र.सं. 104 (क्र. 2130) दि. 19.07.2011	कलेक्टर धार के समक्ष एस.डी.एम. सरदारपुर एवं उनके कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अभद्र व्यवहार की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	जांच अपर कलेक्टर धार द्वारा की जा रही है।	कलेक्टर धार के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/अनुविभागीय दण्डाधिकारी सरदारपुर के तत्कालीन प्रवाचक श्री भगतराम डोडिया सहायक ग्रेड-2 के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अपर कलेक्टर धार द्वारा की गई। अपर कलेक्टर धार के जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.10.2011 के आधार पर श्री भगतराम डोडिया को कार्यालय कलेक्टर धार द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्री डोडिया द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक न होने व अपर कलेक्टर धार के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये कलेक्टर धार के आदेश क्रमांक 259-60/वित्त-1/12 दिनांक 06.01.2012 द्वारा री भगतराम डोडिया तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 सरदारपुर वर्तमान में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बदनावर जिला धार की एक वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 586/6045/2011/दो/एक, दिनांक 08.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86.	89	अता.प्र.सं. 27 (क्र. 1134) दि. 19.07.2011	टीकमगढ़ जिले के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना।	समस्त कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त कर शीघ्र ही उन्हें समयमान वेतनमान व द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिया जावेगा।	**कलेक्टर कार्यालय** - 67 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान दिया जा चुका है। **संचालक कृषि** - 7 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान दिया जा चुका है। **वाणिज्य कर अधिकारी** - कार्यालय 04 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान दिया जा चुका है। **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी** - 517 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान दिया जा चुका है। **जिला कार्यक्रम अधिकारी म.बा.वि.** - 39 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान दिया जा चुका है। **जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र** - 6 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान दिया जा चुका है। **उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें** - 152 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला संयोजक आ.जा.क.वि**- 51 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला शिक्षा अधिकारी** - 243 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **अधीक्षक जिला जेल** - 09 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला पंजीयक** - 10 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जल संसाधन** - 69 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **वन विभाग** - 72 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **मत्स्य विभाग** - 12 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला पंचायत** - 29 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **अधीक्षक आर्युवेद** - 52 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला आबकारी** - 06 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी** - 30 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला जनसंपर्क** - 05 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **भू-अभिलेख** - 55 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला कोषालय** - 16 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **जिला योजना** - 02 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **लोक निर्माण** - 34 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान दिया जा चुका है। **उप संचालक एवं सामाजिक न्याय** - 18 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी समयमान	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					दिया जा चुका है। टीकमगढ़ जिले के अधीनस्थ विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान व द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ दिनांक 31.03.12 की स्थिति में दिया जा चुका है । उक्त तिथि में कोई भी पात्र कर्मचारी वांछित लाभ हेतु शेष नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** सी-8/21/1/3/2011, दिनांक 30.08.2012	
87.	90	अता.प्र.सं. 50 (क्र. 1581) दि. 19.07.2011	पन्ना जिले के विभिन्न कार्यालयों में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत एक वर्ष में भेजे गये पत्रों पर कार्यवाही ।	पत्रों पर कार्यवाही प्रचलित है ।	विगत एक वर्ष में विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त सभी 28 पत्रों का निराकरण किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-38/2011/1/4, दिनांक 16.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
88.	91	अता.प्र.सं. 108 (क्र. 2127) दि. 19.07.2011	राज्य शासन के विभिन्न विभागों निगम, मण्डल, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं एवं ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विभागों द्वारा नियमितीकरण न किया जाकर सीधी भर्ती से पद भरे जाने पर रोक लगा कर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना ।	नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।	विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 2127 का उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-8-17/011/1-3, दिनांक 13.07.2011 द्वारा भेजा गया था । उत्तर के प्रकाश में उद्‌भुत आश्वासान क्र. 91 की पूर्ति हेतु पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2012 द्वारा विधान सभा सचिवालय को जानकारी भेजी गई थी । विधान सभा सचिवालय द्वारा पुन: पत्र दिनांक 09.04.2014 द्वारा विभागवार अद्यतन जानाकरी चाही गई थी । तत्संबंधी में शासन के समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र दिनांक 23.12.13 एवं स्मरण दिनांक 15.4.14 लिखा गया है । उक्त संबंध में प्राप्त 22 विभागों की एकजाई जानकारी विधान सभा सचिवालय को पत्र दिनांक 01.5.14 द्वारा भेजी गई है । वर्तमान में 26 विभागों से जानकारी आना है । इस हेतु निम्नांकित दिनांकों में स्मरण कराए गए हैं :- 1. दिनांक 05.06.2014 2. दिनांक 28.07.2014 3. दिनांक 15.09.2014 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** सी-8-17/2011/1/3, दिनांक 10.12.2014	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(9) आयुष विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
89.	94	अता.प्र.सं. 61 (क्र. 670) दि. 12.07.2011	बालाघाट जिले के बैहर एवं परसवाड़ा में जर्जर औषधालय भवन की मरम्मत।	बजट की उपलब्धता के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।	बालाघाट जिले के बैहर एवं परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालय के निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव, भारत शासन को प्रेषित किया गया है जिनमें आयुर्वेद औषधालय-जत्ता, खुरमुण्डी, डोडा, मेहगांव, बीजाटोला एवं मोहनपुर को सम्मिलित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-68/2011/1/59, दिनांक 21.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
90.	95	अता.प्र.सं. 73 (क्र. 1839) दि. 19.07.2011	सागर जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण किया जाना।	भूमि आवंटन पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।	शासकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सागर को कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्र. 482/नजूल/2012, दिनांक 15.01.2012 द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-17/12/1/59, दिनांक 14.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
91.	109	ता.प्र.सं. 10 (क्र. 2115) दि. 19.07.2011	(1) आयुष विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरना एवं सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि की जाना। (2) आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापकों की सीधी भर्ती पर लगे स्थगन को रिक्त कराकर रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	(1) आने वाले समय में 400 चिकित्सकों को व्यापन के माध्यम से संविदा नियुक्ति लिखित परीक्षा के बाद देगें इस प्रकार लगभग 1000 डॉक्टर हौम्योपेथी आयुर्वेदिक के इस वर्ष या इस वर्ष के अंत तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध करा देगें। (2) हम इसको तत्काल कोशिश में है किये बेकेट हो जाना ताकि जो आयुर्वेदिक कॉलेज में हमारी सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगी है वह रोक शीघ्र हट जाये।	लोक सेवा आयोग से चयनित 700 आयुर्वेद चिकित्सकों की पदस्थापना विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2016 द्वारा की जा चुकी है एवं विभागीय आदेश दिनांक 06.08.2015 द्वारा 112 होम्योपैथी चिकित्सकों एवं 24 यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की जा चुकी है। उक्त आयुष चिकित्सकों में से जो जिस विषय में पी.जी. किये हुये थे, उनकी पदस्थापना महाविद्यालयों में प्राध्यापक के पद के विरूद्ध की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-06/78/2011/1/59, दिनांक 24.04.2019	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(10) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
92.	130	ता.प्र.सं. 02 (क्र. 679) दि. 12.07.2011	(1) खातेगांव एवं कन्नौद अस्पतालों के प्रा.स्वा. एवं उप स्वा. केन्द्रों पर डॉक्टरों एवं कम्पाउडरों के रिक्त पदों की पूर्ति। (2) ऐसे उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें डॉक्टर नहीं है वहां कम्पाउण्डर की नियुक्ति को सुनिश्चित किया जाना।	(1) कुछ कम पहुँचे है तो हम इसको दिखा लेते है और वहां पर पहुंचने की व्यवस्था करवा लेंगे और दो और है जैसा की मा.विधायक जी ने कहा है उनको भी पहुँचवा देंगे। (2) ठीक है अध्यक्ष महोदय।	(1) खातेगांव में चिकित्सा अधिकारी के 02 पद स्वीकृत एवं 02 चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत है। सिविल अस्पताल, कन्नौद में 02 विशेषज्ञ पदस्थ होकर कार्यरत हैं एवं चिकित्सा अधिकारी के 03 पद स्वीकृत एवं 03 चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बावड़ीखेड़ा, कुसमानिया, आमला, नेमावर, संदलपुर में चिकित्सक पदस्थ होकर कार्यरत हैं। आदेश दिनांक30.04.2020 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पानीगांव में बंधपत्र चिकित्सक की पदस्थापना की गई है। (2) उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कम्पाउण्डर का पद स्वीकृत नहीं होता। वहां ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. के पद स्वीकृत हैं। अत: निर्धारित सेटअप के अनुसार कम्पाउण्डर की नियुक्ति की जाना संभव नहीं होगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3139/2846/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 24.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
93.	131	ता.प्र.सं. 05 (क्र. 408) दि. 12.07.2011	खाचरोद शा.चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति।	(1) जैसे ही पी.एस.सी. से आता है तो हम माननीय सदस्य के यहां पदस्थ करेंगे। (2) जैसे ही व्यवस्था होती है हम कर देंगे।	खाचरोद शासकीय चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों के एन.आर.एच.एम. के पद स्वीकृत नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4056/2789/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 22.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
94.	132	ता.प्र.सं. 09 (क्र. 175) दि. 12.07.2011	(1) वर्ष 2007-08 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना में लोक स्वा.विभाग के तहत टीकाकरण हेतु आशा कार्यकर्ता को मानदेय समय पर दिया जाना एवं (2) साईकिल खरीदी हेतु दी गई राशि न पहुँचने की जांच।	(1) समय पर राशि जमा होगी इसको सुनिश्चित करेंगे की राशि समय पर जमा हो। (2) उसको भी दिखवा लूंगा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुरैना आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण एवं अन्य भुगतान कर दिये गये हैं। समस्त भुगतान माहवार नियमित रूप से किये जा रहे हैं। सभी आशा कार्यकर्ताओं को साईकिल की राशि प्रदान की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4582/3264/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 05.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
95.	133	ता.प्र.सं. 14 (क्र. 663) दि. 12.07.2011	भिण्ड जिले के लहार क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	मैं उसको दिखवा लेता हूँ और बहुत जल्दी इनकी व्यवस्था करा दूंगा।	संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के आदेश क्र. 1-जी/ विज्ञप्त/सेल-संविदा/12/867-जी, भोपाल दिनांक 30.04.2012 द्वारा भिण्ड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दबोह में डॉ. मुकेश सिंह भदौरिया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहोना में डॉ. माता प्रसाद राजपूत की पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 528/4133/2012/17/मेडि-1, दिनांक 18.02.2013	कोई टिप्पणी नहीं
96.	134	ता.प्र.सं. 17 (क्र. 507) दि. 12.07.2011	वि.स. के ता.प्र.सं. क्र. 470 दिनांक 23.2.11 के संदर्भ में राजगढ़ जिला चिकित्सालय को वर्ष 2010-11 में उपलब्ध कराये बजट की एक योजना की तीन मदो की राशि लैप्स होने की जांच एवं कार्यवाही।	शीघ्र आडिट कराया जायेगा आडिट उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	वि.स. के ता.प्र.सं. 470 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ कार्यालय से संबंधित है। जिसका आडिट परीक्षण कराया गया जिसमें डॉ. सी.डी. शर्मा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ को दोषी पाया गया। जिस हेतु डॉ. शर्मा को म.प्र. सिविलसेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने बावत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17/144/2011/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 06.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
97.	135	ता.प्र.सं. 21 (क्र. 689) दि. 12.07.2011	सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में सीतामऊ व सुवासरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का समय सीमा में निर्माण कराकर लोकार्पण किया जाना।	यथाशीघ्र।	(1) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में सीतामऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य दिनांक 15.09.2012 को पूर्ण किया जाकर दिनांक 29.09.2012 को लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है। (2) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सुवासरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण कार्य हेतु शासन के पत्र क्रमांकएफ 12-45/ 2013/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 12.09.2013 द्वारा रूपये 135.35 की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-32/2014/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 03.03.2014	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
98.	136	ता.प्र.सं. 24 (क्र. 466) दि. 12.07.2011	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत परिवार स्वास्थ्य कार्डस मुद्रित करने के पूर्व ही मेसर्स आदर्श प्रिंटर्स इंदौर को लाखों का भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।	डॉ. योगीराज शर्मा, से.नि. संचालक की न्यूनतम पेंशन छोड़कर शेष पेंशन स्थायी रूप से रोके जाने एवं उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने तथा हानि की राशि रूपये 110.62 लाख की वसूली के लिये आर.सी.सी. जारी करने का प्रशासकीय निर्णय लिया जा चुका है। चूंकि डॉ. योगराजशर्मा से.नि. हो चुके हैं। अत: प्रकरण में उपरोक्त कार्यवाही को मंत्रि-परिषद से भी अनुमोदन करवाया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1375/2438/2018/17/मेडि-एक, दिनांक 13.06.2018	कोई टिप्पणी नहीं
99.	137	परि.ता.प्र.सं. 09 (क्र. 168) दि. 12.07.2011	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लांजी की सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने की मा.स्वास्थ्य मंत्रजी जी की जुलाई-अगस्त, 2010 में की गई घोषणा का क्रियान्वयन।	कार्यवाही प्रचलित है।	30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लांजी को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन करने की शासन स्वीकृति दिनांक 7.12.2011 को प्रदान की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-137/2011/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
100.	138	परि.ता.प्र.सं. 11 (क्र. 176) दि. 12.07.2011	खडियाहार जिला मुरैना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन हेतु विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाना।	शीघ्र एक्सरे सुविधा उपलब्ध हो जावेगी।	खडियाहार जिला मुरैना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन हेतु विद्युत व्यवस्था माह अगस्त 2011 से उपलब्ध करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 871/996/2013/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 04.06.2013	कोई टिप्पणी नहीं
101.	139	परि.ता.प्र.सं. 26 (क्र. 299) दि. 12.07.2011	मण्डला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी बंजर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना एवं रिक्त पदों की पूर्ति।	(1) शीघ्र शुरू किया जावेगा। (2) यथासंभव।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बम्हनी बंजर के भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इस संस्था में डॉ. संतोष मरावी चिकित्सा अधिकारी दिनांक 29.08.2013 एवं डॉ. रिद्धी कुमार गुप्ता चिकित्सा अधिकारी की दिनांक 10.8.2015 को पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 53/2087/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 18.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं
102.	140	परि.ता.प्र.सं. 30 (क्र. 374) दि. 12.07.2011	रोग निदान केन्द्र भानपुरा जिला मंदसौर में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	एन.एच.एम. कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सिविल अस्पताल भानपुरा जिला मंदसौर के अंतर्गत वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 में 01 संविदा चिकित्सक, 01 संविदा फार्मासिस्ट, 01 संविदा ए.एन.एम. की नियुक्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4084/2792/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
103.	141	परि.ता.प्र.सं. 46 (क्र. 589) दि. 12.07.2011	ता.प्र.क्र. 4 (क्र.3662) के संदर्भ में श्री आर.जी. मिश्रा स्टोर कीपर (वर्तमान में निलंबित मुख्यालय राजगढ़) को डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका के आधार पर अनियमित रूप से सभी लाभ दिये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण में जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	श्री मिश्रा की भोपाल में पदस्थापना के दौरान परिवीक्षा अवधि में नियमितीकरण नियुक्तिकर्ता अधिकारी, सी.एम.एच.ओ. खण्डवा द्वारा किया जाना यद्यपि नियमानुकूल नहीं है। तत्कालीन सी.एम.एच.ओ. डॉ. एस.सी. व्यास वर्ष 2002 में शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा तत्कालीन स्थापना लिपिक श्री योगेन्द्र भगत का स्वर्गवास वर्ष 2009 में हो चुका है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 (2) (बी) (II) के अनुसार किसी भी शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति के उपरांत 4 वर्ष पूर्व की किसी भी घटना के लिये उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। अत: तत्कालीन सी.एम.एच.ओ. डॉ. व्यास के विरूद्ध इस प्रकरण में अब कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। संचालनालय के पत्र क्रमांक 926-एस दिनांक 30.09.2016 द्वारा परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नहीं किये जाने के संबंध में एकजाई निर्देश जारी किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1419/2459/2018/17/मेडि-1, दिनांक 13.06.2018	कोई टिप्पणी नहीं
104.	142	अता.प्र.सं. 08 (क्र. 219) दि. 12.07.2011	कटनी जिले में शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ द्वारा की गई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	क्रमांक 09 एवं 10 की जांच की जा रही है।	श्री रामप्रसाद लढ़िया द्वारा शासकीय चिकित्सालय, कटनी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रीठी में घटित घटनाओं तथा शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी के लापरवाही प्रबंधनकर्ताओं, चिकित्सकों, नर्सों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी शिकायती पत्रों की जांच संचालनालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी से कराई गई। जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं होने पर किसी अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही प्रदर्शित नहीं होने पर शिकायत नस्तीबद्ध की अनुशंसा की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3034/3718/2016/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 02.09.2016	कोई टिप्पणी नहीं
105.	143	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 272) दि. 12.07.2011	कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सामुदायिक स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पदों की पूर्ति।	जी हां।	(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विजयराघवगढ़ में संचालनालय के आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2012/289, दिनांक 15.02.2012 के द्वारा डॉ. सीमा शिवहरे की संविदा चिकित्सक के रूप में पदस्थापना की गई है। (2) कटनी जिले की विभिन्न संस्थाओं में बंधपत्र के अनुक्रम में संचालनालय के आदेश क्रमांक 1 जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2012/ 867, दिनांक 30.0430.04.2012 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवरीहटाई, रीठी, बसाडी, ढीमरखेडा में 04 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-**	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					287/3985/2012/17/मेडि-1, दिनांक 14.02.2017	
106.	144	अता.प्र.सं. 34 (क्र. 401) दि. 12.07.2011	नागदा खाचरौद वि.स. के चिरोला, नंदियासी, कमठाना, अर्जला, नरसिंहगढ़, कनवास, रूनखेड़ा, चांपानेर, मोकड़ी, केशरिया, श्रीवच्छ, भैसोला, बड़ागांव, संदला, हतई, विरियाखेड़ी, वेडावन्या, घिनोदा, बटलावदी, भीकमपुर, पचलासी, बेरछा एवं माटीसुड़ा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/नर्स स्टाफ के स्वीकृत पदों की पूर्ति।	प्रशिक्षण उपरांत पदस्थ किया जावेगा।	नागदा खाचरौद विधानसभा के चिरौला, नंदियासी, कमठाना, अर्जला, नरसिंहगढ़ कनवास रूनखेड़ा, चांपानेर, मोकड़ी, केशरिया, श्रीवच्छ, भैसोला, बड़ागॉव, संदला, हतई, विरियाखेड़ी, वेडावन्या, घिनोदा, बटलावदी, भीकमपुर, पचलासी, बेरछा एवं माटीसूड़ा उप स्वा. केन्द्रों में चिकित्सकों/स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत नहीं है। उक्त सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत है तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थ है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3693/6366/2014/17/मेडि-एक, दिनांक 06.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं
107.	145	अता.प्र.सं. 58 (क्र. 660) दि. 12.07.2011	ग्रामीण अंचलो व विकासखण्ड एवं तहसील स्तर पर संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त पदों की पूर्ति के प्रयास निरंतर जारी है।	शासन आदेश क्रमांक एफ 2-2/2011/17/मेडि-1, दिनांक 19.04.2011 के द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित 570 चिकित्सकों की पदस्थापना प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में की गई है। संविदा के अंतर्गत 249 संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में की गई है। वर्ष 2011 में बंधपत्र के अनुक्रम में 530 स्नातक चिकित्सकों एवं 265 स्नातकोत्तर चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। आदेश दिनांक 09 मई 2012 के द्वारा बंधक्रम के अनुक्रम में 365 स्नातक चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 1976 में से 1459 चिकित्सकों की ग्रामीण अंचलों व विकासखण्ड एवं तहसील स्तरों पर चिकित्सकों के पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3499/2845/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 14.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
108.	146	ता.प्र.सं. 03 (क्र. 1837) दि. 19.07.2011	सागर जिला अस्पताल में निर्मित नवीन डफरिन महिला प्रसूति भवन के प्रथम तल का निर्माण।	हम शीघ्र ही उस पर कार्य चालू करने वाले है।	सागर जिला अस्पताल में निर्मित डफरिन महिला प्रसूति भवन के प्रथम तल का निर्माण पी.आई.यू. लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है एवं लगभग पूर्ण की स्थिति में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1387/1670/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं

109.	147	ता.प्र.सं. 05 (क्र. 929) दि. 19.07.2011	जिला चिकित्सालय सागर में दवाईयों के लिए बजट उपलब्ध कराई जाना।	(1) हमने मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि सागर जिले को अतिरिक्त फण्ड उपलब्ध कराया जाये। (2) हम निर्देश देगें संभागीय चिकित्सा अधिकारी उसे देखे कि जो दवाएं नहीं है उसकी वहां व्यवस्था कराएं। (3) शेष हम कोशिश करेगें कि आने वाले समय में सारी औषधियां सागर जिले को मिल जाए। (4) अगर कमी है तो यहां से एक अधिकारी भेजकर दिखवा लूंगा कि वह दवाई क्यों नहीं खरीदी गई।	संचालनालय द्वारा वर्ष 2011-12 में औषधि क्रय हेतु राशि रू. 12825911/- जिला चिकित्सालय सागर को आवंटित की गई थी। तत्समय में सभी आवश्यक औषधियां जिले में उपलब्ध करायी गयी थी एवं वर्तमान में भी सभी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करायी गई है। जिसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-171-541/590/2014/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 27.05.2014	कोई टिप्पणी नहीं
110.	148	ता.प्र.सं. 06 (क्र. 1793) दि. 19.07.2011	(1) सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भवन विहिन सामुदायिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन का निर्माण तथा रिक्त पदों की पूर्ति की जाना। (2) सबलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनुपस्थित रहकर चिकित्सक डाइड खुद का चिकित्सालय चलाये जाने पर उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाना। (3) सबलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाना।	(1) उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की कार्यवाही भूमि उपलब्ध होने पर शीघ्र प्रारंभ की जावेगी। (2) इस डॉक्टर को में तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। (3) जैसे-जैसे हमारे पास गाडिया आयेगी हम जिलों को देते जायेंगे।	(1) उप स्वास्थ्य केन्द्र गुरैमा, जावरौल का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। उप स्वास्थ्य केन्द्र पासोनखुर्द के लिये भूमि आवंटन की कार्यवाही जारी है। उप स्वास्थ्य केन्द्र पिपरधान का पुराना भवन तोडकर शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ़ में दिनांक 12.7.2012 के द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सक की पदस्थापना की गई तथा दिनांक 30.03.2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टैटरा में डॉ. शैलेन्द्र कुमार की पदस्थापना की गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलारस में डॉ. राज किशोरी डण्डोतिया की पदस्थापना दिनांक 30.4.2012 को की गई है। (2) डॉ. रेवानन्द शर्मा, स.श.चि. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सबलगढ़ जिला मुरैना को दिनांक 19.07.2011 को निलंबित किया गया। (3) एम्बुलेंस क्रय कर ली गई है, शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-254/2012/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 10.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं
111.	149	ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1950) दि. 19.07.2011	भिण्ड जिले में वर्ष 2008-09 से प्रश्न दिनांक तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा अन्य पदों की भर्ती में स्वास्थ्य विभाग एवं रोजगार कार्यालय में	विभाग के जो हमारे डायरेक्टर है, उनको निर्देशित करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की छानबीन करके वास्तविक तथा शासन के सामने	विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में विभागीय जांच संस्थित कर इन शिकायतों की जांच कराई गई। जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारी, भिण्ड (वर्तमान में सेवानिवृत्त) के विरूद्ध राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-	कोई टिप्पणी नहीं

			अनियमितता किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	रखे। मैं इस पूरे प्रकरण की जांच करा लूंगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये और जो भी दोषी अधिकारी रहेगा जिसने भी गडबडी की होगी उसको बख्शा नहीं जायेगा। जांच में दोषी पाये जायेगें तो उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।	03/2009/17/मेडि-1 दिनांक 23.08.2009 द्वारा आचरण नियमों का पालन नहीं करने एवं पदीय कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उनके विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। फलस्वरूप शासन की उक्त कार्यवाही से उपरोक्त आश्वासन की अभिपूर्ति हो जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1361/2434/2018/17/मेडि-एक, दिनांक 13.06.2018	
112.	150	ता.प्र.सं. 01 (क्र. 255) दि. 19.07.2011	गंज बासौदा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया में है।	शासन आदेश क्रमांक एफ 1-21/2011/17/मेडि-1, दिनांक 16.07.2012 के द्वारा 02 नेत्ररोग विशेषज्ञों की पदस्थापना सिविल अस्पताल, गंजबसौदा, जिला विदिशा की गई है। 02 चिकित्सा अधिकारियों एवं 02 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति सिविल अस्पताल, बासोदा में की गई है। संचालनालय के आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/12/867-जी, भोपाल दिनांक 30.04.2012 के द्वारा बंधपत्र के अनुक्रम में गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्यौंदा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयपुर में चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4595/4127/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 05.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
113.	151	ता.प्र.सं. 24 (क्र. 1904) दि. 19.07.2011	ग्वालियर तथा चंबल संभाग में नेत्र रोग चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	ग्वालियर संभाग अंतर्गत जिला चिकित्सालयों में पदस्थ नेत्र विशेषज्ञ/चिकित्सक की स्थिति निम्नानुसार है:- जिला चिकित्सालय, ग्वालियर - स्वीकृत-01 पदस्थ-06 जिला चिकित्सालय, अशोकनगर - स्वीकृत-02 कार्यरत- 01 जिला चिकित्सालय, शिवपुरी - स्वीकृत-02 कार्यरत - 03 जिला चिकित्सालय, गुना - स्वीकृत-02 कार्यरत – 04 जिला चिकित्सालय, श्योपुर - स्वीकृत-01 कार्यरत – 02 जिला चिकित्सालय, भिण्ड - स्वीकृत-02 कार्यरत - 01 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 356/241/2017/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 30.01.2017	कोई टिप्पणी नहीं

114.	152	परि.अता.प्र.सं. 07 (क्र. 642) दि. 19.07.2011	ब्यावरा विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति ।	रिक्त पदों के भरने के प्रयास निरंतर जारी है ।	ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. के.के. शर्मा, निश्चेतना विशेषज्ञ, डॉ. कुशल भरंग, चिकित्सा अधिकारी एवं कु. मनीषा बेले, कु. निशा भूमरकर, कु. सीमा राजपूत, कु. सी.बी. थामस, कु. टीना रानी थामस, कु. चित्रा राठौर, कु. सरिता पाटनकर, कु. भावना अजमेरा, कु. अलका बामने, कु. राधा रघुवंशी, श्रीमती प्रीति देशमुख स्टाफ नर्सों की पदस्थापना सिविल अस्पताल ब्यावरा में की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4561/4377/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 05.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
115.	153	परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 852) दि. 19.07.2011	सागर जिले के खुरई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 100 बिस्तरों में उन्नयन किया जाने हेतु राशि का आवंटन की मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन ।	प्रकरण प्रक्रियाधीन है ।	वर्ष 2010-11 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में राशि रूपये 251.23 लाख का प्रतीक प्रावधान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-225/2012/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 21.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
116.	154	परि.अता.प्र.सं. 18 (क्र. 908) दि. 19.07.2011	मांधाता विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूंदी तथा किल्लौद में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति ।	रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग निरंतर प्रयासरत है ।	शासन आदेश दिनांक 23.12.2011 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किल्लौद में लोक सेवा आयोग से चयनित एक नियमित चिकित्सक डॉ. आन्नद कुमार ओंकार की पदस्थापना की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मूंदी में एक नियमित एवं एक बंधपत्र चिकित्सक पदस्थ है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-16-24/2011/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 10.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं
117.	155	परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 1384) दि. 19.07.2011	जिला सीधी के सिंहावल एवं सिंगरौली के विकासखण्ड देवसर के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिकत पदों की पूर्ति ।	मात्र बैकलॉग पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है ।	जिला सीधी के सिंहावल विकासखण्ड अंतर्गत डॉ. सुशील कुमार गुप्ता, संविदा चिकित्सक एवं सोमेश्वर पटेल, वार्डवाय की सी.एच.सी. सिंहावल में तथा श्री विश्वनाथ प्रसाद शर्मा, ड्रेसर एवं श्रीमती उर्मिला पाण्डे, भृत्य की प्रा. स्वा. केन्द्र नाकझर में पदस्थापना की गई है। जिला सिंगरौली के अंतर्गत डॉ. विजय सागरिया, डॉ. कु. रंजना सिंह, डॉ. अभि मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी तथा श्री संतोष कुमार तिवारी, पु. स्वा. कार्यकर्ता एवं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, श्रीमती रत्ना पटेल, श्रीमती उषा कुशवाह एवं श्रीमती मीरा बघेल मिहला स्वा. कार्यकर्ता की पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4556/4355/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 05.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं

118.	156	परि.अता.प्र.सं. 38 (क्र. 1418) दि. 19.07.2011	जिला कटनी में डाटा एण्ट्री आपरेटर की नियुक्ति में रोस्टर प्रणाली का पालन न किये जाने की जांच तथा दी गई संपूर्ण नियुक्तियां निरस्त कर पुन: नियुक्तियां की जाना।	(1) जी हां। (2) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर कटनी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी कार्यालय में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की नियुक्तियों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2254/1969/2013/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 11.09.2013	कोई टिप्पणी नहीं
119.	157	परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 1500) दि. 19.07.2011	विधान सभा क्षेत्र सेधवा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर कार्यवाही।	स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है।	विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण हेतु मान. मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणानुसार भूमिका चयन कर लिया गया है तथा अस्पताल निर्माण हेतु 587.64 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। पी.आई.यू. द्वारा उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की गई है परंतु अभी तक निविदा अप्राप्त है चतुर्थ निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-22/2012/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 26.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
120.	158	परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 1838) दि. 19.07.2011	जिला चिकित्सालय सागर में रोगियों के सहयोगियों के लिये धर्मशाला का निर्माण किया जाना।	धर्मशाला निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है।	जिला चिकित्सालय सागर में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से निर्माण एजेंसी म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा रूपये 113.65 लाख की लागत से धर्मशाला एवं 22 दुकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिनांक 11.07.2011 को प्रभारी मंत्री जिला सागर द्वारा भूमि पूजन पश्चात निर्माण कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-231/2012/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 11.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
121.	159	परि.अता.प्र.सं. 71 (क्र. 1876) दि. 19.07.2011	सिविल अस्पताल सिहोरा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डम में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति।	पद पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है।	डॉ. सुमित सिसोदिया, चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना सिविल अस्पताल सिहोरा एवं डॉ. मधुबाला मर्राफे, चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुण्डम जिला जबलपुर की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 145/1519/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 10.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं

122.	160	परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 1940) दि. 19.07.2011	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के कार्यालय के कम्पाण्डर कम सहायक स्टोर कीपर द्वारा वर्ष 1996 से स्टोर कीपर के उपर वेतनमान का लाभ लेने के प्रकरण की जांच एवं कार्यवाही।	(1) उत्तर प्राप्त होते ही यथोचित कार्यवाही की जावेगी। (2) शीघ्र जांच पूर्ण कर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग द्वारा जांच उपरांत आदेश पृ.क्रमांक/संभाग/स्टेनो/2011/7098 दिनांक 08.09.2011 जारी कर श्री प्रेम बाबू बरूआ को दिनांक 28.12.1995 से उनके मूल पद कम्पाउण्डर कम सहायक स्टोर कीपर/कम्पाउण्डर के पद पर पदस्थ किया गया एवं स्टोर कीपर के पद पर रहते हुए इनके द्वारा जो वेतनमान आदि वित्तीय लाभ लिये गये हैं उसकी वसूली आदेश पृ.क्र. संभाग/लेखा/11/9093 दिनांक 29.11.2011 द्वारा अधिक भुगतान रूपये 127579/- की वसूली 36 किस्तों में वसूली के आदेश किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3598/2824/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 23.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
123.	161	परि.अता.प्र.सं. 79 (क्र. 1980) दि. 19.07.2011	क्षय चिकित्सालय भोपाल में माननीय मंत्री की चिकित्सकों द्वारा लापरवाही बरतने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाने की घोषणा के क्रियान्वयन में अधीक्षक के पत्र पर की गई कार्यवाही।	शेष कार्यवाही प्रचलित है।	डॉ. ए.एन. सिंह, चिकित्सा अधिकारी क्षय चिकित्सालय को शासन की आदेश दिनांक 16.07.2015 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय सीहोर स्थानांतर किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1630/2169/2017/17/मेडि-1, दिनांक 07.07.2017	कोई टिप्पणी नहीं
124.	162	परि.अता.प्र.सं. 87 (क्र. 2035) दि. 19.07.2011	हरदा जिले के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक एवं खून चढ़ाने की व्यवस्था चालू की जाना।	यथाशीघ्र।	कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक व्ही/28सी/जी/04/5633 भोपाल दिनांक 07.05.2012 को हरदा जिले में स्थित जिला चिकित्सालय को ब्लड बैंक संबंधी लायसेंस प्रदान किया जा चुका है। दिनांक 16.05.2012 से हरदा जिले के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक एवं खून चढ़ाने की व्यवस्था चालू कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 156/216/2012/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 07.02.2014	कोई टिप्पणी नहीं

125.	163	परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 2141) दि. 19.07.2011	छतरपुर जिले में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्थानीय स्तर पर दवाओं के क्रय करने में हुई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही।	जांच पूर्ण हो जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा जांच अभिमत से भी अवगत किया जायेगा।	विभागीय आदेश क्रमांक 1749/809/2016/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 20.7.2017 द्वारा प्रकरण में डॉ. गिरीश चौरसिया, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सा छतरपुर को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने एवं शासन को पहुंचायी गयी हानि रूपये 23,87,770 की वसूली की शास्ति से उन्हें दण्डित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1138/1317/2018/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 18.09.2018	कोई टिप्पणी नहीं
126.	164	अता.प्र.सं. 10 (क्र. 570) दि. 19.07.2011	रतलाम जिले की विधानसभा क्षेत्र जावरा के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु माननीय विधायकों के पत्र पर की गई कार्यवाही।	शेष प्रक्रियाधीन है।	विधानसभा क्षेत्र जावरा के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में दिनांक 09.07.2011 के पश्चात 14 चिकित्सा अधिकारी, 07 स्टाफ नर्स, O8 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, O3 फार्मासिस्ट, O6 लैबटेक्नीशियन, O2 सहायक वर्ग दो, O1 कैशियर, O5 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, O1 सुपरवाईजर, O1 भृत्य, O3 वार्डबाय (कुल 51 शासकीय सेवक) की पदस्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3032/3692/2016/17/मेडि-एक, दिनांक 02.09.2016	कोई टिप्पणी नहीं
127.	165	अता.प्र.सं. 12 (क्र. 651) दि. 19.07.2011	राजगढ़ जिले में सेंटर फॉर एण्ड एज्यूकेशन सोसायटी ब्यावरा में कार्यरत श्रीमती सौंध्या आश कार्यकर्ता को मानदेय का भुगतान।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जांच उपरांत नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ द्व्रारा जांच कर सूचित किया गया कि श्रीमती इक्लेश बाई सोंध्या का ग्रामसभा के प्रस्ताव एवं पंचायत के अनुमोदन कर ग्राम बेरखेड़ी, विकासखण्ड ब्यावरा में आशा के रूप में अगस्त 2011 में चयन किया जा चुका है। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती इक्लेस बाई द्वारा आशा के रूप में कार्य किया एवं टीकाकरण, एएनसी का भुगतान खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुठारिया जिला राजगढ़ द्वारा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2276/746/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 05.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं

128.	166	अता.प्र.सं. 17 (क्र. 821) दि. 19.07.2011	अलीराजपुर जिले में चिकित्सक अधिकारी/कर्मचारी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	रिक्त पदों के भरन की कार्यवाही निरंतर प्रक्रिया में है।	आदेश दिनांक 23.12.2011 के द्वारा अलीराजपुर जिले में 06 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है एवं संविदा अंतर्गत 02 चिकित्सकों की नियुक्ति संचालनालय के आदेश दिनांक 15.02.2012 के द्वारा की गई है एवं 01 स्टाफ नर्स को अलीराजपुर जिला आवंटित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2489/2210/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 05.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
129.	167	अता.प्र.सं. 20 (क्र. 917) दि. 19.07.2011	दतिया जिले के औषधि निरीक्षक के सेवढ़ा दौरा की जांच कराने के संबंध में मा.सदस्य श्री राधेश्लाल बघेल द्वारा लिखे गये पत्र पर कार्यवाही की जाना।	जांच प्रारंभ की जा रही है।	दतिया जिले के औषधिक निरीक्षक के सेवढ़ा, जिला दतिया के दौरे की जांच की गई एवं पाया गया कि औषधि निरीक्षक द्वारा सेवढ़ा के आठ औषधि विक्रेताओं के निरीक्षण किये गये थे, जिनके नाम निम्नानुसार है:- 1. मेसर्स अग्रवाल मेडिकल स्टोर, सेवढ़ा, जिला दतिया 2. मेसर्स न्यू गर्ग एजेंसीज, सेवढ़ा, जिला दतिया 3. मेसर्स आकांक्षा मेडिकल एजेंसीज, सेवढ़ा, जिला दतिया 4. मेसर्स चौहान मेडिकल स्टोर, सेवढ़ा, जिला दतिया 5. मेसर्स पितम्बरा मेडिकल स्टोर, सेवढ़ा, जिला दतिया 6. मेसर्स आर्शीवाद ड्रग स्टोर, सेवढ़ा, जिला दतिया 7. मेसर्स शिवानी मेडिकल स्टोर, सेवढ़ा जिला दतिया 8. मेसर्स गणेश मेडिकल स्टोर, सेवढ़ा, जिला दतिया औषधि निरीक्षक द्वारा नियमानुसार निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट बनाई गई है। जिससे उनके द्वारा सेवढ़ा के औषधि विक्रेताओं के निरीक्षण किया जाना पाया गया है तथा एक्सपायरी डेट की दवाईयों का विक्रय नहीं होना पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3596/2745/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 23.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
130.	168	अता.प्र.सं. 21 (क्र. 933) दि. 19.07.2011	सागर जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर का निर्माण किया जाना।	निविदा प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार स्वीकृत की कार्यवाही के पश्चात् यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जावेगा।	सागर जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश क्रं. 1321 दिनांक 15.09.2011 जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1132/1259/2014/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 24.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं

131.	169	अता.प्र.सं. 30 (क्र. 1149) दि. 19.07.2011	जे.एस.आर. इटारसी शासकीय चिकित्सालय की बिस्तर क्षमता के आधार पर पदो/दवाईयों के वितरण हेतु आदेश जारी किया जाना।	परीक्षण उपरांत यथोचित निर्णय लिया जावेगा।	जे.एस.आर. इटारसी जिला होशंगाबाद को 160 बिस्तर के मान से आवश्यक पदों की पूर्ति कर दी गई है। औषधि हेतु नियमित बजट से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4074/2014/17/मेडि-1, दिनांक 17.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
132.	170	अता.प्र.सं. 31 (क्र. 1150) दि. 19.07.2011	शासकीय धन को कोषालय से आहरित कर अन्यत्र खाते में जमा करने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद के संपूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही।	जी हां तीन माह में।	संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल संभाग भोपाल से प्रकरण की जांच कराई गई जिसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 869/100/2013/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 04.06.2013	कोई टिप्पणी नहीं
133.	171	अता.प्र.सं. 49 (क्र. 1534) दि. 19.07.2011	संचालनालय में नर्सिंग शाखा में पदस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही कर उनका अन्य शाखा में अन्यत्र स्थानांतरण किया जाना।	जांच में गुण दोष के आधार पर त्वरित कार्यवाही की जावेगी यथाशीघ्र।	नर्सिंग शाखा में पदस्थ दो कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी उक्त शिकायत की जांच कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4/कार्या.स्था./सेल-1/2011/131, दिनांक 19.01.2011 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी से कराई गई जांच उपरांत उक्त कर्मचारियों के विरूद्ध की गई शिकायत असत्य पाई गई।इसमें से एक कर्मचारी को स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर नर्सिंग शाखा से अन्य शाखा में आदेश क्रमांक 1690 दिनांक 14.09.2011 द्वारा किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2278/2185/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 23.05.2012	कोई टिप्पणी नहीं
134.	172	अता.प्र.सं. 53 (क्र. 1632) दि. 19.07.2011	सेवानिवृत्त खाद्य निरीक्षक श्री एस.बी. सिंह द्वारा खाद्य नमूने लिये जाने संबंधी रिकार्ड कार्यालय में जमा न करने के संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच कलेक्टर दतिया/ग्वालियर के पास प्रचलन में है।	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका क्रमांक 9381/2012 में दिये गये निर्णय अनुसार श्री एस.बी.सिंह के सेवानिवृत्त अवधि में 10 वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण उन पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10056/4338/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 19.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं

135.	173	अता.प्र.सं. 58 (क्र. 1686) दि. 19.07.2011	नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	सीधी भरती की कार्यवाही निरंतर जारी है ।	नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत डॉ. प्रदीप कुमार धाकड़, सर्जरी विशेषज्ञ, डॉ. सरोज प्रसाद अहिरवार, नेत्र विशेषज्ञ, डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, रेडियोलॉजी, डॉ. रवि कुमार मिश्रा, हड्डी रोग एवं डॉ. अनिल पटेल, चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना जिला चिकित्सालय, नरसिंहपुर में की गई है। डॉ. वैभव रंजन बरौनया की पी.एच.सी. गोटेगांव में डॉ. अभिजीत निखारे की पी.एच.सी., श्रीनगर में डॉ. अशोक कुमार मेटवानी की पी.एच.सी., बरमान में, डॉ. हरेकिशन मिश्रा की पी.एच.सी. राजमार्ग में एवं डॉ. अजीत कुमार की सिविल अस्पताल गाडरवाड़ा में बंधपत्र चिकित्सक के तहत एवं डॉ. आशुतोष सिंह मोरे (डी.ए.) की सी.एच.सी. गाडरवाड़ा में एवं डॉ. उमा ठाकुर (एम.एस. नेत्र) की पी.जी. बंधपत्र के तहत पदस्थापना की गई है। डॉ. अभिनव जैन की सी.एच.सी. सालेचौका, डॉ. धीर कुमार बाघमारे की पी.एच.सी. मुसरान पिपरिया एवं डॉ. अनामिका जैन की पी.एच.सी. पलोहाबाड़ा में नियमित संविदा 300 चिकित्सक के विरूद्ध पदस्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त श्री मनीष राजपूत, वार्डवाय, कु. जय नागरे, कु. बिन्दु नागरे, किर्ती डाबरे, विनीता पटेल, रोशनी रिनायत, सुनीता बाहने स्टॉफ नर्स एवं कु. रिचा विश्वकर्मा, लेब सहायक तथा अंकिता चंदेलकवार, मधु मसीह, दिव्या चित्रिव संविदा स्टाफ नर्स की पदस्थापना जिला चिकित्सालय, नरसिंहपुर में की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1296/4575/2012/17/मेडि-1, दिनांक 17.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं
136.	174	अता.प्र.सं. 61 (क्र. 1733) दि. 19.07.2011	ग्वालियर जिले के भीतरवार विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	पदों की पूर्ति की प्रक्रिया निरंतर जारी है ।	भितरवार विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालनालय के आदेश क्रमांक 289, दिनांक 15.02.2012 के द्वारा डॉ. मोरध्वज सिंह कुशवाह की पदस्थापना संविदा चिकित्सक के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनगढ़ में की गई है। डॉ. आर.पी. सरल, मेडिकल विशेषज्ञ की पदस्थापना भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दिनांक 03.07.2011 श्री कन्हैयालाल साहू, सहायक ग्रेड-3 की पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चीनौर, उप स्वास्थ्य केन्द्र, घरसौदी एवं ओडपुरा में एम.पी.डब्ल्यू. मेल की पदस्थापना एवं सेक्टर तिधरा में एल.एच.व्ही. की पदस्थापना की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं

					विभागीय पत्र क्रमांक :- 4597/3862/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 05.11.2012	
137.	175	अता.प्र.सं. 65 (क्र. 1753) दि. 19.07.2011	शिवपुरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सतनवाडा में एक्स-रे मशीन उपलबध कराई जाना।	यथासंभव शीघ्र।	शिवपुरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सतनवाड़ा में एक्स-रे मशीन 29 जुलाई 2011 को मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा उपलब्ध कराई है। तदुपरांत एक्स-रे मशीन दिनांक 30.11.2011 को इंस्टाल की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17/160/2012/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 25.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
138.	176	अता.प्र.सं. 69 (क्र. 1771) दि. 19.07.2011	गुणा चिकित्सालय में चिकित्सकों तकनीशियन तथा अन्य पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर की पदस्थापना।	यथासंभव शीघ्र।	शासन आदेश क्रमांक एफ 1-13/2011/17/मेडि-1, दिनांक 10.07.2012 के द्वारा डॉ. आराधना विजयवर्गीय, स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना जिला चिकित्सालय, गुना की गई है। पदोन्नति पश्चात पदस्थापना अंतर्गत शासन आदेश क्रमांक एफ 1-22/2011/17/मेडि-1 दिनांक 16.05.2012 के द्वारा ई.एन.टी. विशेषज्ञ की पदस्थापना जिला चिकित्सालय, गुना की गई है। बंधपत्र के अनुक्रम में संचालनालय के आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/ सेल-संविदा/ 2012/1330, दिनांक 12.07.2012 द्वारा एक ई.एन.टी. स्नातकोत्तर चिकित्सक की पदस्थापना जिला चिकित्सालय गुना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4219/3995/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 03.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं
139.	177	अता.प्र.सं. 82 (क्र. 1917) दि. 19.07.2011	एम.पी. बिरला अस्पताल एवं प्रियम्बरा बिरला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट सतना द्वारा बिना ब्लड बैंक लायसेंस प्राप्त किये ब्लड बैंक संचालित करने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालयीन कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।	प्रतिवेदन के परीक्षणाधीन/विवेचनाधीन होने की अद्यतन स्थिति। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1171/404/2016/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 06.10.2016	कोई टिप्पणी नहीं
140.	178	अता.प्र.सं. 86 (क्र. 1946) दि. 19.07.2011	बैतूल जिले में श्री राजेश वनवासी एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में नियम विरूद्ध की गई खरीदी की जांच एवं कार्यवाही।	परीक्षणोपरांत शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।	विषयान्तर्गत आश्वासन में प्रकरण की जांच कराई गई जिसमें जांच उपरांत कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1547/1176/2019/17/मेडि-1, दिनांक 29.08.2019	कोई टिप्पणी नहीं

141.	179	अता.प्र.सं. 87 (क्र. 1947) दि. 19.07.2011	वर्ष 2006-07 में जिला चिकित्सालय राजगढ़ में क्रय में हुई अनियमितताओं एवं डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी तत्कालीन सिविल सर्जन राजगढ़ द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि से निर्धारित पैकेज से अधिक राशि स्वीकृत करने की जांच एवं कार्यवाही ।	जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी, तत्कालीन सिविल सर्जन राजगढ़ के विरूद्ध दिनांक 30.12.2010 से विभागीय जांच संस्थित किये हुए लगभग ढाई वर्ष से अधिक का समय हो चुका है के संबंध में विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति चाही गई के संबंध में अनुरोध कर लेख है कि डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी, शिशु रोग विशेषज्ञ, तत्कालीन प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ के विरूद्ध विभागीय जांचकत्ार अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के उपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया है कि औषधियों एवं सामग्रियों को भण्डार क्रय नियम 14 एवं 14 (अ ब) के प्रावधानों से मुक्त रखे जाने संबंधी प्रावधान को निरस्त किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 27.12.2006 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजगढ के कार्यालय में दिनांक 19.01.2007 को प्राप्त होने के उपरांत भी डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जानबूझकर निर्देशों की अवहेलना करते हुए क्रय आदेश दिनांक 02.01.2007 से दिनांक 29.01.2007 के मध्य जारी किये गये। इस प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी द्वारा भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन कर कदाचरण किया जाना प्रमाणित पाये जाने के परिणामस्वरूप डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अली) नियम, 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचालनालय के आदेश क्रमांक 4/शिका/डी.ई.2/2014/1359, दिनांक 28.06.2014 द्वारा रोकते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 473/253/2017/17/मेडि-1, दिनांक 06.02.2017	कोई टिप्पणी नहीं

142.	180	अता.प्र.सं. 98 (क्र. 2056) दि. 19.07.2011	राजगढ़ जिले के सारंगपुर एवं पचोर धामन्दा एवं उदनखेडी सामुदायिक केन्द्रों में रिक्त पदों की पूर्ति ।	जी हां ।	1. राजगढ़ जिले के सारंगपुर सिविल अस्पताल में संचालनालय के आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-5/2012/ 1336 दिनांक 13.07.2012 के द्वारा 02 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पचौर में संचालनालय के आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/ 2012/325, दिनांक 21.02.2012 के द्वारा डॉ. पंकज शर्मा की संविदा चिकित्सक के रूप में पदस्थापना की गई है। 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामन्दा में स्वीकृत एक पद के विरूद्ध एक चिकित्सक कार्यरत है आदेश क्रमांक 1-जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/12/ 867-जी, भोपाल दिनांक 30.04.2012 के द्वारा एक संविदा चिकित्सक की पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदनखेडी में की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4209/3984/2012/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 03.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं
143.	181	अता.प्र.सं. 100 (क्र. 2077) दि. 19.07.2011	01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक रायसेन जिले की तहसील रायसेन, सांची, गैरतगंज में जिला बीमारी सहायता/ दीनदयाल उपचार अन्त्योदन योजना/ जननी सुरक्षा योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना ।	शीघ्र अनुमोदन उपरांत व्यक्ति को योजना से लाभान्वित किया जावेगा।	जिला बीमारी सहायता निधि अंतर्गत 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक रायसेन जिले के लंबित 2 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-17-154/2011/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 08.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं
144.	183	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 201) दि. 18.07.2011	मंदसौर जिले के यशोधर्मन थाने के अंतर्गत मृत महिला के शव का दिनांक 4.7.11 को पोस्ट मार्टम हेतु दिये जाने के पश्चात 10.7.11 को विलंब से किये जाने की जांच एवं दोषियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही की जाना।	ये दो विभागों से संबंधित है मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ इसलिए मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज के डीन और हमारे यहां के स्वास्थ्य संचालक दो लोगों की कमेटी बनाता हूँ और संपूर्ण घटनाक्रम की जांच इसमें किसका दोष है और 15 दिन के अंदर ये सारी जांच की रिपोर्ट मा.सदस्य को बता दूंगा और जो भी अधिकारी, डॉक्टर इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।	डीन मेडिकल कॉलेज इंदौर तथा संचालक स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो चिकित्सकों डॉ. एस.के. दादू एवं डॉ. अनिल लांजेवार को पोस्टमार्टम विलंब के लिये जिम्मेदार पाया गया। दोनों चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचित किया जा चुका है। 2. उक्त प्रकरण में कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा की जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 381/364/2018/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 01.02.2018	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र

(11) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
145.	198	परि.ता.प्र.सं. 26 (क्र. 1108) दि. 20.07.2011	अशोक नगर में स्थित धनुषधारी मंदिर की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु कार्यवाही की जाना।	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।	कस्बा आशोकनगर में माफी औकाफ मंदिर श्री धुषधारी स्थित है इस मंदिर में कुल किता 21 रकवा 19.818 है. भूमि लगी है। उपरोक्त में से अतिक्रमण व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर मकान बना लिये उक्त अतिक्रामकों के मकान तोड़ने एवं अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही की गई है। अतिक्रमको द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में जनहित याचिका क्र. 4784/2006 दायर की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 04.10.2006 के पालन में अतिक्रमण हटाने हेतु मकानों को तोडा गया है। उपरोक्त अतिक्रमणकारियों द्वारा पुन: अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिये। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तहसीलदार अशोकनगर द्वारा पुन: प्रारंभ की गई जिसके विरूद्ध अतिक्रमणकारियों द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्र. 2712/2011 दायर की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 21.04.2011 से अतिक्रमण हटाने के विरूद्ध स्थगन आदेश दिये गये साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि विधि अनुसार समक्ष में सुनवाई करने के पश्चात् ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने के लिये निर्देशानुसार प्रत्येक अतिक्रमण की समक्ष में सुनवाई किये जाने हेतु तहसीलदार न्यायालय में 64 प्रकरण संस्थित किये जाकर विधि अनुसार विधिवत कार्यवाही की गई है कुछ प्रकरणों में सिविल जेल आदि कार्यवाही प्रस्तावित करते हुये माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-50/2010/छः, दिनांक 29.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(12) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
146.	199	ता.प्र.सं. 01 (क्र. 900) दि. 13.07.2011	पन्ना जिले की कृषि उपज मंडी देवेन्द्र नगर, अजयगढ़, पन्ना एवं उप मंडी अमानगंज में अप्रैल, 2010 से नियमित निलामी न होने की शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से मा.विधायक जी को अवगत कराया जाना।	अवश्य जो रिजल्ट आयेंगे उससे अवगत करा देंगे।	कृषि उपज मण्डी समिति देवेन्द्र नगर, अजयगढ़, पन्ना एवं उपमण्डी आमानगंज के संबंध में प्रचलित 07 शिकायतों में से 06 शिकायती प्रकरणों के जांच प्रतिवेदन प्राप्त। जांच प्रतिवेदन में शिकायत असत्य पाये जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये है। 01 शिकायती प्रकरण कलेक्टर जिला पन्ना के पास प्रचलित होने से जांच प्रतिवेदन चाहा गया था। जो कलेक्टर पन्ना द्वारा अपने पत्र क्रमांक 714 दिनांक 05.11.2014 से लेख किया है कि देवेन्द्रनगर, अजयगढ एवं पन्ना की उपमण्डी आमानगंज में निरीक्षण उपरांत नियमित नीलामी होना पाया गया एवं उसके नियत समय पर अनुबंध जारी, किए जाते है। अत: प्रकरण नस्तीवद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं
147.	200	ता.प्र.सं. 03 (क्र. 868) दि. 13.07.2011	सिरमौर विधान सभा के अंतर्गत अतरैला में कृषि उपज मंडी खोलने की कार्यवाही की जाना।	हम इसकी पुन: जांच करा लेंगे ओर यह शर्ते जो उसमें है मंडी की वो पूर्ति करना जरूरी होगी इसके लिये वे हमारा सहयोग करें।	राज्य शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा ज्ञाप दिनांक 26.02.2007 से मंडी./उपमंडी स्थापना हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है। स्वतंत्र मंडी के मान से भूमि 15 एकड़ वार्षिक आय 15 लाख एवं थोक लाइसेन्सधारी व्यापारी की संख्या 15 निर्धारित है। जिसकी पूर्ति के लिये कृषि उपज मंडी समिति चाकघाट द्वारा भरसक प्रयास किये गये, किन्तु शासन द्वारा निर्धारित मापदंण्डों की पूर्ति न हो पाने के कारण वर्तमान में उक्त स्थल पर कृषि उपज मंडी खोली जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/2430/20/14-3, दिनांक 08.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
148.	201	ता.प्र.सं. 13 (क्र. 877) दि. 13.07.2011	जिला मुरैना के विकासखण्ड जौरा, कैलारस एवं पहाड़गढ़ के किसानों को सही प्रशिक्षण नहीं दिये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	हम जांच कराकर उसको बता देंगे।	संयुक्त संचालक कृषि ग्वालियर द्वारा जिला मुरैना के विकासखण्ड जौरा कैलारस एवं पहाडगढ के किसानों को सही परिक्षण नहीं दिये जाने संबंधी जांच की गई। विकासखण्ड स्तर पर बीजग्राम, कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम एवं आइसोपाम योजना अंतर्गत विभिन्न तिथियों में कराये गये प्रशिक्षणों में कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री एवं नश्ता देने की पुष्टि प्रतिवेदन में की है। जांच के दौरान संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा उक्त विकासखण्डों का औचक भ्रमण किया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रशिक्षणों का आयोजन कागजों पर हुआ है। अत: शिकायत बिन्दु सिद्ध नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 13-10-148/2011/14-2, दिनांक 04.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं
149.	202	परि.ता.प्र.सं. 10 (क्र. 215) दि. 13.07.2011	कृषि उपज मंडी समिति कटनी के सहायक उप निरीक्षक द्वारा फर्जी यात्रा देयक प्रस्तुत किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।	कृषि उपज मण्डी समिति, के सहायक उपनिरीक्षक श्री रामप्रकाश सिंह द्वारा फ्रर्जी यात्रा देयक प्रस्तुत किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच उपसंचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय से कराई गई। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर जांच में पाइ गई अनियमितता के लिये श्री रामप्रकाश सिंह तत्का. सहायक उपनिरीक्षक कटनी को पत्र दिनांक 03.09.2011 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधित द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में संबंधित को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर समक्ष में सुना गया। तथा आदेश दिनांक 23.01.2012 द्वारा श्री रामप्रकाश सिंह तत्कालीन सउनि के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1116/2012/14-3, दिनांक 04.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
150.	203	परि.ता.प्र.सं. 39 (क्र. 640) दि. 13.07.2011	सीहोर जिले में नसलुल्लागंज तहसील के पीडित किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम से गेहूं खरीदी में अनुदान राशि दिलाई जाना एवं जांच में दोषी पाये गये अनुदान की राशि हड़पने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।	नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रिया में है।	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक 411 दिनांक 23.07.2010 द्वारा संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल को जॉच सौंपी गई। संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के आदेश क्रमांक 678 दिनांक 23.02.2011 द्वारा प्राचार्य कृषक विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र औबेदुल्लागंज को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच में आंशिक दोषी पाये गये संबंधित बीज वितरकों के विरूद्ध नियमों की परिधि में कार्यवाही करने हेतु संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 2253 दिनांक 01.07.2011 के द्वारा उप	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीहोर को निर्देशित किया गया। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सीहोर द्वारा कार्यालीन आदेश क्रमांक 5462 दिनांक 13.07.2011 से मेसर्स सतीश कुमार खण्डेलवाल विकास खण्ड नसरूल्लागंज के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के फलस्वरूप स्वत: निरस्त हो गया है एवं कार्यालीन आदेश क्रमांक 5847-48 दिनांक 26.07.2012 के द्वारा में.आकाश सीडस् एण्ड एग्रोटेक नसरूल्लागंज का बीज पंजीयन निरस्त किया गया है। एन.सी.सी. द्वारा गेंहू बहज अनुदान कम कर में.आकाश सीडस् एण्ड एग्रोटेक की प्रदाय किया गया है तथा कृषको को भी अनुदान कम कर गेंहू बीज अपलब्ध कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** वी-10/140/2011/14-2, दिनांक 04.01.2013	
151.	204	अता.प्र.सं. 08 (क्र. 214) दि. 13.07.2011	श्री आई.एस. बघेल तत्कालीन उप संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर मंडी समिति मुरैना को करोड़ो की आर्थिक क्षति पहुँचाने की जांच एवं कार्यवाही।	नियमानुसार प्रकरण में पाई गई स्थिति उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है।	प्रबंध संचालक महोदय के आदेश दिनांक 19.07.2011 द्वारा उप संचालक आंचलिक कार्यलय ग्वालियर द्वारा पारित आदेश क्रमांक/बोर्ड/न्या/61/05/3889 दिनांक 08.08.2005 को निरस्त किया गया है साथ ही कृषि उपज मंडी समिति मुरैना का फर्म पराग एडीबल आयॅल प्रा.लि. मुरैना के वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 के मंडी फीस का निर्धारण तथा नियमानुसार वसूली हेतु निर्देशित किया यगा है। मंडी समिति मुरैना द्वारा मंडी को आर्थिक क्षति की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। श्री बघेल, तत्कालीन उपसंचालक मंडी बोर्ड ग्वालियर की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति से उनके पैतृक विभाग को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को वापस की गई और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मंडी बोर्ड के पत्र क्रमांक 1226 दिनांक 25.08.2011 से शासन को प्रस्ताव भेजा गया जिसके तारतम्य में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा श्री बघेल के आरोप पत्रादि दिनांक 23.09.2011 जारी किये गये है। अत: मंडी बोर्ड स्तर पर आश्वासन की पूर्ति हेतु कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** वी-10/140/2011/14-2, दिनांक 04.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
152.	205	अता.प्र.सं. 09 (क्र. 221) दि. 13.07.2011	दिनांक 2.9.2009 से निलंबित कृषि उपज मंडी समिति कटनी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं भृत्य के संबंध में मा.सदस्य श्री गिरीराज किशोर पोद्दार जी द्वारा लिखे पत्रों पर कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलित है प्रकरणों पर गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।	मा. सदस्य श्री गिरिराज किशोर पोद्दार द्वारा प्रस्तुत पत्र की जांच कराई गई। जांच में पाई गई स्थिति अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, मण्डी समिति कटनी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं भृत्य द्वारा दिनांक 28.07.2009 को शपथ पत्र पर शिकायत किया जाना पाया गया। श्री पिरहार द्वारा राईस मिलों के संबंध में मण्डी समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क, करने मण्डी सदस्यों को गुमराह कर हस्ताक्षर कराने, मण्डी समिति के कर्मचारियों को प्रताडित कर धमकाने जैसे आरोप, जांच पश्चात् प्रथम दृष्टया पाये जाने का उल्लेख किया गया है जिस कारण से श्री परिहार को निलंबित किया गया जाने का उल्लेख किया गया है जिस कारण से श्री परिहार को निलंबित किया गया था। कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के आदेश क्रमांक मण्डी/स्थापना/वि.जांच/2011-12/2415-2425 कटनी दिनांक 16.08.2011 से श्री राजेन्द्र सिंह परिहार भृत्य के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित रखते हुए निलंबन से बहाल किया गया है। श्री परिहार के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच पूर्ण होने के पश्चात् आरोप सिद्ध नहीं पाये जाने से मण्डी समिति कटनी की बैठक दिनांक 12.09.2012 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री परिहार के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच निलंबन अवधि में भुगतान के अतिरिक्त देय सत्वों का भुगतान करते हुए विभागीय जांच समाप्त करने के आदेश दिनांक 13.09.2012 से पारित किए गए। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2059/2260/2014/14-3, दिनांक 18.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं
153.	206	अता.प्र.सं. 22 (क्र. 392) दि. 13.07.2011	मान. उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में श्योपुर जिले में किसानों को प्रदाय की जाने वाली समस्त आदान सामग्री सोसायटियों के अध्यक्ष में वितरित किये जाने की कार्यवाही की जाना।	प्रक्रिया पूर्व से प्रचलन में है।	शासन का पत्र क्र बी-15-13/11/14-2 भोपाल दिनांक 13 मई 2011 से निर्धारित नीति अनुसार विभागीय योजना के अंतर्गत प्रावधान अनुसार चयनित हितग्राहियों को संस्थाओं के माध्यम से अनुदान पर सामग्री वितरित की जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** वी-10/150/2011/14-2, दिनांक 08.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
154.	207	अता.प्र.सं. 27 (क्र. 471) दि. 13.07.2011	विदिशा जिले के विकासखण्ड ग्यारसपुर में बलराम तालाब के प्रकरण में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उनसे वसूली ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।	विदिशा जिले के विकासखंड ग्यारसपुर में श्री बफूसिंह गर्जर कृषक द्वारा स्वीकृत कराये गये खसरा नंबर में बलराम तालाब निर्माण न किया जाने संबंधी आनियमितता पाई जाने पर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल द्वारा संबंधित अधिकारियों तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उपसंभाग न.घा.यो., विदिशा श्री पी.एन. मालवीय जो पूर्व से निलंबित थे, को आरोप पत्र जारी किये गये तथा श्री डी.सी. मीणा तत्कालीन कृषि विकास अधिकारी न.घा.यो. विदिशा को निलंबित किया जाकर आरोप पत्र जारी किये गये अनुदान राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर, जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 7405-06 दिनांक 27.08.2011 के अनुसार तहसीलदार, तहसील गुलाबगंज द्वारा उनके न्यायालय में प.क्र. 01/अ376/2011-12/ कायाम किया जाकर बकायादार को मांग पत्र जारी किया गया है। कृषक के विरूद्ध अचल संपत्ति वारंट जारी कर वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/207/207/14-3, दिनांक 26.07.2012	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है की विभाग कृषक के विरूद्ध अचल संपति वारंट जारी कर वसूली करेगा।
155.	208	अता.प्र.सं. 50 (क्र. 751) दि. 13.07.2011	प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों का मा.उच्च न्यायालय के निर्देश पर नियमितीकरण किया जाना ।	नियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।	विधान सभा अतांरांकित प्रश्न क्रमांक 751 के प्रश्नांश-ग के उत्तर अनुसार मा. उच्च न्यायालय द्वारा 1330 प्रकरणों में दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों को नियमिमिकरण पर विचार करने एवं संमुचित आदेश पारित करने के निर्देश दिये गए है। नियमितिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी अनुक्रम विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 894 के प्रश्नांश-ख के उत्तर अनुसार उपयुक्त पाये गये 180 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है एवं 119 कर्मचारियों के प्रकरणों में अभिलेख पूर्ण नहीं होने से विचार नहीं किया गया है। अपूर्ण अभिलेख प्राप्त कर लिये गये है और अभिलेखों का परीक्षण म.प्र., शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 16 मई 2007 के मापदण्डों अनुसार किया जा रहा है। नियमितिकरण की कार्यवाही यथाशिघ्र पूर्ण कर ली जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1134/2012/14-3, दिनांक 04.07.2012	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि दिनांक 16 मई 2007 के मापदण्डों के अनुसार नियमितिकरण की कार्य पूर्ण करेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
156.	209	अता.प्र.सं. 61 (क्र. 864) दि. 13.07.2011	(1) सागर जिले की उप मंडी बादरी में कृषकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना। (2) मंडी समिति खुरई एवं उप मंडी मालथोन में पेयजल हेतु वाटर कूलर क्रय करने की कार्यवाही की जाना। (3) श्री महेन्द्र सिंह उपयंत्री खुरई मंडी परिक्षेत्र से सागर किया गया संलग्नीकरण समाप्त कर किसी अन्य उपयंत्री की पदस्थापना की जाना।	(1) आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जावेगी। (2) पेयजल हेतु वाटर कूलर क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (3) बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत आये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रारंभ होने पर उपयंत्री की पदस्थापना की जावेगी।	(1). कृषि उपज मण्डी समिति खुरई की उपमण्डी बादरी के लिए प्रांगण क्रय किया गया है तथा प्रांगण में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए किसान सडक निधि के अन्तर्गत अधोरसंरचना मद से परियोजना प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2). कृषि उपज मण्डी समिति खुरई में वाटर कूलर के क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपमण्डी मानथोन के प्रांगण में ट्यूबवेल कराने के लिए सर्वे कराया गया जिसके अनुसार पूरे प्रांगण में नहीं है। पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत से कनेक्शन लेकर हो रही है। अत: अभी यहाँ पर वाटर कूलर क्रय की वर्तमान में कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। (3). बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्य प्रारंभ हो गये है, जिसमें श्री महेन्द्र सिंह उपयंत्री को पदस्थ किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/2434/20/14-3, दिनांक 08.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
157.	210	अता.प्र.सं. 64 (क्र. 876) दि. 13.07.2011	भिण्ड जिले के किसानों को वर्ष 2010-11 की फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान किया जाना।	रबी 2010 के भुगतान की पात्रता का निर्धारण वांछित फसल कटाई प्रयोगों की जानकारी के पश्चात हो सकेगा।	भिण्ड जिले में रबी 2010-11 में पात्र 50 कृषकों को पात्रतानुसार कुल दावा राशि रू. 53660.00 का भुगतान किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बि-10/157/2015/14-2, दिनांक 23.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं
158.	211	ता.प्र.सं. 09 (क्र. 1748) दि. 20.07.2011	जिला मुरैना में 1 जनवरी 2009 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये नलकूपों के खनन पर हितग्राहियों को दिये गये अनुदान में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की कार्यवाही।	जहां पर कोई अनियमितता हुई है उसकी भी जानकारी दे दूंगा ओर कार्यवाही कर दूंगा।	जिला मुरैना में 1 जनवरी 2009 से प्रश्न दिनांक तक कराये गये नलकूपों के खनन पर हितग्राहियों को दिये गये अनुदान में अनियमितताओं की जांच तीन अधिकारियों की समिति द्वारा कराई गई है। जिले के 7 विकासखण्डों के 47 कृषकों के यहां रेण्डमली नलकूपों का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। कृषकों को रू. 24000/- (चौबीस हजार रू) प्रति नलकूप पर हितग्राहियों को चेक/बैंक ड्रॉफट् के माध्यम से भुगतान होना पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/237/2011/14-3, दिनांक 27.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
159.	212	ता.प्र.सं. 19 (क्र. 1528) दि. 20.07.2011	खातेगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कन्नौद तहसील में ग्राम कुसमान्या को फसल बीमा योजना में पुर्नपरीक्षण कर शामिल किया जाना।	माननीय सदस्य को यदि इसमें कोई संदेह हो तो उसको हम फिर से दिखवा लेंगे।	रा.कृ.बी. योजना के अन्तर्गत किसी भी फसल का चयन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है। किसी भी पटवारी हल्का में उस फसल का विगत वर्ष का क्षेत्र 100 हेक्टर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर खरीफ 2009 रबी 2009-10 रखीफ 2010 एवं रबी 2010-11 में विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कन्नौद तहसील के ग्राम कुसमानियां को अधिसूचित कर योजना में शामिल किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/192/2011/14-2, दिनांक 15.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
160.	213	ता.प्र.सं. 24 (क्र. 1758) दि. 20.07.2011	जिला गुना में पुरानी गल्ला मंडी में काम्पलेक्स रोड़ और नाली का निर्माण प्रारंभ करवाये जाने की कार्यवाही।	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।	जिला गुना में पुरानी गल्ला मंडी में काम्पलेक्स रोड और नाली का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण होकर शेष कार्य प्रगतिरता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/2438/20/14-3, दिनांक 08.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
161.	214	परि.ता.प्र.सं. 42 (क्र. 1420) दि. 20.07.2011	श्री राजेश सिंह वाहन चालक (संविदा में नियुक्त) का सुरक्षा कर्मी के रूप में फर्जी वेतन आहरण की जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर आगामी कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा।	प्रकरण की जांच संयुक्त संचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय से कराई गई। जांच प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत आदेश दिनांक 10.08.2011 द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। उक्त जांच दल द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2011 को प्रस्तुत किया गया। परीक्षण उपरांत पत्र दिनांक 31.12.2011 से श्री राजेश सिंह गौड़ वाहन चालक के नियुक्ति आदेश दिनांक 13.11.2010 को तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिये गये। श्री राजेश सिंह की सेवाएं मण्डी समिति, के आदेश दिनांक 25.01.2012 से समाप्त की गई है तथा मण्डी बोर्ड के पत्र दिनांक 27.01.2012 श्री श्यामलाल सिंह तत्कालीन मण्डी अध्यक्ष मण्डी समिति कटनी को म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 58 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उत्तर प्राप्त। उक्त के अतिरिक्त मण्डी समिति कटनी के दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उत्तर चाहा गया है, जिनकी उत्तर प्राप्त। प्रकरण में गुणदोषो के आधार पर यह निर्णय पारित किया गया कि श्री श्यामलाल सिंह तत्कालीन मण्डी अध्यक्ष को म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 55 (3) के तहत आगामी छः वर्षो के लिए कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव में भाग लेनें के लिए आदेश क्रमांक/सतर्कता/ 194-7/कटनी/490 दिनांक 18.10.2012 प्रतिबंधित किया गया है, तथा श्री राजेश सिंह गौड द्वारा सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड के रूप में प्राप्त की गई कुल राशि रूपये 1,20,399/- की वसूली 7 अधिकारी कर्मचारियों से राशि रूपये 17,200/- समान रूप से मण्डी निधी में	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					जमा कराने के आदेश दिनांक 18.10.2012 से जारी किए गए है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/810/2013/14-3, दिनांक 27.07.2013	
162.	215	परि.ता.प्र.सं. 48 (क्र. 1497) दि. 20.07.2011	बड़वानी जिले के अंतर्गत मंडी की स्थाई निधि से अरिहंत जिनिंग फैक्ट्री से गोई मार्ग तथा देवक्षिरी से पिसनावल मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी जाना।	प्रकरण शासन स्तर पर परीक्षण हेतु विचाराधीन है निर्णय शीघ्र लिया जावेगा।	बडवानी जिला के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति सेन्धवा की स्थाई निधि से अरिहन्त जिनिंग फैक्ट्री से ग्राम गोई मार्ग एप्रोच रोड एवं ग्राम देवझीरी से पिसनावल मार्ग एप्रोच रोड हेतु म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2011 द्वारा राशि रूपयें 210.00 लाख मण्डी की स्थाई निधि से व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसकी सूचना मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक-788-790 दिनांक 30.12.2011 द्वारा सचिव मण्डी समिति सेन्धवा एवं माननीय विधायक महोदय श्री अंतर सिंह आर्य को भी दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/12/14-3, दिनांक 09.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
163.	216	परि.ता.प्र.सं. 66 (क्र. 1794) दि. 20.07.2011	सबलगढ़ कृषि उपज मंडी सचिव के विरूद्ध अनियमितताओं/ कर अपवचन की जनप्रतिनिधि द्वारा की शिकायतों की जांच एवं दोषी के विरूद्ध कार्यवाही।	प्राप्त शिकायतों की जांच उप संचालक आंचलिक कार्यालय ग्वालियर द्वारा की जा रही है।	उप संचालक, ग्वालियर द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन परीक्षण उपरांत श्री कुशवाह को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जिसका उत्तर प्राप्त। साथ ही वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 का विशेष अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर शिकायती बिन्दु प्रमाणित नहीं पाये जाने से प्रकरण 02.03.2012 को नस्तीबद्ध किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/2428/20/14-3, दिनांक 08.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
164.	217	परि.ता.प्र.सं. 79 (क्र. 1939) दि. 20.07.2011	जिला टीकमगढ़ के कृषि विभाग के निलंबित लिपिकों से लेखा शाखा के केशियर एवं आत्मा योजना का कार्य लिये जाने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही।	दोषी के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	(1). प्रकरण में संयुक्त संचालक किसान कल्यायण तथा कृषि विकास सागर संभाग सागर की जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन भेजा है। जांच प्रतिवेदन के पूर्ण परिक्षणोपरांत तत्कालीन उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास टीकमगढ़ को संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के पत्र दिनांक 03.02.2012 द्वारा आगामी दो वेतनवृद्धियॉ रोके जाने हेतु नियम 16 के अंतर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। (2). तत्कालीन उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास का उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-**	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि तत्कालीन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, टीकमगढ़ के विरूद्ध अग्रमी कार्यवाही करेंगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					एफ-8ए/15/2011/14-1, दिनांक 16.02.2012	
165.	218	परि.ता.प्र.सं. 102 (क्र. 2260) दि. 20.07.2011	शिवपुरी जिले में वर्ष 2010-11 की खरीफ फसलों को प्रदाय किये गये अमानक स्तर के बीज नमूनों की जांच एवं दोषी संस्थाओं और अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जी हां।	बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के प्रावधान अनुसार अमानक बीज मात्रा का विक्रय प्रतिबंधित किया जाकर दोषी बीज उत्पादक संस्थाओं एवं संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/80/2011/14-2, दिनांक 13.02.2013	कोई टिप्पणी नहीं
166.	219	परि.ता.प्र.सं. 105 (क्र. 2267) दि. 20.07.2011	विधान सभा क्षेत्र हटा के किसानों को स्वीकृत बलराम तालाब, खेत तालाब एवं मेड़ बंधान के स्वीकृत कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में पूर्ण राशि का आहरण करने के दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही।	विभागीय एवं न्यायालयीन प्रक्रिया जारी है।	श्री एस.एस.छारी. तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी हटा जिला दमोह के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय संचालनालय के आदेश क्र. अ-5-बी(2)/7/2009/1831-32 दिनांक 14.0;9.2015 द्वारा लिया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1274/3758/2015/14-1, दिनांक 21.06.2016	कोई टिप्पणी नहीं
167.	220	परि.ता.प्र.सं. 122 (क्र. 2361) दि. 20.07.2011	टीकमगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी पलेरा को पूर्ण मंडी का दर्जा देने के संबंध में मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28.4.2008 को की गई घोषणा पर कार्यवाही।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	पलेरा उपमंडी को पूर्ण मंडी बनाये जाने के लिये प्रांगण से लगी हुई शेष 5 एकड़ भूमि आवंटन का प्रस्ताव पर राज्य शासन राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृति पत्र दिनांक 07.10.2011 से कलेक्टर जिला टीकमगढ़ को दी गई है। कलेक्टर जिला टीकमगढ़ का पत्र दिनांक 25.01.2012 अधिसूचना जारी कराने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पलेरा उपमंडी को पूर्ण मंडी का दर्जा दिये जाने के आशय की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अत: कार्यवाही पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/12/14-3, दिनांक 09.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
168.	221	अता.प्र.सं. 19 (क्र. 1113) दि. 20.07.2011	मुंगावली तहसील में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के वर्ष 2010-11 दावों का निराकरण किया जाना।	रबी 2010-11 में दावों का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।	रबी 2010-11 मौसम हेतु अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील के आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा भेजे गये औसत पैदावार के आंकड़ों के आधार पर उपज में कमी नहीं पाई गई थी। अत: दावा देय नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** बी-10/188/2011/14-2, दिनांक 13.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
169.	222	अता.प्र.सं. 51 (क्र. 1833) दि. 20.07.2011	सागर जिले में आत्मा योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में प्रशिक्षण एवं भ्रमण के लक्ष्य हेतु आवंटित राशि का उपयोग न किये	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	कलेक्टर / अध्यक्ष कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी "आत्मा" सागर द्वारा संबंधित अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांगे गये थे। उनके जवाब संतोषजनक न पाये जाने पर भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-**	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			जाने के दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।		वी-10/174/2011/14-2, दिनांक 26.07.2012	
170.	223	अता.प्र.सं. 74 (क्र. 2206) दि. 20.07.2011	अमरपाटन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमझर में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोले जाने हेतु की कार्यवाही।	वित्तीय व्यवस्था हेतु वि.वि. प्रयासरत है।	जे.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर के द्वारा अमझर में कृषि अनुसंधान विकसित करने हेतु 4.00 करोड का प्रस्ताव मण्डी बोर्ड को भेजा गया था। उक्त परियोजना के लिये मंण्डी बोर्ड वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 200.00 लाख का प्रावधान किया गया। ग्राम अमझर विकास खंड अमरपाटन में जिला कलेक्टर सतना के द्वारा 217 एकड भूमि अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा को आवंटित की गई है, जिसमें से लगभग 70 एकड भूमि अन्य कई कृषकों को पूर्व से ही शासन द्वारा पट्टे पर दी गई है। इस तरह इस फार्म हेतु केवल 147 एकड भूमि ही विश्वाविद्यालय को उपलब्ध हो पा रही है। उक्त भूमि का सीमांकन आदि की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा नहीं की गई है। इसके लिए तहसीलदार सतना को दिनांक 24.06.2013 को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है। चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** वी-10/167/2011/14-2, दिनांक 22.08.2013	कोई टिप्पणी नहीं
171.	224	अता.प्र.सं. 82 (क्र. 2286) दि. 20.07.2011	वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में एम.पी. एग्रो विदिशा को बगैर लायसेंस के कीटनाशक औषधी का क्रय विक्रय एवं भण्डारण करने ओर व्यापार संचालित की अनुमति देने के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	उप संचालक विदिशा शाखा प्रबंधक एम.पी. एग्रो विदिशा एवं संबंधित कीटनाशक निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।	प्रश्नावधि में विदिशा विकासखण्ड में कार्यरत कीटनाशी निरीक्षकों को दायित्व निर्वाहन में बरती गई लापरवाही के लिये एवं शाखा प्रबंधक एम.पी.एग्रो विदिशा को बगैर लायसेंस कीटनाशक औषधि का व्यवसाय न करने के लिये भविष्य के लिये चेतावनी दी गई। लायसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन में आवश्यक पूर्ति पश्चात्, जिला अनुज्ञापन अधिकारी/उपसंचालक विदिशा द्वारा एम.पी.एग्रो विदिशा को दिनांक14.07.2011 को कीटनाशक औषधि लायसेंस जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** वी-10/173/2011/14-2, दिनांक 28.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
172.	225	अता.प्र.सं. 101 (क्र. 2380) दि. 20.07.2011	श्योपुर जिले में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा हलधर योजना में मृत व्यक्तियों के नाम से प्रकरण तैयार किये जाकर अनुदान के चेक तैयार किये जाने की प्राप्त	जांच प्रक्रियाधीन है । गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही होगी।	उपसंचालक कृषि श्योपुर ने सहायक संचालक कृषि से कराई कई जांच में 4 मृत कृषकों को हलधर योजनांतर्गत अनुदान राशि के चैक जारी किये जाना पाये गये। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:- (1). कृषक श्री अकबर खॉं पुत्र शहजाद खॉं जाति मुसलमान ग्राम खितरपाल विकास खंड विजयपुर को योजनांतर्गत गहरी जुताई का	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।		अनुदान चैक क्रमांक 551478 राशि रू 1000/- जारी किया जाना पाया गया। इसके संबंध में श्री विद्याराम शाक्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केंद्र बांगरोद विकास खण्ड विजयपुर को उपसंचालक कृषि श्योपुर के आदेश क्रमांक 2616 दिनांक 04.09.2010 द्वारा निलंबित किया जा चुका है। विीागीय जांच प्रचलन में है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (2). कृषक श्री कनीराम पुत्र श्री हीरालाल जाति जाटव एवं कृषक श्री घूडीलाल पुत्र श्री हीरालाल जाटव निवासी आमाल्दा विकास खण्ड श्योपुर को योजनांतर्गत गहरी जुताई का अनुदान सचैक क्रमांक क्रमश: 551678, 551679 राशि रू. 1000/-, 900/- कजारी किया जाना पाया गया। इसके संबंश्ध में श्री के.एस. दंडोतियॉ ग्रा.कृ.वि.अधि. केंद्र यनागरगांवडा विकासखण्ड श्योपुर को पत्र क्रमांक 488 दिनांक 02.02.2012 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी यप्रभाव से रोकने का कारण बाताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रकरण में निर्णय लिया जाकर म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 अंतर्गत आदेश क्रमांक 2063-64 दिनांक 15.06.2012 द्वारा श्री दंडोतिया की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से राके दी गई है। (3). कृषक श्री रघुनाथ पुत्र शंकरिया जाति बैरवा निवासी कनापुर विकास खण्ड श्योपुर को योजनांतर्गत गहरी जुताई का अनुदान चैक क्रमांक 090163 राशि रू. 1000/- जारी किया जाना पाया गया। इसके संबंध में श्री एस.के. शर्मा, कृ.वि.अधि. केंद्र प्रेमसर विकासखण्ड श्योपुर को पत्र क्रमांक 486 दिनांक 02.02.2012 के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। जांच निष्कर्ष से सहमत होतो हुये जारी कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। जांच निष्कर्ष से सहमत होते हुये जारी कारण बताओं सूचना पत्र को उपसंचालक कृषि श्योपुर के आदेश क्रमांक 2065 दिनांक 15.06.2012 द्वारा निरस्त किया गया है। जांच अनुसार जारी चैकों की राशि संबंधित कृषकों के परिजनों को भुगतान नहीं किया गया। है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** डी-10/213/2011/14-3, दिनांक 27.08.2012	

जुलाई, 2011 सत्र
(13) राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
173.	227	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 110) दि. 11.07.2011	(1) अनूपपुर जिले की निजी भूमि पर मोजरवेयर ताप विद्युत परियोजना के लिये ग्राम सुझाओ से परामर्श किये बगैर आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहरण किये जाने की जांच एवं कार्यवाही। (2) माननीय मुख्यमंत्री जी की पुनर्वास नीति की घोषणा अनुसार कृषि भूमि से विस्थापित किये गये लोगों को पांच लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना। (3) कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ग्राम सभा की बैठकों में कलेक्टर की उपस्थिति की जांच एवं कार्यवाही।	(1) पूरा प्रोसीडिंग्स में अगर नहीं है तो मैं इसकी जांच करा लूंगा। (2) एक उप समिति हमने बनाई है उस उप समिति की रिपोर्ट हम कैबिनेट में देंगे और कैबिनेट के बाद ही वो लागू होगा। (3) जहां भी यह हुआ है उसकी जांच करा लूंगा।	नवगठीत मोजर वेयर ताप विद्युत परियोजना के संबंध में दिनांक 06.03.2012 से 15.08.2012 तक अनुसूचित जाति, अनुससूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का जिले में भ्रमण हो चुका है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेंगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20/227/2012/सात/2 ए, दिनांक 27.08.2012	अनुससूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग कल्याण संबंधी समिति की अनुशंसा अनुसार विभाग कार्यवाही करेगा इस अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
174.	228	ता.प्र.सं. 02 (क्र. 781) दि. 13.07.2011	बालाघाट जिला अंतर्गत ग्राम नवेगांव में मेसर्स रामदेव इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके प्लाटो की जो रजिस्ट्रियां की गई है उन्हें निरस्त कर रामदेव इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जाना।	(1) कार्यवाही पृथक से प्रचलित है। (2) जांच करवा कर उसकी कार्यवाही करूंगा।	बालाघाट जिलें के अन्तर्गत ग्राम नवेगांव की शासकीय भूमि पर अनावेदक मेसर्स रामदेव इन्फ्राष्ट्रक्चर द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। मेसर्स रामदेव इन्फ्रस्ट्रक्चर द्वारा अपनी निजी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि का विक्रय किया जाना उप पंजीयक बालाघाट द्वारा बतलाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-26/2011 सात-नजूल, दिनांक 10.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
175.	229	ता.प्र.सं. 07 (क्र. 282) दि. 13.07.2011	(1) जबलपुर नगर में गरीबी रेखा के बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही की जाना। (2) प्रदेश में एक अभियान चलाकर लोगों के बी.पी.एल. के बनाये गये कार्डों को निरस्त कर पात्र लोगों के कार्ड बनाये गये कार्डों को निरस्त कर पात्र लोगों के कार्ड बनाये जाने हेतु प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी किये जाना।	(1) अपने लेवल पर पूरा काम करवाऊंगा। (2) सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।	(1) जबलपुर नगर में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़कर बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाये गये है। (2) गरीबी रेखा की सूची में नामे जोड़ने की कार्यवाही को सेवा के रूप में जोड़ा जाकर लोक सेवा प्रवबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है। नगरीय क्षेत्र के आवेदन को अनुविभागीय अधिकारी, राजस्वा द्वारा 30 कार्य दिवस में निराकृत किया जाना अधिसूचित किया गया है। इसी ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन को तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा 30 कार्य दिवस में निराकृत किया जाना अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार गरीबी रेखा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया एक सतत् सेवा के रूप में अधिसूचित की गई है जिसमें आवेदक द्वारा गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिये आवेदन किये जाने पर सतत् निराकरण किया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-136/2011/ सात-6/1148, दिनांक 02.11.2018	कोई टिप्पणी नहीं
176.	230	ता.प्र.सं. 11 (क्र. 549) दि. 13.07.2011	रतलाम जिले में वर्क 2011-12 में शीत लहर तथा पाला पीड़ित किसानों को फसल मुआवजे का भुगतान प्राप्त न होने की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	ऐसी कोई आपने शिकायत की हे तो मैं उसकी जांच करा दूंगा।	रतलाम जिले में वर्ष 2011-12 में शीत लहर तथा पाला पीड़ीत किसानों को मुआवजा का भुगतान के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-218/2011/ सात-3, दिनांक 25.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
177.	231	ता.प्र.सं. 12 (क्र. 574) दि. 13.07.2011	(1) होशंगाबाद में उद्योग विभाग की 20 हजार स्क्वेयर फीट जमीन पर बिल्डर द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किये जाने की जांच एवं कार्यवाही। (2) मिनाल रेसीडेंसी भोपाल में अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	(1) वहां पर अतिक्रमण है तो पुन: उसकी जांच करा लूंगा और तत्काल अतिक्रमण हटा दिया जायेगा। (2) जहां पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है वहां पर हम तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी करेंगे और यह भी सही है कि जिस अधिकारी ने अब तक ऐसे मामलों में अतिक्रमण नहीं हटाया है उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।	जांच की गई, अतिक्रमण होना नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-7/2011/ सात-नजूल, दिनांक 13.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
178.	232	ता.प्र.सं. 06 (क्र. 770) दि. 13.07.2011	प्रदेश के जिलो की गृह तहसीलों में पदस्थ शेष पटवारियों की अन्यत्र तहसीलों में पदस्थापना की जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलित है। (2) यथासंभव शीघ्र।	स्थानांतरण नीति-वर्ष 2012-13 की कण्डिका 9.5 अनुसार प्रदेश के 23 जिलों की गृह तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को अन्यत्र तहसीलों में पदस्थ किया जा चुका है; जो निम्नानुसार है:- ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, इंदौर, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, सागर, दमोह, टीकमगढ़, कटनी, सिवनी, बालाघाट, रीवा, सीधी। शेष जिलों में भी ऐसी कार्यवाही यथा-शीघ्र पूर्ण की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 11-26/2011/ सात/4 बी, दिनांक 04.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
179.	233	ता.प्र.सं. 22 (क्र. 469) दि. 13.07.2011	सीहोर जिले की तहसील इच्छावर की विन्ध्याचंल कृषि सहकारी समिति झालपीपली पर अवैध उत्खनन न किये जाने के संबंध में प्रश्न का असत्य उत्तर देने वालों एवं अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रकरण की जांच कराई जायेगी।	विन्ध्यांचल सहकारी समिति झाल पीपली सीहोर द्वारा अवैध उत्खन्न संबंधी विधानसभा प्रश्न क्रमांक-941 वर्ष 2009 का उत्तर खनिज निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर दिया जाना कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी इछावर द्वारा गठित जांच दल ने, उक्त समिति की भूमि के खसरा क्रमांक-139/2 के रकबा 12.820 है0 क्षेत्र के अंश भाग पर श्रीमति विनिता आजम द्वारा अवैध उत्खन्न होना पाया। विधानसभा प्रश्न में असत्य जानकारी देने वाले खनिज निरीक्षक के विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1968 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20/239/2012/सात/2ए, दिनांक 10.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं
180.	234	ता.प्र.सं. 23 (क्र. 439) दि. 13.07.2011	कटनी जिले में शासकीय भूमियों का अवैध सव्यपहार भू-अभिलेखों की कूट रचना अथवा अलियक्षित प्रक्रिया द्वारा स्वामित्व में अंतरित करने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	परीक्षण किया जा रहा है।	शासकीय भूमियों के अवैध संव्यवहार के संबंध में गठित एकल सदस्यीय जांच समिति के प्रतिवेदन दिनांक 20.11.2009 के आधार पर 16 प्रकरणों में कार्यवाही कर निराकरण किया गया है एवं 2 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 227/2018/सात-2 ए, दिनांक 16.02.2018	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
181.	235	परि.ता.प्र.सं. 04 (क्र. 56) दि. 13.07.2011	जबलपुर के सेंट मेरीज हायर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्मित किये गये भवन को हटाने की कार्यवाही।	प्रकरण निराकरण हेतु विचाराधीन है।	अपर कलेक्टर के रा.प्र.क्र. 1/अ-20/10-11 जबलपुर दिनांक 09.03.2012 के अनुसार ग्राम रांझी पटवारी हल्का 22/25 स्थित भूमि खसरा नंबर 4/1 में से रकबा 0.300 हेक्टेयर भूमि का प्रतिवेदन भूमि आवंटन किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। अत: अतिक्रमण हटाया जाने की कार्यवाही नहीं की जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4--/वि.स.आ/नजूल/2018, दिनांक 09.02.2018	कोई टिप्पणी नहीं
182.	236	परि.ता.प्र.सं. 06 (क्र. 173) दि. 13.07.2011	जिला मुरैना के तहसील जौरा के भोजा ग्राम चिन्मौनी करेरा पटवारी हल्का नं. 18 की सक्षम अधिकारी के आदेशों के नामांकित किये जाने की जांच एवं कार्यवाही एवं उक्त जमीन को नियम विरूद्ध विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।	(1) प्रकरण में जांच की जा रही है। (2) जांच में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	जांच उपरांत प्रथम दृष्टया श्री सुरेन्द्र सिंह दोहरे नायब तहसीलदार एवं श्री डी.पी. श्रीवास्तव तहसीलदार दोषी पाये गये हैं। जिनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। पूर्ति की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20/237/2012/2ए, दिनांक 15.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं
183.	237	परि.ता.प्र.सं. 12 (क्र. 236) दि. 13.07.2011	छतरपुर शहर में नजूल भूमि पर निर्मित शासकीय/ अर्धशासकीय भवन व दुकानों की बिक्री के पश्चात नजूल भूमि की राशि बकायादार संस्थाओं से वसूली की कार्यवाही।	वसूली की कार्यवाही नियमानुसार जारी है।	संस्थाओं को आवंटित भूमि की प्रीमियम की राशि 4879580/- के विरूद्ध रूपये 478395- एवं भू-भाटक रूपये 6085352/- के विरूद्ध 955685/- राशि कर वसूली की जा चूकी है। शेष राशि की वसूली का कार्य प्रगति पर है। वसूली का कार्य सततरूप से निरन्तर चलता रहेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-70/2011/सात-नजूल, दिनांक 16.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं
184.	238	परि.ता.प्र.सं. 20 (क्र. 330) दि. 13.07.2011	टीकमगढ़ नगर में सार्वजनिक नालों पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना।	अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।	नगर टीकमगढ के वार्ड क्र. 22 23 स्थित नालों पर किए गए अतिक्रमण के संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए गए तथा विधिवत सुनवाई उपरांत अर्थदण्ड तथा बेदखली के आदेश पारित किया जा चुके हैं। एक प्रकरण क्र. 186/अ-68/2011-12 के विरूद्ध सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार सारभूत कार्यवाही हो जाने तथा एक	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					मामला न्यायिक संस्था के विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 155/2019/सात-2, दिनांक 22.11.2021	
185.	239	परि.ता.प्र.सं. 46 (क्र. 720) दि. 13.07.2011	शिवपुरी जिले के 28 मकानों को दतिया जिले में शामिल करने की कार्यवाही की जाना।	शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।	अधिसूचना दिनांक 31.01.2012 द्वारा शिवपुरी जिले के 28 ग्रामों को दतिया जिले में शामिल किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-139/2011/सात/6, दिनांक 16.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
186.	240	परि.ता.प्र.सं. 62 (क्र. 881) दि. 13.07.2011	भिण्ड जिले के रविशंकर पुत्र कृपाराम मुख्य ट्रस्टी लोक कल्याण ट्रस्ट रावतपुरा द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंधमें माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 4121/2010 दिनांक 10.1.2011 पर दिये गये आदेश का पालन किया जाना।	संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	भिण्ड जिले के रविशंकर पुत्र कृपाराम मुख्य ट्रस्टी लोक कल्याण ट्रस्ट रावतपुर द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा रिटपिटीशन क्रमांक 4121/2010 दिनांक 10.01.2011 के पालन में तहसीलदार लहार के पत्र क्रमांक क्यू/तह./2016/क्यू/लहार, दिनांक 15.07.2016 द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही के क्रम में अतिक्रमण द्वारा जबाव प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटा लिये जिसमें सर्वे क्रमांक 24 रकबा 0.85 हे0 में से कही अतिक्रमण नहीं पाया गया। तहसीलदार लहार से पुन: अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। तहसीलदार लहार पत्र क्र./क्यू/रीडर/2021/715 लहार नही है। अत: वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 777/1194/2021/सात/नजूल, दिनांक 07.06.2022	कोई टिप्पणी नहीं
187.	241	परि.ता.प्र.सं. 67 (क्र. 895) दि. 13.07.2011	बालाघाट जिले के कटंगी नगरीय क्षेत्र में शासकीय नजूल सीट क्रमांक में एनसीए बेदावा करार के अंतर्गत आवंटित नजूल भूमि पर पट्टाधारियों द्वारा पक्के निर्माण	पूर्ण जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	कलेक्टर जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 9786/नजूल/2012 दि. 28.08.2012 से प्राप्त जानकारी में उल्लेख किया गया है कि नगर कटंगी के नजूल शीट क्रमांक 2 सी प्लाट नं. 32/1 में से क्षेत्रफल 203 वर्गफीट भूमि बेदावाकार पट्टे पर गेंदमल पिता राउतमल को चबूतरा एवं बालकनी हेतु रा.प्र.क्र. 32/अ-33/1963 आदेश दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			किये जाने की जांच एवं कार्यवाही ।		19.05.1966 के द्वारा की गई थी। गेंदलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारसान पुत्र महेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार पिता गेंदलाल के द्वारा 101.5 वर्गफुट में टीन शेड को हटाकर कॉलम बीम का पक्का निर्माण कर लिया गया है। आवेदक महेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार पिता गेंदलाल के विरूद्ध लीज शर्तों के उल्लंघन एवं बेदावा करार पट्टा दिये जाने के संबंध में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 24/अ-20(1) 2011-12 को निरस्त कर बेदावा करार पट्टा समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार नजूल शीट क्रमांक 2 सी प्लाट नं 35 क्षेत्रफल 1975 वर्गफीट में से क्षेत्रफल 285 वर्गफूट भूमि निस्तार प्रयोजन हेतु स.प्र.क्र. से 11/अ-20(1) 1970-71 आदेश दिनांक 01.07.73 के द्वारा भोलाराम पिता रामदीन गुप्ता को बेदावा करार पर आवंटित थी ।भोलाराम वारसान उमाकांत, अजीत कुमार, प्रमोद कुमार पिता रामदिन गुप्ता द्वारा उक्त भूमि पर पक्का निर्माण कर लिये जाने से लीज शर्तों के उल्लंघन के कारण प्रचलित प्रकरण क्रमांक 23/अ-20(1) वर्ष 11-12 में कार्यवाही कर बेदावा करार पट्टा सामाप्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1281/1875/2021/सात/5, दिनांक 11.11.2021	
188.	242	अता.प्र.सं. 19 (क्र. 322) दि. 13.07.2011	गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति ।	रिक्त पदों की पूर्ति यथासंभव शीघ्र की जावेगी ।	(1) तहसील गाडरवारा में 144 पटवारियों के पद स्वीकृत है। जिसमें 7 पद रिक्त है, गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला स्तर के मान से कोई पद रिक्त नहीं है। (2) राजस्व निरीक्षक के 8 पद स्वीकृत है जिसमें 8 राजस्व निरीक्षक कार्यरत है सभी पदों की पूर्ति की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1281/1875/2021/सात/5, दिनांक 11.11.2021	कोई टिप्पणी नहीं
189.	243	अता.प्र.सं. 26 (क्र. 461) दि. 13.07.2011	कटनी जिले के बोहरीबंद स्थित ग्राम सिमरापटी में स्थित खसरा नं. 304 रकबा 0.60 भूमि हस्तांतरण पट्टा वितरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	प्रकरण में निर्णय उपरांत विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी ।	न्यायालय तहसीलदार बहोरीबंद के राजस्व प्रकरण क्रमांक-12/अ-6/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2012 द्वारा आवेदन शिवकुमार आत्मज रामिलन वर्मन निवासी सिमरापटी को सुनवाई हेतु विधिवत अवसर देते हुए ग्राम सिमरपटी स्थित भूमि खसरा नम्बर पुराना 181 नया 304 रकबा 0.66 हैक्टेयर शासकीय चरनोई दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 09.08.2012 को पारित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ/235/2012/सात/2 ए, दिनांक 21.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
190.	244	अता.प्र.सं. 33 (क्र. 575) दि. 13.07.2011	इटारसी में नालों की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही विचाराधीन है।	(1).तहसीलदार इटारसी के राजस्व प्र.क्र. 1/अ-66 वर्ष 2010-11 मौजा इटारसी स्थित भूमि खसरा नं. 46/1 रकवा 0.401 हे. में म.प्र. शासन नाला को आवेदक सिरीश कोठारी वल्द मोहनलाल कोठारी वगैरह के नाम एवं खसरा नं. 671/3 में से रकवा 0.101 हे. जो निजी भूमि में को म.प्र. शासन के नाम दर्ज किये जाने का आदेश कलेक्टर महोदय के राजस्व प्र.क्र. 79/बी-121 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के अनुसार अभिलेख दुरूस्त कराया जा चुका है। (2). प्रकरण में अब कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ -7-/सा वि/प्र.रा.आ/2015/7652, दिनांक 14.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं
191.	245	अता.प्र.सं. 42 (क्र. 697) दि. 13.07.2011	मंदसौर जिले के सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति।	यथासंभव शीघ्र।	मंदसौर जिले के सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के 32 पर रिक्त है। पटवारी चयन परीक्षा 2008 में रिक्त 57 पदों के विरूद्ध उम्मदीवारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन/रिट अपील प्रचलित है जिनका निराकरण होने के पश्चात तथा पटवारी चयन परीक्षा वर्ष 2012 विज्ञापित 38 रिक्त पदों के विरूद्ध 34 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। 25 उम्मीदवारों को पटवारी प्रशिक्षण शाला उज्जैन भेजा गया है। प्रशिक्षण उपरांत पटवारी के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 11-29/2011/सात/4 बी, दिनांक 13.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
192.	246	अता.प्र.सं. 46 (क्र. 722) दि. 13.07.2011	शिवपुरी जिले में भूदान यज्ञ बोर्ड की भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की जांच की कार्यवाही पूर्ण कर भूमि का हस्तांतरण किया जाना।	न्यायालयीन प्रक्रिया उपरांत प्रकरणों में अंतिम निर्णय होने पर निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	शिवपुरी जिले में भूदान यज्ञ की भूमि हस्तांतरण प्रकरणों को स्व निगरानी में लिये जाकर 320 प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। शेष बचे प्रकरणों में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959, के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलित है। प्ररकण में Adjudication (न्याय निर्णय) निहित होने से तथा सारभूत कार्यवाही हो जाने से। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 209/3946/2021/ सात-एक, दिनांक 19.01.2022	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
193.	247	अता.प्र.सं. 74 (क्र. 896) दि. 13.07.2011	बालाघाट जिले की उप तहसील बीरसा को तहसील बनाने संबंधी आदेश जारी करने की कार्यवाही की जाना ।	प्रशासनिक कार्यवाही के पश्चात तहसील बनाने के अंतिम आदेश जारी किए जाना है ।	विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-3/2009/सात/6 दिनांक 27.02.2012 द्वारा नवीन तहसील बिरसा का सृजन किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21-141/2012/ सात-6, दिनांक 29.03.2012	कोई टिप्पणी नहीं
194.	248	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 262) दि. 14.07.2011	विदिशा जिले में मृत व्यक्ति श्रीमती कस्तूरी बाई पत्नी स्व. भैयालाल जैन के नाम से भूखण्ड पट्टा दिये जाने के संबंध में जांच एवं कार्यवाही ।	मैं इस पूरे प्रकरण की कमिश्नर से जांच करा लूंगा । जल्दी से जल्दी ।	कमिशनर भोपाल से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 4591/शिका/विदिशा/2011 दि. 21.10.2011 के अनुसार प्रकरण की संपूर्ण स्थिति का समग्रमा में विवेचना उपरान्त निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है, जिसमें कथित पट्टा नहीं होने संबंधी तथा नगर पालिका विदिशा द्वारा भवन नामांतरण आदि की जानकारी के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत याचिका क्रमांक 4407/2010 से कार्यवाही स्थगित की गई है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण का विषय माननीय उच्च के विचाराधीन होने से अन्य विधि से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 21-91/2011/ सात नजूल, दिनांक 04.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
195.	249	ता.प्र.सं. 02 (क्र. 11) दि. 20.07.2011	जिला सिंगरौली में पटवारियों के स्वीकृत पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही ।	यथासंभव शीघ्र पटवारी के पद रिक्त है और जल्दी से जल्दी पद भरने की कार्यवाही हम करेंगे ।	सिंगरौली जिले के अर्तगत कुल पटावारियों के 166 पद स्वीकृत हे जिसके विरूद्ध 133 पटवारी कार्यरत है शेष 33 पटवारियों के रिक्त प के विरूद्ध ऑनलाईन पटवारी परीक्षा 2012 में 33 चयनित उम्मीदवारों का प्रथम सत्र 2012 में 22 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा गया है। शेष 11 उम्मीदवारों को द्वितीय सत्र में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा। प्रशिक्षण परिक्षा उत्तीर्ण करने पर संबंधितों को पटवारी के रिक्त हल्कों में पदस्थापनाऐं कर दी जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 11-31/2011/सात/4 बी, दिनांक 04.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
196.	250	ता.प्र.सं. 03 (क्र. 477) दि. 20.07.2011	खरगौन जिला क्षेत्र में वर्ष 2008 से प्रश्न दिनांक तक नियम विरूद्ध भूमि आवंटन/नामांतरण किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कसरावद द्वारा जांच की जा रही है।	कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन का पत्र 8/भू.अभि.4/12क्र0 दिनांक 14.02.2012 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कसरावद द्वारा जांच उपरांत प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर श्री बलीराम पटेल अतिरिक्त तहसीलदार खरगोन तत्कालीन तहसीलदार कसरावद को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-862/2011/ सात-4 ए भोपाल दि. 28.07.2011 द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उपरान्त नायब तहसीलदार कसरावद के राजस्व प्रकरण क्र.0693/बी-121/2010-11 आदेश दिनांक 30.08.2011 द्वारावृक्ष पट्टा निरस्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 6-9/आ.वि.स./शि.शा/प्र.रा.आ/2015/6454 दिनांक 04.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
197.	251	ता.प्र.सं. 04 (क्र. 1477) दि. 20.07.2011	छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी एवं होशंगाबाद जिले के वनखण्डों में शामिल जमीनों को पटवारी मानचित्र एवं खसरा में पंजी से पृथक किये जाने की कार्यवाही।	छिंदवाड़ा एवं होशंगाबाद जिले में कार्यवाही प्रचलित है धारा 20 के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीनों को पृथक करने की जावेगी। सिविनी जिले में 63 वनखण्डों के भूमि का सीमांकन पूर्ण होने के उपरांत पटवारी मानचित्र एवं पंजी से अलग कर दिया जावेगा। बैतूल जिले में वन व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय में प्रक्रिया विचाराधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।	सिवनी जिले में 63 वनखण्डों के भूमि का सीमांकन पूर्ण होने के उपरांत पटवारी मानचित्र एवं खसरा पंजी से अलग कर दिया गया है। जिला बैतूल, होशंगाबाद एवं छिन्दवाड़ा में कार्यवाही प्रचलित है। चूँकि अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा अपने नियमित कार्यो के साथ-साथ वन व्यवस्थापन अधिकारी का कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है। जिससे धारा 5 से 19 तक की कार्यवाही में समय लग रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-87/2011/सात नजूल/, दिनांक 05.03.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
198.	252	ता.प्र.सं. 07 (क्र. 1906) दि. 20.07.2011	रायसेन जिले में पाला/तुषार पीडित कृषकों को राहत राशि वितरण शीघ्र कराया जाना।	एक माह के समस्त प्रभावितों को राहत राशि वितरित कर दी जायेगी बाकी पैसा हम तत्काल बांट देंगे।	रायसेन जिले की सभी तहसीलों में पाला तुषार से प्रभावित फसलों के लिये जांच में पात्र पाये गये सभी किसानों का म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 दी जायेगी बाकी के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार राहत अनुदान सहायता राशि का वितरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-219/2011/सात-3, दिनांक 16.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
199.	253	ता.प्र.सं. 10 (क्र. 1508) दि. 20.07.2011	गुना जिला अंतर्गत विकासखण्डों में निःशुल्क भू-अधिकार पुस्तिका के शेष रहे कृषकों को शीघ्र वितरण करायी जाना।	कार्यवाही प्रचलित है 43 हजार ओर भू-अधिकारी पत्र बचे है यह भी हम तत्काल बटवाने की कार्यवाही कर रहे है।	भू-अधिकार पुस्तिकाएं वितरित की जा चुकी है अब कोई भी भू-अधिकार पुस्तिका वितरत हेतु शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-158/2011/सात-6, दिनांक 12.11.2014	
200.	254	ता.प्र.सं. 11 (क्र. 2353) दि. 20.07.2011	रायसेन जिले की तहसील गैरतगंज में किसानों के फसलों की पाले से हुई क्षति पूर्ति की स्वीकृत राशि के चेको का बैंक से भुगतान कराया जाना।	मैं उस प्रकरण को देख लूंगा और तत्काल कार्यवाही करूंगा।	सभी पाला तुषार पीडितों को भुगतान हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-217/2011/सात-3, दिनांक 16.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
201.	255	ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1715) दि. 20.07.2011	(1) जिला प्रशासन को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 5.4.11 एवं 7.4.11 को कलेक्टर टीकमगढ़ को लिखे पत्रों पर की गई कार्यवाही। (2) टीकमगढ़ जिले के ग्राम पाण्डेर के अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को जमीन के कब्जे दिलाया जाना।	(1) विद्यालय को भवन निर्माण एवं खेल मैदान के लिये जमीन आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है कलेक्टर ने जैसे ही आपका पत्र मिला उन पर कार्यवाही तत्काल कर दी है आपका खेल मैदान मिल जायेगा और कब्रिस्तान की जमीन भी मिल जायेगी। (2) पूरे प्रकरण की मैं जांच करा लूंगा मैं पूरे प्रकरण को दिखवा लूंगा	(1) ग्राम पंचायत हीरानगर तहसील टीकमगढ़ में शासकीय हाई स्कूल हीरानगर को भवन एवं खेल के मैदान हेतु भूमि खसरा नंबर 1328 रकबा 1.479 है0 एवं खसरा नंबर 328/4 रकबा 0.448 है0 का हस्तांतरण म.प्र. शासन शिक्षा विभाग के प्रकरण क्रमांक 3 बी/121/11-12 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2011 के अनुसार किया जा चुका है। मोहनगढ़ तिमैला पर निवासरत मुस्मिम समुदाय के लोगों के लिये कब्रिस्तान हेतु भूमि आरक्षित करने के लिये ग्राम रमपुंरा की अन्य शासकीय भूमि का राजस्व निरीक्षक/पटवारी हल्का से प्रस्ताव लिया गया जिसमें ग्राम रमपुरा की आराजी नंबर 311/1/6 रकबा 0866	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				अगर ऐसी स्थिति है कि उनको पट्टे दिये गये है और कब्जे नहीं है तो कब्जा दिलवाने की कार्यवाही करेंगे। विधायक जी कह रहे है कि कुछ लोगों का मामला कोर्ट में है तो हम देखेंगे अगर वास्तविक है जिनके पट्टे है उनको कब्जा नहीं है तो कब्जा देने की कार्यवाही करेंगे ।	है0 में से 0.405 है0 पर कब्रिस्तान के लिये भूमि सुरक्षित किया जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार मोहनगढ़ के न्यायालय के प्रकरण क्र.- 188/बी-121/11-12 दर्ज किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी जतारा के माध्यम से दिनांक 18.12.2012 को प्रस्ताव कलेक्टर टीकमगढ़ को भेजा गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। (2) मान. विधायक का पत्र क्रमांक-8, दिनांक 05.04.2011 आवेदक अनंता पत्रु घनू अहिरवार, जशरथ तनय रन्जौरा, दयाराम पुत्र भरोसा अहिरवार निवासी पाण्डेर तहसील टीकमगढ़ के पट्टे की भूमियों पर कब्जा दिलाने के संबंध में था। यह पट्टे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के राजस्व प्रकरण क्र.-40/अपील/02 में पारित आदेशदेश दिनांक 16.02.2004 द्वारा निरस्त कर जांच के निर्देश दिये गये थे। न्यायालय कमिश्नर सागर संभाग ने अपने अपीलीय प्रकरण क्रमांक 545/अ-19/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2007 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ का आदेश यथावत रखा है। इस प्रकार वर्तमान में पट्टा जीवित न होने से कब्जा दिलाया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20-232/2012/सात/2 ए, दिनांक 30.03.2013	
202.	256	ता.प्र.सं. 25 (क्र. 854) दि. 20.07.2011	सागर जिले के खुरई में नक्शा बिना आवासीय व्यवसायिक एवं शासकीय भूमि का सीमांकन किया जाना ।	मौजा खुरई का चालू नक्शा पटवारी के पास उपलब्ध है इसी नक्शे से आवासीय व्यवसायिक एवं शासकीय भूमि का सीमांकन किया जा रहा है ।	(1). जांच में पाया है कि मौजा खुरई का चालू नक्शा हल्का पटवारी को प्राप्त हो गया है एवं नक्शा प्राप्ति पश्चात् आवासीय/व्यवसायिक/शासकीय भूमि के 7 प्रकरणों में सीमांकन कार्य किया जा चुका है। अन्य प्रस्तुत आवेदनों में भी सीमांकन कार्य नियमानुसार किया जाता है। (2). प्रकरण में अब कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ -7-/सा.वि./प्र.रा.आ/2015/6696, दिनांक 16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
203.	257	ता.प्र.सं. 13 (क्र. 782) दि. 20.07.2011	बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसमी अंतर्गत नियम विरूद्ध प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाना।	विधिक कार्यवाही समयावधि में की जावेगी।	विधिक कार्यवाही की जाकर शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटा दिया गया है। अनावेदक मेसर्स रामदेव इन्फ्रास्ट्चर द्वारा अपनी निजी भूमि स्वत्व का विक्रय किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ -20/231/2012/सात/2 ए, दिनांक 10.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं
204.	258	परि.ता.प्र.सं. 16 (क्र. 812) दि. 20.07.2011	जिला सीधी की तहसील रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम अकोरी में भूमि वंटन एवं कब्जे के संबंध में कलेक्टर सीधी के प्रतिवेदन क्र. 470 दिनांक 26.5.04 एवं उस पर संभागायुक्त रीवा के अर्धशासकीय पत्र क्र. 2226 दिनांक 8.6.04 में दिये गये निर्देशों पर कोई कार्यवाही न किये जाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।	कमिश्नर न्यायालय रीवा में विचाराधीन है।	कलेक्टर, सीधी ने पत्र दिनांक 23.02.2013 से अवगत कराया गया है कि उक्त विषयांकित मामले के संबंध में अपर आयुक्त न्यायालय रीवा संभाग, रीवा में प्रकरण विचाराधीन है। इस कारण निर्णय होने तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। चूकी प्रकरण का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किया जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ -7-/सा.वि./2015/5009, दिनांक 03.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं
205.	259	परि.ता.प्र.सं. 21 (क्र. 956) दि. 20.07.2011	विधानसभा करैरा में सिंचाई के नाम विस्थापित मोहनी डेम के लोगों को दी जाने वाली भूमि पर अतिक्रमण किये जाने वालों के विरूद्ध की कार्यवाही मोहनी डेम के विस्थापितों के लिये करैरा तहसील के आमोल हल्का में सिंचाई विभाग की आरक्षित भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	सर्वे नं. 349, 364, 368, 405, 406, 407, 409, 411 मिन 473 कुल किता 9 रकबा 21.52 है0 ग्राम आमोलपटा में मोहिनीसागर हेतु 21.52 है0 भूमि सुरक्षित है। जिसमें से 7.20 है0 पर ग्राम पंचायत द्वारा तालाब निर्मित है एवं शेष भूमि 518 है0 पर ग्रामीण कृषकों का फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जा चुका है। मोहिनी सागर बांध के विस्थापितों को नरवर के पास ग्राम सिकन्दरपुर में विस्थापित किया जा चुका है, जिस हेतु आवंटित भूमि की आवश्यकता इस परियोजना हेतु नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ -20/230/2012/सात/2 ए, दिनांक 28.12.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
206.	260	परि.ता.प्र.सं. 27 (क्र. 1120) दि. 20.07.2011	विधानसभा क्षेत्र कालापीपल के ग्राम अरनियां कला में राजस्व की भूमि पर अवैधानिक अतिक्रमण को हटाने एवं नक्शे को दुरूस्त कराने की कार्यवाही।	अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने की कार्यवाही प्रचलित है रकबा दुरूस्ती की कार्यवाही की जावेगी।	शाजापुर जिले की तहसील कालापीपल के ग्राम अरन्याकलां के प्र.क्र. 100-101 अ-68 आदेश दिनांक 12 जुलाई 2012 से अतिक्रमण हीरालाल व रामस्वरूप पिता देववक्श का अतिक्रमण हटा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 20/162/2009/सात-ए, दिनांक 17.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
207.	261	परि.ता.प्र.सं. 31 (क्र. 1217) दि. 20.07.2011	पन्ना शहर में पुराने मकानों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु नजूल शाखा में लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण।	शेष लंबित आवेदनों का निराकरण यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।	पन्न शहर में पुराने मकानों की मरम्मत एवं निर्माण के लिये अनापत्ति प्रमाण हेतु नजूल शाखा में 17 आवेदन लंबित थे जो निराकृत हेतु एक माह का समय चाहा गाया था उक्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-88/2011/सात – नजूल, दिनांक 11.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं
208.	262	परि.ता.प्र.सं. 57 (क्र. 1673) दि. 20.07.2011	जिला नरसिंहपुर में तेंदूखेड़ा तहसील के अंतर्गत चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना एवं ऋण पुस्तिकायें वितरित की जाना।	(1) शेष 54 प्रकरणों में बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। (2) नवीन ऋण पुस्तिकाओं की वितरण की कार्यवाही जारी है।	(1) न्यायालय में लक्षित 54 प्रकरणों में कब्जा बेदखली के आदेश जारी किए जाकर अतिक्रमण भूमि रिक्त करा ली गई है। (2) तहसील क्षेत्रांतरण 24100 खातेदार हैं। कार्यालय में प्राप्त 18000 ऋणपुस्तिकारऐं पूर्व में वितरित की जा चुकी है। शेष 6100 खातेदारों को ऋण पुस्तिकाऐं शासकीय मुद्रणालय से प्राप्त की जाकर तहसील के 100 प्रतिशत कृषकों को ऋणपुस्तिकाऐं वितरीत कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 20/240/2012/सात/2 ए, दिनांक 26.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
209.	263	परि.ता.प्र.सं. 61 (क्र. 1705) दि. 20.07.2011	अशोकनगर जिले की नवगठित तहसील शाढौरा के स्वीकृत पदों की पूर्ति।	यथासंभव शीघ्र।	तहसील शाढौरा में एक तहसीलदार, चार सहायक ग्रेड-3 तथा 5 भृत्य/प्रोसेस सर्वर पदस्थ किये जाकर तहसील शाढौरा के कार्य संचालन की सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ नं. 17-14/2012/सात (शा-5) भोपाल दिनांक 26.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
210.	264	परि.ता.प्र.सं. 71 (क्र. 1831) दि. 20.07.2011	सागर जिले में एस.सी.एस.टी. एवं ओ.एम.बी.सी. के आवेदकों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी कराये जाने की कार्यवाही।	शिविर आयोजित कर स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश पुन: दिये जावेंगे।	सागर जिले में दिनांक 30.06.2012 तक एस.सी. के 3923, एसटी के 576 एवं ओबीसी के 10728 आवेदन प्राप्त हुये थे। जिसका समयावधि में प्रमाण पत्र बनाये जा चुके है। उक्त अवधि के पूर्व के कोई अभ्यावेदन निराकरण हेतु शेष नहीं है। इस स्थिति में उक्त आश्वासन की पूर्ति का जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-45/2011/सात भोपाल, दिनांक 07.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
211.	265	परि.ता.प्र.सं. 72 (क्र. 1844) दि. 20.07.2011	तहसील सरदारपुर जिला धार में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 59 के चौड़ीकरण/ निर्माण में प्रभावित भूमि/भवन/पेड़ आदि सम्पत्ति अधिग्रहण से संबंधित मुआवजा की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं निराकरण कर मुआवजा राशि का भुगतान।	जांच प्रतिवेदन उपरांत निराकरण कर दिये जावेंगे राशि प्राप्त होते ही मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।	प्रश्न के भाग " ख " में उल्लेखित अमरा उर्फ अमरसिंह चैन्या उर्फ चैन सिंह, नाना पिता गटिया, झितरी बाई उर्फ झीमतीबाई बेवा गटिया जाति भील निवासी दत्तीगांव टीमरीपाडा को ग्राम दत्तीगांव तहसील सरदारपुर की भूमि खरारा क्रमांक 240 पैकि क्षेत्रफल 1.104 हैक्टर का चैक क्रमांक 022785 दिनांक 29.08.2012 द्वारा मुआवजा राशि रूपये 2,79,312/- का भुगतान किया गया है। प्रश्न के भाग – " ग " से संबंधित राजस्व ग्राम दलपुरा तहसील सरदार पुर के सर्वे नंबर 1 का प्रकाशन 3 डी में न होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण द्वारा मुआवजे का अनुमोदन नहीं किया गया है जबकि खसरा क्रमांक-564 आर.ओ.डब्ल्यू. पर होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुआजा राशि का अनुमोदन नहीं किया गया है। राजस्व विभाग के पत्र क्र.-एफ12-65/सात/9/90 दिनांक 16.04.1991 की कंडिका 11 (ब) के अनुसार प्रभावितों को, उनके द्वारा निर्मित संरचना हेतु नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ- 20/227/2012/सात/2 ए, दिनांक 03.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
212.	266	परि.ता.प्र.सं. 73 (क्र. 1860) दि. 20.07.2011	प्रदेश के नायब तहसीलदार एवं सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख पद पर राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति ।	राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार/ सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्नत कर दिया जावेगा ।	इस विभाग के आदेश एफ नं. 2-4/2011/सात (4बी) दिनांक 22 अक्टूबर 2011 द्वारा 44 राजस्व निरीक्षकों को सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पद पर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त के आदेश एफ नं. 3-51/स्था./प्र.रा.आ./2011/396 दिनांक 21 अक्टूबर 2011 द्वारा 25 राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 11-32/2012/सात/4 बी, दिनांक 13.03.2012	कोई टिप्पणी नहीं
213.	267	परि.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 2007) दि. 20.07.2011	राजगढ़ जिले के नगर जीरापुर में वक्फ ईन्तजामिया कमेटी की भूमि का सीमांकन मा.उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिये आदेश के अनुरूप शीघ्र कराये जाने की कार्यवाही ।	नवीन नक्शा निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है ।	जिला राजगढ़ के नगर जीरापुर का नक्शा शीटों में संधारित है, जिसमें से शीट क्रमांक 05 जीर्ण शीर्ण होने तथा प्रमाणित नहीं होने से कलेक्टर राजगढ़ द्वारा नक्शा निर्माण किये जाने हेतु आयुक्त भू-अभिलेख को लिखा गया था, इस संबंध में नगरीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण हेतु मार्ग दर्शिका दिनांक 02.12.2021 को जारी कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 209/3946/2021/सात/एक, दिनांक 19.10.2022	कोई टिप्पणी नहीं
214.	268	परि.ता.प्र.सं. 86 (क्र. 2010) दि. 20.07.2011	तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ अंतर्गत अनु.जा./अनु. जनजाति वर्ग के कृषकों के पट्टे की भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति के क्रय किये जाने पर रजिस्ट्री को अवैध घोषित कर निरस्त कर उक्त भूमि को राजसात की जाने की कार्यवाही ।	कार्यवाही प्रचलित है ।	विधानसभा प्रश्न क्रमांक-2010 के प्रश्नांश " ख " के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट " ब " में अंकित ग्राम खुमनानपुरा के 2 प्रकरणों में आवंटित भूमि के विक्रय के कारण शासकीय घोषित किये जाने की न्यायालयीन कार्यवाही तहसील स्तर पर की गई है। शेष ग्राम बटावदा के 12 प्रकरणों एवं ग्राम कार्शीखेडी के 01 प्रकरण की भूमि शासकीय घोषित की जा चुकी है। प्रकरणों में अपील निगरानी की न्यायालयीन प्रक्रिया प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20/254/2012/सात/2 ए, दिनांक 10.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
215.	269	परि.ता.प्र.सं. 113 (क्र. 2334) दि. 20.07.2011	मुलताई कृषि उपज मंडी में दिनांक 1 सितम्बर, 2010 से प्रश्न दिनांक तक किसानों की कृषि उपज का भुगतान न करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	भू-राजस्व वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कलेक्टर जिला बैतूल द्वारा उल्लेख किया गया है कि कृषि उपज मण्डल समिति मुलताई में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी फर्म विनोदीलाल ओमप्रकाश अग्रवाल मुलताई द्वारा कुल 54 किसानों की भुगतान राशि 3357924/- रू. प्रश्न दिनांक तक बकाया था। किसानों की कृषि उपज की बकाया राशि की वसूली भू-राजस्व के तौर पर मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 61 के अन्तर्गत कलेक्टर बैतूल को प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर बैतूल द्वारा तहसीलदार मुलताई को वसूली हेतु आरकृआर.सी. सौंपी गई एवं फर्म विनोदीलाल, ओमप्रकाश अग्रवाल द्वारा किसानों की कृषि उपज का समयावधि में भुगतान नहीं किये जाने से मण्डी अधिनियम की धारा 37 (ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति स्वमेव निरस्त हो गई। कृषि उपज मण्डी समिति मुलताई में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी फर्म विनोदीलाल, ओमप्रकाश अग्रवाल द्वारा वर्ष 2010-11 में 01 सितम्बर 2010 से प्रश्न दिनांक तक मण्डी प्रांगण में सोयाबीन क्रय किया गया था जिसमें कुल 54 किसानों द्वारा कृषि उपज का भुगतान न होने से शिकायत प्राप्त हुई थी। 54 किसानों की शिकायत के अनुसार भुगतान राशि 3357924/- रू. का भुगतान किया जाना शेष था। प्राप्त शिकायत का मण्डी अधिनियम के अनुसार आर.आ.सी. के तहत कार्यवाही कर समस्त 54 किसानों को राशि 3357924/- रू. का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति मुलताई में कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार किसी भी कृषक का भुगतान होना शेष नहीं है ना ही उक्त संबंध में कोई शिकायत विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/2016/720 भोपाल दिनांक 04.02.2016	कोई टिप्पणी नहीं
216.	270	अता.प्र.सं. 04 (क्र. 463) दि. 20.07.2011	कटनी जिला तहसील बहोरीबंद के ग्राम कछगवां एवं बचैया के अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को आवंटित शासकीय भूमि के पट्टे अन्य को विक्रय किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण की जांच करायी जावेगी।	ग्राम बचैया की भूमि ख.न. 1085 के समस्त बटा नंबरों एवं ग्राम कछगांव के ख.न. में जारी समस्त पट्टे व नामांतरण निरस्त किये जाकर भूमि म.प्र. शासन चरनोई मद में राजस्व अभिलोखों में दर्ज करायी गई है। दोषी पटवारी श्री संजय राठौर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** जावक क्र. 255/2018, दिनांक 09.02.2018	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
217.	271	अता.प्र.सं. 10 (क्र. 752) दि. 20.07.2011	नीमच जिले के टप्पा रामपुरा को तहसील बनाये जाने की मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन।	प्रशासनिक कार्यवाही के पश्चात तहसील बनाने के संबंध में अंतिम आदेश जारी किया जाना है।	विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-3/2009/सात/6, दिनांक 27.02.2012 द्वारा नीमच जिला अंतर्गत नवीन तहसील रामपुरा के सृजन संबंधी आदेश जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-151/2011 सात-6,दिनांक 26.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं
218.	272	अता.प्र.सं. 31 (क्र. 1387) दि. 20.07.2011	सीधी जिले की सभी तहसीलों में तहसीलदार/ नायक तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति।	जिले में तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति यथाशीघ्र की जा रही है। नायब तहसीलदार के पद लोक सेवा आयोग से चयन सूची प्राप्त होने पर इन पदों की पूर्ति की जा सकेगी।	जिला सीधी में तहसीलदार के स्वीकृत पद 09 है जिनमें से 07 भरे है। 02 रिक्त पद स्थानान्तर से भरे दिये गये है। इसी प्रकार नायाब तहसीलदार के 11 स्वीकृत पदों में से रिक्त तीन पदों की पूर्ति की जा चुकी है। राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2009 से चयनित अभ्यार्थियों में से दिनांक 18.07.2012 द्वारा 02 को एवं 01 पद स्थानान्तर से भरा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-174/2011/सात/6, दिनांक 29.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
219.	273	अता.प्र.सं. 94 (क्र. 2352) दि. 20.07.2011	सरदारपुर तहसील में पंचायत द्वारा निर्माणाधीन एवं सीमांकन किए गए मेवानपुरा से सोनगढ़ मार्ग के सीमा चिन्ह को नष्ट करने के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।	तहसील सरदारपुर के ग्राम सोनगढ़ में ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित महापुरा सोनगढ़ मार्ग का सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा किए जाने के उपरांत सीमाचिन्ह कायम किए गए, जिन्हें हटाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक -1/अ-11/2010-11 कायम कर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 130 के तहत सूचना पत्र जारी कर जवाब तलब किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार सीमाचिन्ह कायम नहीं किए जाने से दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही के प्रावधान नहीं होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2011 को प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-174/2011/सात/6, दिनांक 29.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
220.	274	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 185) दि. 21.07.2011	सीहोर जिले के बुधनी तहसील के ग्राम तालपुरा एवं पालीकरार में महावीर स्पीनिंग मिल्स द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के प्रभावित किसानों के परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाने हेतु कार्यवाही।	शेष को नौकरी दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बाकी को भी तत्काल नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक परिवार को नौकरी देने की व्यवस्था करने के लिये मा. मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है पहली बार अगर कोई भी उद्योग लग रहा है तो वहां के लोकल लोगों को नौकरी दी जायेगी।	कुल 83 प्रभावित परिवारों में से 61 परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी जा चुकी है। 20 परिवारों के सदस्यों को नौकरी दिये जाने हेतु आहूत किया गया परन्तु सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहे। कुल 01 परिवार का प्रकरण मान. उच्च नयायालय में विचाराधीन होने से, नौकरी नहीं दी जा सकी, तथा 01 परिवार द्वारा नौकरी की आवश्यकता नहीं होने की लिखित में अभिव्यक्ति दी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20/242/2012/सात/2 ए, दिनांक 05.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
221.	275	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 85) दि. 22.07.2011	होशंगाबाद तहसील के डोंगरी क्षेत्र में एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 43214 वर्ग फुट भूमि आवासीय योजना के क्रियान्वयन हेतु बिना प्रब्याजी एवं मात्र एक रूपये वार्षि भू-भाटक पर नगर पालिका होशंगाबाद को उपलब्ध कराई जाकर शासकीय अभिलेख में नगर पालिका का नाम दर्ज किया जाकर मकानों का आवंटन किया जाना।	प्रस्ताव का परीक्षण का शीघ्रातिशीघ्र उक्त भूमि को नगर पालिका होशंगाबाद को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी एक महिने में आवंटन कर दिया जायेगा।	कार्यालय कलेक्टर होशंगाबाद के 07.10.2011 ओदश क्रमांक रीडर/2011 दिनांक 07.10.2011 आई.एच.एस.डी.पी. योजानान्तर्गत आवास निर्माण हेतु 43218 वर्गफुट भूमि हस्तांतरित आदेश दिये गये है। नगर पालिका के हक में भूमि शासकीय अभिलेख में दर्ज हो गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-92/2011/सात-नजूल, दिनांक 02.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(14) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
222.	226	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 24) दि. 12.07.2011	(1) वर्ष 2010-11 में गोटेगांव विधान सभा के ग्राम निवारी, उमडाखेड़ा, बरहेटा का 10 हजार बोरा घुन लगा गेहूं को नये गेहूं के साथ वेयर हाउस में रखने से नया गेहूं खराब होने की जांच एवं कार्यवाही तथा शिवपुरी जिले के पिछोर सब डिवीजन के भण्डारण केन्द्र में श्री जगदीश सिंह कृषक द्वारा जितनी जमीन थी उसमें ज्यादा का वितरित गेहूं बेचे जाने की जांच एवं कार्यवाही। (2) शिवपुरी जिले में किसानों द्वारा फर्जी तरीके से भण्डारण केन्द्रों पर गेहूं बेचे जाने की जांच एवं कार्यवाही । (3) केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच गेहूं खरीदी के अनुबंध की प्रति मा.सदस्य चौधरी राकेश सिंह जी को उपलब्ध कराई जाना। (4) टीकमगढ़ जिले में सोसायटियों के गेहूं खरीद केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये बारदानों की जानकारी माननीय सदस्य श्री यादवेन्द्र सिंह जी को उपलब्ध कराई जाना ।	(1) उसकी पूरी की पूरी जांच कराऊंगा और कोई भी दोषी व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी वह कितना भी बड़ा हो जगदीश सिंह जी का जो उन्होनें नाम बताया है वह हमे दे देंगे तो हम उसकी भी जांच करा लेंगे । (2) आयुक्त खाद्य को भेजकर हम जांच करा लेंगे । (3) जी हां वह प्रति हम उपलब्ध करा देंगे । (4) वारदान की जानकारी मेरे पास अभी नहीं है मैं इनको बाद में उपलब्ध करा दूंगा ।	(1). वर्ष 2010-11 में विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव के ग्राम निवारी उमड़ाखेड़ा के गोदाम में 1773.85 मे. टन गेहूं का भंडारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के गोदाम में किया गया था जिसमें से 1635.75 मे. टन गेहूं के क्षतिग्रस्त होने के लिए उत्तरदायी अधिकारी श्री कुलदीप श्रीवास्तव, तत्कालीन गोदाम प्रभारी वर्तमान में सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर क्षतिग्रस्त की वसूली के आदेश जारी किए गए। वर्ष 2010-11 में बरहेटा गोदाम में गेहूं का भांडारण नहीं किया गया है। (2). शिवपुरी जिले में किसानों द्वारा फर्जी तरीके से भंडारण केन्द्रों पर गेहूं बेचने की जांच तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्वालियर से कराई गई। जांच में जिले के 9 उपार्जन केन्द्रों पर 101 किसानों द्वारा 285.27 मे.टन गेहूं भारित कृषि भूमि रकबे से अधिक विक्रय किए गए गेहूं पर रू 150 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि रू. 4,27,912 की वसूली अधिरोपित की गई। राशि वसूल की जाकर शासकीय मद में जमा कराई जा चुकी है। (3). इस विभाग के पत्र दिनांक 24.09.2015 द्वारा माननीय सदस्य चौधरी राकेश सिंहजी को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीज गेहूं खरीदी के अनुबंध की प्रति उपलब्ध करा दी गई है। (4). इस विभाग के पत्र दिनांक 24.09.2015 द्वारा माननीय सदस्य यादवेन्द्र सिंहजी को टीकमगढ़ जिले की सोसायटियों को प्रदाय बारदानो की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-8-153/2011/29-1 भोपाल दिनांक 03.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
223.	277	ता.प्र.सं. 18 (क्र. 476) दि. 13.07.2011	कसरावद विधान सभा क्षेत्र में गैस एजेंसी खोलने हेतु जिला कलेक्टर को भेजे गये प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही ।	नवीन वितरक नियुक्ति की कार्यवाही कंपनी के पास विचाराधीन है ।	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा अवगत कराया गया है कि कसरावद जिला खरगौन के एलपीजी वितरक चयन हेतु दिनांक 27.12.2012 को ड्रा में चयनित अभ्यार्थी को दिनांक 10.06.2013 को आश्य पत्र जारी किया गया है। चयनीत आवेदक के दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका है। विगत तीन वर्ष से कसरावद में उत्तम श्री गैस एजेन्सी संचालित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 1460/2122/2014/29-1भोपाल दिनांक 23.09.2016	कोई टिप्पणी नहीं
224.	278	ता.प्र.सं. 25 (क्र. 111) दि. 13.07.2011	ग्वालियर जिले में शहरी उपभोक्ता भण्डार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सेमी होलसेलर का कार्य किये जाने की जांच ।	जांच खाद्य एवं सहकारिता विभाग से करायी जाएगी ।	शहरी उपभोपक्ता भण्डारों को ग्रामीण क्षेत्र में लायसेंस/सेमी होलसेलर का कार्य किये जाने की जांच जिला आपूर्ति नियंत्रक ग्वालियर एवं उपपंजीयक सहकारी समिति जिला ग्वालियर द्वारा जांच कर दिनांक 29.01.2013 को संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया है कि तत्समय ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर समयावधि में केरोसिन का प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु 12 शहरी क्षेत्र के भंडारों को कार्यक्षेत्र के बाहर सेमी होलेसेलर अनुज्ञाप्तियां प्रदाय की गई है। अत: कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य करने का नियम न होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र क भंडारों को कार्यक्षेत्र के बाहर सेमी होल सेलर का कार्य करने के संबंध में संबंधितों को " कारण बताओं सूचना पत्र " जारी किये गये है तथा न्यायालय कलेक्टर में सुनवाई उपरांत सभी 12 सेमी होलेसेलर की अनुज्ञप्ति निरस्त की गई। इसके विरूद्ध 06 सेमी होल सेलर्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 8-96/2011/29-1 भोपाल दिनांक 29.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं
225.	279	परि.ता.प्र.सं. 16 (क्र. 297) दि. 13.07.2011	मण्डला जिले में खाद्यान्न मिट्टी के तेल का वितरण उसके भण्डारण एवं उसके परिवहन के संबंध में विभाग को दो वर्ष में मिली शिकायतों पर कार्यवाही की जाना।	शेष 7 शिकायतों पर कार्यवाही प्रचलन में है ।	शेष 07 शिकायतों की जांच की जा चुकी है। प्रकरण निर्मित कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके है। अद्यतन स्थिति अनुसार कलेक्टर न्यायालय में निर्णीत 04 प्रकरणों में कुल 2,38,766 रूपए की सामग्री राजसात की गई है। शेष 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-10-20/2011/उन्तीस-2 भोपाल दिनांक 19.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
226.	280	परि.ता.प्र.सं. 45 (क्र. 719) दि. 13.07.2011	शिवपुरी जिले के पिछोर एवं करैरा तहसील में उचित मूल्य पर गेहूं खरीदी में हुई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलित है।	शिवपुरी जिले के पिछौर एवं करैरा तहसील में उचित मूल्य पर गेंहू खरीदी में हुई अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु शासन द्वारा जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्वालियर को अधिकृत किया गया था। उनके द्वारा जांच की गई है जिसके आधार पर खाद्य संचालनालय से प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में वसूली की कार्यवाही प्रचलित है। गेहूं खरीदी के दौरान जप्त गेहूं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जा चुका है, जिसमें समिति द्वारा चेतावनी देकर उनका जप्त गेंहू वापस किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-8-97/2011/29-1 भोपाल दिनांक 08.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
227.	281	परि.ता.प्र.सं. 65 (क्र. 890) दि. 13.07.2011	रायसेन जिले में वर्ष 2011 में किसानों से गेहूं उपार्जन पश्चात चौबीस घंटे की अवधि के बाद उन्हें किये गये भुगतान के दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	दोषी कर्मचारी, अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र जारी किये गये है उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रतिवेदन महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन से प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।	गेहूं उपार्जन पश्चात् 24 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गये थें। उक्त अवधि में भुगतान कर पाना व्यवहारिक रूप से उपयुक्त न होने के कारण आगामी वर्ष में भुगतान की अवधि 07 दिवस कर दी गई है। नई नीति लागू हो जाने से 24 घंटे के बाद भुगतान करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-8-107/2011/29-1 भोपाल दिनांक 10.12.2013	कोई टिप्पणी नहीं
228.	282	अता.प्र.सं. 67 (क्र. 882) दि. 13.07.2011	वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में मार्केटिंग सोसायटी लहार जिला भिण्ड द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूं पर दिये गये बोनस की शेष राशि का भुगतान किया जाना।	राशि का भुगतान शीघ्र ही करा दिया जावेगा।	वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विपणन सहकारी संस्था लहार जिला भिण्ड द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूं पर दिये गये बोनस की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-8-95/2011/29-1 भोपाल दिनांक 31.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
229.	283	अता.प्र.सं. 81 (क्र. 2285) दि. 20.07.2011	भोपाल शहर में एक हजार से अधिक आवंटित राशन कार्डधारी दुकानों को कम करते हुए दूसरी दुकाने जनहित में खोली जाना।	प्रक्रिया पूर्ण होने पर दुकान आवंटन की आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।	प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का क्रियान्वयन मार्च 2014 से किया गया। उक्त अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री प्राप्त करने हेतु म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 अधिसूचित किया गया है जिसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में दुकान संख्या का निर्धारण 800 परिवार प्रति दुकान के मान से किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					10013/2016 में मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 की विभिन्न कंडिकाओं को चुनौती देने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों की दुकानों को यथावत चलते रहने के निर्देश जारी करने के कारण नगरीय क्षेत्र में दुकानों का युक्तियुक्तीकरण नहीं किया जा सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-8-126/2011/29-1 भोपाल दिनांक 24.07.2018	

(15) नगरीय विकास एवं आवास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
230.	118	अता.प्र.सं. 19 (क्र. 862) दि. 19.07.2011	सागर जिले के नगर पालिका खुरई के विकास प्रारूप 2021 का अनुमोदन की कार्यवाही की जाना ।	विकास योजना 2021 (प्रारूप) के अनुमोदन की कार्यवाही विचाराधीन है ।	खुरई विकास योजना 2021 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-19(2) में प्रकाशित करने हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-9-81/2011/32, दिनांक 29.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं
231.	286	ता.प्र.सं. 01 (क्र. 981) दि. 14.07.2011	भोपाल नगर निगम सीमा में बी.आर.टी.एस. योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों का अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं की जानकारी माननीय सदस्य श्री आरिफ अकील जी को उपलब्ध कराई जाना ।	मैं यह जानकारी मा. सदस्य को दो दिन में पेश कर दूंगा कि किस-किस तारीख को गये और क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई ।	माननीय सदस्य महोदय को दिनांक 17.07.2011 को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 228/2682/2019/18-2, दिनांक 09.07.2019	कोई टिप्पणी नहीं
232.	287	ता.प्र.सं. 05 (क्र. 332) दि. 14.07.2011	टीकमगढ़ नगरपालिका परिषद में वरिष्ठों को छोड़कर कनिष्ठों की पदोन्नति दी जाने में हुई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही ।	(1) नियुक्तियां और पदोन्नति की जांच प्रचलित है जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । (2) इसकी जांच चल रही है और जांच होने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । (3) दो महीने में पूरी कर ली जाएगी।	प्रकरण में उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर ने जांच कर प्रतिवेदन पत्र क्र. 1995 दिनांक 04.08.2011 द्वारा प्रेषित किया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार जिला चयन समिति की बैठक दिनांक 09.11.2011 की अनुशंसा पर श्री जयशंकर सोनी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर तथा श्री भगवती प्रसाद रायकवार देवेभो, कर्मचारी को भृत्य के पद पर छानबीन समिति की बैठक दिनांक 05.06.08 की अनुशंसा पर पीआईसी संकल्प क्र. 10 दिनांक 06.12.2010 के निर्णय अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी, टीकमगढ द्वारा नियमित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-82/2011/18-1, दिनांक 21.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
233.	288	ता.प्र.सं. 15 (क्र. 997) दि. 14.07.2011	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में सागर संभाग के नगरीय निकायों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्थानांतरण के आदेश का पालन न किए जाने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा स्थानांतरित कर्मचारियों को कार्य मुक्त किया जाना।	जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर द्वारा जांच की गई। निम्न कर्मचारियों द्वारा मा. उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है, जिस कारण वे न्यायालयीन आदेश के पालन में पूर्ववत पदस्थ न्यायालयीन आदेश के पालन में पूर्ववत पदस्थ है:- 1. श्री संजेश नायक, प्र.मु.न.पा.अधि. हटा। 2. श्री रामशंकर व्यास, रा.नि. हटा। 3. श्री अशोक दीक्षित, उपयंत्री छतरपुर। 4. श्री बसंत कुमार चतुर्वेदी, रा.नि. छतरपुर। 5. श्री शंकरलाल सोनी, स.वर्ग-3 छतरपुर। (2) शेष कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जा चुका है। स्थगन हटाने हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए गए है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-84/2011/18-1, दिनांक 21.02.2012 **अद्यतन जानकारी** :- प्रकरण में उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर द्वारा जांच की गई। जांचोपरांत बताया गया कि निम्न कर्मचारियों द्वारा मा.उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण पूर्ववत पदस्थ थे, किंतु वर्तमान में निम्न निकायों में अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ है:- 1. श्री संजेश नायक, स्वच्छता निरीक्षक, न.प. छतरपुर 2. श्री अशोक दीक्षित, उपयंत्री नगर पालिका डिंडोरी 3. श्री बसंत कुमार चतुर्वेदी, राजस्व निरीक्षक, प्रभारी सीएमओ खजुराहो। निम्न कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके है:- 1. श्री रामशंकर व्यास, राजस्व निरीक्षक 2. श्री शंकरलाल सोनी, स.वर्ग-3 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2741/4490/2021/18-1, दिनांक 19.09.2021	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
234.	289	ता.प्र.सं. 18 (क्र. 937) दि. 14.07.2011	नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों पर कार्यवाही।	सुरक्षा निधि जप्त कर सड़क सुधार कार्य हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।	निकाय द्वारा घटिया सड़क निर्माण करने वाली एजेंसियों की जमा राशि जब्त कर निविदा आमंत्रित कर ठेकेदारों को कार्यादेश दे दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 569/464/2012/18-2, दिनांक 25.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
235.	290	ता.प्र.सं. 24 (क्र. 1038) दि. 14.07.2011	बालाघाट जिले की सलाजखंड नगरपालिका परिषद को पेंशन अंशदान निधि की राशि लौटाई जाना।	6 किश्तों में निकाय से देय चुंगी क्षतिपूर्ति माह जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक की अवधि में समायोजित कर लौटाई जायेगी।	संचालनालय द्वारा नगर पालिका परिषद, मलाजखंड को निम्नानुसार राशि लौटाई जा चुकी है:- पेंशन निधि रूपये 36,51,410.00 परिवार कल्याण निधि 23,150.00 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-86/2011/18-1, दिनांक 15.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
236.	291	ता.प्र.सं. 25 (क्र. 376) दि. 14.07.2011	नगर पंचायत भानपुरा में ऊंची दरों पर सौर ऊर्जा लाइट क्रय करने वाले दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	शेषांक के लिए दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	सौर ऊर्जा लाईट क्रय में कलेक्टर मंदसौर के प्रतिवेदन दिनांक 19.01.2011 के पालन में कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में सौर ऊर्जा लाईट सामग्री क्रय में आर्थिक क्षति रू. 11,39,550/- पाए जाने पर श्री विवेक जैन, तत्का. सीएमओ (स्वास्थ्य अधिकारी) एवं श्रीमती किरण भाना, पूर्व अध्यक्ष के विरूद्ध 50-50 प्रतिशत रू. 11,39,550/- की वसूली हेतु आरोप पत्र/कारण बताओ सूचना पत्र विभागीय ज्ञाप एफ 11-86/2011/18-3 दिनांक 25.06.12 द्वारा जारी किए गए। तत्पश्चात संबंधितों की सुनवाई की जाकर निकाय को हुई क्षति रू. 11,39,550/- का 50-50 प्रतिशत रू. 5,59,775/- की राशि वसूल करने का आदेश दिनांक 30.06.15 द्वारा पारित किया जा चुका है। श्री विवेक जैन वर्तमान में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नगर पालिक निगम उज्जैन में पदस्थ है। श्री जैन से क्षति की राशि वसूली हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन को निर्देशित किया गया है। श्रीमती किरण भना, अध्यक्ष द्वारा वसूली के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक डब्ल्यु.पी. 6009/15 प्रस्तुत कर स्थगन दिनांक 02.09.02.09.2015 को प्राप्त किया गया है। चूंकि प्रकरण में माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 585/1672/2015/-3, दिनांक 21.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं
237.	292	परि.ता.प्र.सं. 07	नगर पालिका परिषद पन्ना	6 माह में भुगतान कराया जा सकेग।	नगर पालिका परिषद, पन्ना के सेवानिवृत्त 04 कर्मचारियों के पेंशन	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(क्र. 190) दि. 14.07.2011	अंतर्गत अप्रैल, 2010 से प्रश्न दिनांक तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, छठवे वेतनमान का एरियर एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान किया जाना।		एवं अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभों का भुगतान किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-85/2011/18-1, दिनांक 15.02.2012	
238.	293	परि.ता.प्र.सं. 13 (क्र. 281) दि. 14.07.2011	जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नजूल ब्लाक नं. 91 भरतीपुर के भूखण्ड क्रमांक 112 पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी।	नगर पालिक निगम जबलपुर के स्वामित्व की नजूल भूमि, नजूल ब्लॉक नं. 11 भरतीपुर (जबलपुर) प्लांट नं. 112 रकबा 3450 वर्गफुट जो कि कांजी हाऊस के नाम दर्ज है, पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया गया है, निमिर्त भवन का कब्जा दिनांक 28.11.2011 को नगर निगम जबलपुर द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जिसमें मेयर-इन कौंसिल के संकल्प क्रमांक 470 दिनांक 30.12.2011 के निर्णयानुसार उक्त भवन में वार्ड कार्यालय संचालित किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1679/248/2012/18-2, दिनांक 26.03.2012	कोई टिप्पणी नहीं
239.	294	ता.प्र.सं. 01 (क्र. 2413) दि. 21.07.2011	नगर पंचायत ईसागढ़ में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक में संविदा पर नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण पर कार्यवाही।	इसमें एक मुकदमा 307 का गंभीर है उसमें निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे जल्दी कार्यवाही कर देंगे।	नगर परिषद ईसागढ के श्री रामस्वरूप गोपीलाल एवं श्री सुनील पुत्र भगवानलाल अस्थाई सफाई श्रमिकों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 307 के प्रकरण दर्ज थे, जिन्हें माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सत्र वाद क्र. 505/08 में निर्णय दि. 26.03.2009 द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-96/2011/18-1, दिनांक 14.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
240.	295	ता.प्र.सं. 06 (क्र. 1797) दि. 21.07.2011	(1) सबलगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 में पेयजल निदान हेतु टंकी निर्माण का अपूर्ण कार्य पूर्ण करवाया जाने के लिये राशि उपलब्ध कराने के संबंध में की कार्यवाही। (2) सबलगढ़ नगर के सौंदर्यीकरण एवं फुटपाथ बनाने के लिये विशिष्ट अनुदान राशि स्वीकृत किया जाना। (3) नगर पालिका सबलगढ़ में	(1) वार्ड क्र. 12 एवं 13 में टंकी निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है। (2) पूर्व में दिये गये विशेष अनुदान के कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पात्रता अनुसार अनुदान दिये जाने पर विचार किया जावेगा। (3) टंकी के निर्माण में कुल 16 लाख रूपये खर्च होगा आपको 6 लाख रूपये ओर मैं दे दूंगा और आपका	(1) वार्ड क्र. 12 एवं 13 में पेयजल व्यवस्था हेतु आवंटित राशि 16.00 लाख रू. प्राप्त हुआ था जिसमें टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। (2) विशेष अनुदान राशि प्राप्त हुई जिससे कार्य कराया जा चुका है। (3) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत 2 टंकी एवं 3 सम्पवैल का निर्माण कार्य एवं समस्त नगर पालिका क्षेत्र में पाईप लाईन विस्तार का कार्य कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3745/4404/2016/18-2, दिनांक 03.09.2016	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			सी.सी. रोड़ और टाउन हाल तथा नवीन टंकी निर्माण का प्रस्ताव 63 लाख की स्वीकृति हेतु कार्यवाही।	कार्य पूरा कर दूंगा और आवश्यकता होगी तो और राशि भी आपको देंगे मा.मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वह पूरी की जायेगी।		
241.	296	ता.प्र.सं. 09 (क्र. 1804) दि. 21.07.2011	(1) जबलपुर नगर में फेस-1 एवं फेस-2 की सीवर लाइन के लिये खोदी गई सड़कों का रिकस्ट्रक्शन। (2) जबलपुर शहर की धंसी हुई सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण तथा सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने तक ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगाई जाना। (3) जबलपुर नगर के बी.आई.पी. रोड़ के 6-6 महीने से खुदे होने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा खुदे हुए रोड़ों की मरम्मत की जाना। (4) जबलपुर शहर की सवीर लाइन के रीकंस्ट्रक्शन के कार्य की जांच के दायरे में सौ मीटर के अंतराल में कोर टेस्टिंग एवं हगईटो टेस्टिंग कराई जाना।	(1) ए.डी.बी. का सीवेज लाइन का फेस-1, 81 करोड़ 14 लाख का है इसको हमे दिसम्बर 2012 तक पूर्ण करना है हम पूरी कोशिश करेंगे की दिसम्बर तक पूरा हो जाये फेस-2 जे.एन.एन.यू.आर.एम. का है वह 141 करोड़ 12 लाख का है और उसको 2012 तक हमे पूर्ण करना है तो हम कोशिश करेंगे कि समय सीमा में हो जाये। (2) मुख्य अभियंता के द्वारा वहां के जो कमिश्नर है उनको निर्देशित किया है कि जहां पर सड़क धंस रही है वहां पर गुणवत्ता का परीक्षण करें ओर तब तक ठेकेदार को कोई भुगतान न करे जब तक की यह काम पूरा न हो जाये। (3) हमने हमारे चीफ इंजीनियर को मुख्य अभियंता को वहां पर भेजा था ओर वह सारी जांच कर रहे है 31 जुलाई तक वह सारी रिपोर्ट पेश हो जायेगी और जहां-जहां जो कमी है या जिस प्रकार की गड़बड़ है उसकी जांच करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मरम्मत एक डेढ महीने में कर देंगे। (4) यह जो सुझाव दिया है उसको भी हम जोड़ लेंगे उसके अंदर।	जबलपुर नगर में जुलाई 2011 की स्थिति में फेज 1 एवं फेज-2 की सीवर लाईन के लिये खोदी गयी सड़कों के रिकंस्ट्रक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिन स्थलों पर हाल में सीवर लाईन डाली गई है उन स्थलों पर सड़कों के रिकंस्ट्रक्शन का कार्य प्रगति पर है। फेस-1 के अंतर्गत सीवर कार्य का ठेका निरस्त किया जा चुका है। शेष कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही प्रगति पर है। (2) जबलपुर शहर में सीवर लाईन बिछाने एवं सड़कों के रिकंस्ट्रक्शन के उपरांत जिन स्थलों पर सड़क घंसी है वहां गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है एवं सड़कों के पूर्ण पुननिमा्रण होने तक ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। सड़क के धंसने पर या उसकी गुणवत्ता खराब होने पर ठेकेदार द्वारा या उसकी रिस्क एवं कास्ट पर सुधार कार्य किया जायेगा। (3) जबलपुर नगर की वी.आई.पी. रोड़ का पुननिर्माण पूर्ण हो चुका है। जुलाई 2011 की स्थिति में फेज-1 एवं फेज-2 की सीवर लाईन के लिये खोदी गयी सड़कों के रिकंस्ट्रक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिन स्थलों पर हाल ही में सीवर लाईन डाली गई है उन स्थलों पर सड़कों के रिकंस्ट्रक्शन का कार्य प्रगति पर है। (4) कोर टेस्टिंग का कार्य किया जा चुका है जिन स्थलों पर कोर टेस्टिंग के निष्कर्ष उपयुक्त नहीं पाये गये है वहां ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया है। हाइड्राटेस्टिंग हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। जहाँ हाइड्राटेस्टिंग नहीं की जा रही है, वहां अनुबंध की शर्तो के अनुसार भुगतान रोका जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 258/242/12/18-2, दिनांक 18.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
242.	297	ता.प्र.सं. 11 (क्र. 2403) दि. 21.07.2011	नगर पालिका मुरैना अंतर्गत मेलाग्राउण्ड में सड़क निर्माण के शेष कार्य को पूर्ण कराये जाने की समयावधि।	बाकी के 25 लाख रूपये हम ओर देंगे ओर एक महीने में इसको पूरा कर देंगे।	नगर पालिका मुरैना द्वारा मेला ग्राउण्ड में सी.सी. रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6105/4456/2015/18-1, दिनांक 15.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं
243.	298	परि.ता.प्र.सं. 18 (क्र. 1360) दि. 21.07.2011	मंदसौर नगर पालिका में नामांतरण के दर्ज आवेदनों का निराकरण किया जाना।	पी.आई.सी. द्वारा शीघ्र एजेण्डा जारी कर आवेदनों का अविलंब निराकरण कराया जायेगा।	निकाय द्वारा पूर्व में प्रेषित अन्तरिम उत्तर में 414 नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की संख्यातम जानकारी प्रेषित की गई थी। वर्तमान स्थिति में समस्त 623 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2070/2445/2019/18-2, दिनांक 27.06.2019	कोई टिप्पणी नहीं
244.	299	परि.ता.प्र.सं. 29 (क्र. 1638) दि. 21.07.2011	ग्वालियर नगर निगम में उपयंत्रियों की पूर्ति हेतु कार्यवाही।	पांच पद स्वीकृति हेतु निगम द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है जो परीक्षणाधीन है।	नगर पालिक निगम ग्वालियर के प्रस्तावानुसार नवीन सेटअप में उपयंत्री के 05 पद सम्मिलित करने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-97/2011/18-1, दिनांक 04.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
245.	300	परि.ता.प्र.सं. 32 (क्र. 1702) दि. 21.07.2011	शिवपुरी जिले के नगर पंचायत खानियाधाना के वार्ड क्र. 1, 2 एवं 9 में मुख्य सड़क किनारे की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा कार्यवाही।	राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नोटिस के जवाब आने पर न्यायालयीन कार्यवाही पूर्ण कर नियमानुसार की जावेगी।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद खनियाधाना के पत्र क्र. 428 दिनांक 08.06.12 के अनुसार निकाय में कुल 73 अतिक्रमणधारी थे जिनमें से तहसीलदार खनियाधाना के नेतृत्व में कुल 65 अतिक्रमण हटाये जा चुके है। 8 व्यक्तियों द्वारा मान. उच्च न्यायालय ग्वालियर से स्थगन प्रस्तुत किये है, मा.न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2059/282/12/18-2, दिनांक 25.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
246.	301	परि.ता.प्र.सं. 44 (क्र. 1835) दि. 21.07.2011	सागर नगर के पशुपालको की दुग्ध डेयरी को विस्थापित करने हेतु उनकी उचित मांगो का समावेश कर कार्य योजना तैयार की जाना।	पशुपालको के लिये प्रदत्त सुविधाये तथा उनकी उचित मांगों को समावेश कर कार्य योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	डेयरी विस्थापन हेतु पशु नियंत्रण नियम लागू करने के पश्चात नगर निगम सीमा में पशुओं को रखना प्रतिषिद्ध किया गया है। एक ही स्थान पर डेयरी विस्थापन न कर निवेश क्षेत्र में उपलब्ध जगह में विस्थापन किये जाने की कार्य योजना के तहत कलेक्टर, जिला सागर के द्वारा निम्न ग्रामों धर्मश्री पटवारी हल्का नं. 64 खसरा नं. 160/3 रकबा 9.412 हेक्टेयर, ग्राम रजौआ पटवारी ह.नं. 52 खसरा नं. 302, 303 की रकवा 9.11,79,36 हे. ग्राम मझगुआ अहीर पं.ह.नं. 54 खसरा नं. 37 रकवा 11.59 हेक्टेयर एवं ग्राम अर्जुनी प.ह.न. 53 खसरा नं. 115/1 रकवा 21.90 हेक्टेयर, शासकीय भूमि का म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 237(2) के तहत मद परिवर्तन करते हुये दूध डेयरी	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					स्थापित करने के लिये आरक्षित करने के आदेश दिनांक 26.12.2011 को पारित कर दिये गये है। इन स्थानों पर डेयरी पशुपालको द्वारा स्वयं के व्यय पर अपना डेयरी व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 850/635/2012/18-2, दिनांक 07.03.2012	
247.	302	परि.ता.प्र.सं. 50 (क्र. 1888) दि. 21.07.2011	(1) कटनी जिले के नगर पंचायत कैमोर अंतर्गत कैमोर एज्यूवेश सोसायटी के महिला छात्रावास का अवैध निर्माण कराने के दोषियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना तथा (2) कटनी जिले के नगर पंचायत कैमोर अंतर्गत कैमोर एज्यूकेशन सोसायटी के महिला छात्रावास का अवैध निर्माण करने के दोषियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना तथा न्यायालय में गलत परिवाद प्रस्तुत कर दोषियों को बचाने के तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही तथा अवैध निर्मित छात्रावास को तोड़ा जाना ।	(1) शेष 14 प्रकरणों में निकाय के अधिवक्ता से विधिक राय अनुसार कार्यवाही की जा रही है । (2) जांच उपरांत उत्तरदायी का निर्धारण हो सकेगा अधिवक्ता से विधिक राय ली जाकर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधान अनुसार यथाशीघ्र कार्यवाही की जा रही है । 20 दिवस में प्रारंभ कर दिया जायेगा ।	(1) शेष 14 प्रकरणों में अधिवक्ता से राय तथा नगर परिषद कैमोर के संकल्प क्र. 108 दिनांक 10.10.2011 से म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 312 के प्रावधान अनुसार अभियोजन दायर करने की स्वीकृति प्राप्त होने पर श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराधवगढ़ के परिवाद क्र. 524/11 से 537/11 तक दायर किये जाकर वैधानिक कार्यवाही कर आश्वासन की पूर्ति की जा चुकी है। (2) जांच में गलत परिवाद प्रस्तुत कर दोषियों को बचाने का तथ्य ज्ञात नहीं हुआ है। अतएव किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 574/465/2012/18-2, दिनांक 25.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
248.	303	परि.ता.प्र.सं. 70 (क्र. 2196) दि. 21.07.2011	नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा मछली पालन तालाब के आस-पास दीवारों पर पाइप रैलिंग समय सीमा में लगवायी जाना ।	20 दिवस में प्रारंभ कर दिया जायेगा।	निकाय द्वारा रैलिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 342/227/2012/18-2, दिनांक 09.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
249.	304	परि.ता.प्र.सं. 78 (क्र. 2303) दि. 21.07.2011	नगर पालिका इटारसी द्वारा बस स्टैण्ड एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना अंतर्गत सड़क का कार्य समय-सीमा में पूर्ण किया जाना ।	ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु दी गई समयावधि दिनांक 27.6.2011 एवं 20.7.2012 है ।	नगर पालिका इटारसी द्वारा बस स्टैण्ड पर यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य एवं यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत <u>निमित</u> सड़क का निर्माण होने के बाद आम लोगों द्वारा इसका उपयोग शुरू हो गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2283/2694/2019/18-2, दिनांक 09.07.2019	कोई टिप्पणी नहीं
250.	305	परि.ता.प्र.सं. 92 (क्र. 2453) दि. 21.07.2011	नगर पालिका निगम खण्डवा की दुबे कॉलोनी में स्वीकृत अभिन्यास अनुसार बगीचे, स्कूल तथा खुले स्थल की भूमि को पुन: खाली कराये जाने हेतु कार्यवाही।	वैधानिक कार्यवाही एवं प्रक्रिया का पालन करते हुये शीघ्र खाली कराया जायेगा ।	आश्वासन का संबंध खण्डवा शहर में पदमकुण्ड वार्ड में स्थित दुबे कालोनी से संबंधित है। प्रकरण में वस्तु स्थिति यह है कि स्वीकृत अभिन्यास में बगीचे के लिये एवं खुले स्थल की भूमि पर तीन अवैध भवनों का निर्माण कर लिया गया है जिसके विरूद्ध नगर पालिक निगम द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 436 का अंतिम सूचना पत्र दिया जाकर अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई थी जिसके विरूद्ध श्री रफीक पिता अलीज खान, सत्यवर्ती बाई रावतले एवं वली खॉ पिता मुंशी खॉ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने से अंतिम आदेश उपरांत कार्यवाही हो पायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1445/1038/2012/18-2, दिनांक 30.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं
251.	306	परि.ता.प्र.सं. 106 (क्र. 2522) दि. 21.07.2011	रतलाम जिले के जावरा नगर पालिका द्वारा आरक्षित भूमि पर पार्क/बगीचे इसी वित्तीय वर्ष में लगवाये जाने के लिये कार्यवाही।	इस वित्तीय वर्ष में लगा दिये जायेंगे ।	रतलाम जिले के जावरा नगर पालिका द्वारा आरक्षित भूमि पर पार्क/बगीचे पेड पौधे लगा कर विकसित कर दिये गये है दिये गये आश्वासन अनुसार कार्यवाही कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 571/2812012/18-2, दिनांक 25.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
252.	307	अता.प्र.सं. 04 (क्र. 824) दि. 21.07.2011	नगर पंचायत जोवट का नगीय क्षेत्र का सीमांकन ।	प्रस्ताव विचाराधीन है ।	प्रभारी अधिकारी के संकल्प क्रमांक 54 दिनांक 09.11.11 में पारित निर्णय अनुसार वर्तमान में नगरीय क्षेत्र जो विद्यमान है, में कोई विस्तार या वार्ड विभाजन नहीं किया जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-91/2011/18-3, दिनांक 06.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
253.	308	अता.प्र.सं. 69 (क्र. 2301) दि. 21.07.2011	बालाघाट जिले की नगर पंचायत कटंगी क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों को हटाये जाने की कार्यवाही।	कार्यवाही वर्तमान तक प्रचलन में है तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के सहयोग से यथाशीघ्र की जावेगी।	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी एवं सिंचाई सर्वेक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग नजूल विभाग नजूल विभाग नगर परिषद कटंगी तथा पुलिस बल के सहयोग से दिनांक 08.12.11 से अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत शासकीय भूमि पर स्थित स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 324/273/2012/18-2, दिनांक 08.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
254.	309	अता.प्र.सं. 91 (क्र. 2514) दि. 21.07.2011	भिण्ड जिले की नगर पंचायत फूफ को सिटी इन्वेस्टमेंट प्लान में शामिल करने हेतु कार्यवाही।	नगर पंचायत फूंफ हेतु नगर विकास योजना तैयार करने का कार्य द्वितीय चरण में प्रारंभ किया जा रहा है।	नगर पंचायत (परिषद) की विकास योजना तैयार करने के कार्य आदेश संचालनालय नगरीय प्रशासन द्वारा दिनांक 19.10.2011 को इंटरकॉन्टिनेंटल कन्सल्टेंट एंड टेक्नीक्रेट प्रा.लि. को दे दिया गया है। कंन्सल्टेंट द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 344/258//2012/18-2, दिनांक 09.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
255.	310	अता.प्र.सं. 92 (क्र. 2523) दि. 21.07.2011	जिला रतलाम की जावरा नगर पालिका द्वारा मलेनी नदी पर बैराज का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना।	मई 2012 तक पूर्ण करा लिया जावेगा।	मलेनी नदी पर बैराज निर्माण के अंतर्गत बैराज के फाउन्डेशन की गाईडवाल, साईडवाल का कांक्रीटिंग का कार्य गेट लेविल तक का कार्य पूर्ण होकर ठेकेदार द्वारा गेट फेब्रिकेशन का कार्य करवाया जा रहा है। फेब्रिकेशन कार्य के उपरांत गेट लगाने का कार्य किया जावेगा। कार्य मई 2012 तक पूर्ण हो जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 382/260/2012/18-2, दिनांक 14.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
256.	311	अता.प्र.सं. 103 (क्र. 2558) दि. 21.07.2011	नगर पालिका नीमच की स्कीम नम्बर 34-36 में हुई भूखण्ड आवंटन में अनियमितताओं की जांच एवं भूखण्ड आवंटन को निरस्त करने हेतु कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण में शेष के विरूद्ध नियमानुसार आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही निकाय के स्तर पर प्रचलित है।	नगर पालिका परिषद नीमच के संकल्प क्रमांक 114,115,116 दिनांक 23.11.2007 द्वारा योजना क्रमांक 34-36 में आवंटित भूखण्ड आवंटन निरस्त करते हुए तत्का. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि आवंटन संबंधी फाईले नहीं है तो पुलिस प्रकरण दर्ज की जाये। श्री पटेरिया के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच संस्थित की गई तथा जांच निष्कर्षों में श्री पटेरिया को दोषी पाया गया किन्तु पटेरिया के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका (पेंशन) नियम 1980 के प्रावधान के अनुसार किसी प्रकार का दण्ड दिया जाना संभव नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					श्री आर.के. पटेरिया, तत्का. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नीमच को दोषी पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध थाना नीमच में एफ.आई.आर. दर्ज करते हुए अप.क्र. 643/09 पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध में सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा क्रमांक 8/10/11 पंजी क्र. 378/11/21-क/अधि दिनांक 29.6.2011 को अभियोजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वर्तमान में मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण के निरांकरण में छ: माह से अधिक समय लगने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3575/2314/2012/18-1, दिनांक 16.11.2012	
257.	312	अता.प्र.सं. 111 (क्र. 2581) दि. 21.07.2011	सागर नगर की यू.आई.डी.एस.एम.टी. योजना को पूर्ण करने हेतु भूमि का अधिग्रहण हेतु राशि जमा कराई जाना।	राशि शीघ्र ही जमा की जा रही है।	नगर निगम सागर द्वारा राशि रू. 1,84,58,000.00 दिनांक 25.08.11 जमा कराई जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 146/75/2012/18-2, दिनांक 19.01.2012	कोई टिप्पणी नहीं
258.	313	परि.ता.प्र.सं. 16 (क्र. 316) दि. 14.07.2011	गाडरवारा नगर पालिका में जे.सी.बी. से कराये गये कार्यों में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।	जांच उपरांत नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच कराई गई। दोषी पाये गये श्री मनोहर सिंह राठौर, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, गाडरवारा के विरूद्ध शासनादेश क्रमांक एफ 11-132/ 2012/18-3, दिनांक 27.09.2012 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-132/2012/18-3, दिनांक 05.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं
259.	314	परि.ता.प्र.सं. 19 (क्र. 377) दि. 14.07.2011	भानपुरा नगर पंचायत द्वारा फिटकरी, ब्लीचिंग पावडर एवं कीटनाशक खरीदी में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने पर नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।	सामग्री क्रय प्रकरण में अनियमितता की जांच कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये श्रीमती किरण भाना, अध्यक्ष एवं श्री विवेक जैन, तत्का. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद भानपुरा को विभागीय ज्ञाप दिनांक 25.06.2012 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। संबंधितों से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त कर संबंधितों की समक्ष सुनवाई करते हुए प्रकरण में उत्तरदायी नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 25.06.2012 बिना किसी दण्ड के दिनांक 01.01.2016 को समाप्त	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-88/2011/18-3, दिनांक 18.03.2016	
260.	315	परि.ता.प्र.सं. 26 (क्र. 512) दि. 14.07.2011	(1) राजगढ़ नगर पंचायत को नगर पालिका में उन्नयन किया जाना। (2) जनगणना 2011 के आधार पर राजगढ़ नगरीय निकाय को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न मदों की राशि आवंटित की जाना।	(1) कार्यवाही प्रचलित है। (2) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	(1) नगर पंचायत राजगढ़ को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 62-एफ-1-40-2010- अठारह-3 दिनांक 08.12.2011 के अनुसार नगर पालिका परिषद के रूप में उन्नयन किया जा चुका है। (2) संचालनालय द्वारा निकायों को विभिन्न मदों में जनसंख्या के आधार पर ही राशि का आवंटन किया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-85/2011/18-3, दिनांक 06.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
261.	316	परि.ता.प्र.सं. 38 (क्र. 842) दि. 14.07.2011	नगर परिषद इन्द्रगढ़ जिला दतिया में रवाई से बिना अनुमति के निर्मित आवास एवं दुकानों के विरूद्ध म.प्र. नगर पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 187 के अंतर्गत कार्यवाही की जाना।	वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	नगर परिषद इन्द्रगढ़ द्वारा आश्वासन अनुसार नगर पालिका अधिनियम की धारा 187 अंतर्गत नोटिस जारी की जाकर प्रकरण न्यायालय में दायर कर दिया गया है। न्यायालय निर्णय अनुसार आगे कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 346/274/2012/18-2, दिनांक 09.02.2012	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि न्यायालय निर्णय अनुसार विभाग आग्रिम कार्यवाही करेगा।
262.	317	परि.ता.प्र.सं. 42 (क्र. 952) दि. 14.07.2011	मुरैना नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 24 में शासकीय आवासों में नवीन पाइप लाइन बिछाकर पानी सप्लाई किया जाना।	कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जावेगा।	नवीन पाईप लाईन बिछायी जाकर सप्लाई लाईन से जोड़ा जाकर पानी सप्लाई किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 482/249/2012/18-2, दिनांक 21.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
263.	318	परि.ता.प्र.सं. 59 (क्र. 1034) दि. 14.07.2011	महिदपुर तहसील जिला उज्जैन अंतर्गत अवैध कॉलोनी काटने वाले दोषी कालोनाइजरों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाना।	यथाशीघ्र म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रेशन निर्बधन तथा शर्त) नियम 1998 के तहत कार्यवाही की जा रही है।	प्रश्नाधीन प्रकरण वर्ष 2011 का है एवं तत्समय (म.प्र. न.पा. कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निंबंधन एवं शर्ते) नियम, 1998 के नियम 2(1)(झ) में नगर पालिका क्षेत्र की स्थिति में अवैध कॉलोनियों के संबंध में कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थे, जिनके द्वारा पत्र दिनांक 25.02.2012 जारी कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महिदपुर को अवैध कॉलोनी बनाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध शीघ्र एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे परंतु नियम, 1998 के प्रावधान सुस्पष्ट होने के बावजूद मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा यथासमय एफ.आई.आर. दर्ज न कराते हुए मार्गदर्शन हेतु अनावश्यक पत्राचार किया गया। यथासमय	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					एफ.आई.आर. दर्ज न कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर, जिला उज्जैन को तत्कालीन अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकरण में अवैध कालोनी काटने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना महिदपुर में दिनांक 09.07.2021 को एफ.टाई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2373/1148/2021/18-3, दिनांक 19.09.2021	
264.	319	परि.ता.प्र.सं. 64 (क्र. 1070) दि. 14.07.2011	ग्वालियर में स्वर्ण रेखा के किनारे भवनों में निवासरत व्यक्तियों को अन्य स्थान पर आवास उपलब्ध कराया जाना।	1536 आवासों में प्रभावित आवेदकों को पात्र पाये जाने पर भवन आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।	ग्वालियर शहर में स्वर्णरिखा नदी के किनारे से हटाये गये अतिक्रमण से प्रभावितों को आई.एच.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच की गई। आवेदक घोषित गंदी बस्ती क्षेत्र में नहीं होने के कारण पात्र नहीं पाये गये है जिसमें आई.एच.डी.पी. योजनान्तर्गत प्रभावितों को आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 691/250/2012/18-2, दिनांक 23.05.2012	कोई टिप्पणी नहीं
265.	320	परि.ता.प्र.सं. 69 (क्र. 1087) दि. 14.07.2011	रीवा जिले के सिरमौर नगर पंचायत में पदस्थ शिक्षाकर्मी श्रीमती प्रियम्बदा मिश्रा के लगातार अनुपस्थित रहने पर उनको भुगतान किये गये वेतन भत्ते की वसूली।	प्राचार्य द्वारा संबंधित शिक्षिका से वेतन भत्ते की भुगतान की गई राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर **माध्यि क** विद्यालय सिरमौर से प्राप्त जानकारी अनुसार सत्र जुलाई 2011 की स्थिति में श्रीमती प्रियम्बदा मिश्रा ब्लड कैंसर से पीड़ित थी। तत्समय श्रीमती मिश्रा का इलाज बाम्बे अस्पताल इंदौर में चल रहा था। दिनांक 27.11.2015 को श्रीमती मिश्रा का इलाज के दौरान मृत्यु होने से वेतन भत्ते की राशि वसूल नहीं हो सकती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 68/16/2019/18-1, दिनांक 10.01.2019	कोई टिप्पणी नहीं
266.	321	अता.प्र.सं. 04 (क्र. 286) दि. 14.07.2011	जबलपुर नगर निगम अंतर्गत रमनगरा वाटर प्लांट एवं उच्च क्षमता की पानी की टंकियां निर्मित कर पानी की सप्लाई की जाना।	पानी की टंकियों एवं रामनगरा जलशोधन संयंत्र का कार्य 1 दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण रक नगर की जनता को जल प्रदाय सुनिश्चित किया जा सकेगा।	ए.डी.बी. परियोजना के अंतर्गत रमनगरा में जलशोधन संयंत्र, इंटेकवेल एवं 07 उच्च स्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर जबलपुर शहर में जलापूर्ति दिसम्बर 2012 से प्रारंभ कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1567/2202/2021/18-2, दिनांक 08.07.2021	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
267.	322	अता.प्र.सं. 46 (क्र. 1031) दि. 14.07.2011	श्योपुर नगर पालिका परिषद द्वारा संकल्प पारित कर नियम विरूद्ध बस स्टैण्ड के लिये मंडी बोर्ड से प्राप्त भूमि पर भाजपा कार्यालय भवन हेतु आवंटित भूमि के जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (2) बाल बिहार में खेल कम पार्किंग बनाएगें खेल मैदान को उसमें नहीं उसको और अच्छा बना देंगे। (3) इस बिन्दु पर भी विचार किया जाएगा।	परीक्षण किया गया। नगर पालिका परिषद श्योपुर द्वारा की गई कार्यवाही म.प्र. नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 1996 के अनुसार नहीं होने के कारण म.प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-11-200/2012/18-2 दिनांक 23.06.2012 द्वारा नगर पालिका परिषद श्योपुर के परिषद संकल्प क्रमांक 128 दिनांक 02.02.2012 को निरस्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2306/1780/2012/18-2, दिनांक 04.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
268.	323	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 267) दि. 18.07.2011	(1) लक्ष्मी टाकीज भोपाल की लीज का नवीनीकरण किया जाना तथा मा.सदस्य श्री ध्रुवनारायण सिंह द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार टाकीज परिसार में मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण कर एक ही स्थान पर सिनेमा घर एवं पार्किंग की व्यवस्था की जाना। (2) लाल विहार के खेल मैदान में अन्य कोई निर्माण कार्य न किया जाना। (3) लक्ष्मी टाकीज को शेयरो के साथ बेचे जाने पर टाकीज के लीज नवीनीकरण की जांच एवं कार्यवाही।	(1) लीज नवीनीकरण आवेदन पर निर्णय परीक्षण उपरांत नगर निगम एवं शहर के नागरिकों के हित में समग्र रूप से गुण दोषों के आधार पर लिया जायेगा। लक्ष्मी टाकीज परिसर में मल्टी स्टोरी भवन होने से लगभग 1 लाख रूपये प्रतिमाह आमदनी होने संबंधी सुझाव पर भी लीज नवीनीकरण के परीक्षणाधीन आवेदन पत्र पर परीक्षण के दौरान विचार किया जावेगा उसके गुण-दोष के आधार पर तय करेंगे। लक्ष्मी टाकीज परिसर में मल्टी स्टोरी भवन निर्माण कर एक ही स्थान पर सिनेमाघर एवं पार्किंग व्यवस्था करने एवं इससे निगम को एक लाख रूपये प्रतिमाह आमदनी होने संबंधी सुझाव पर लीज नवीनीकरण के परीक्षणाधीन आवेदन पत्र पर परीक्षण के दौरान विचार किया जाएगा।	(1) लीज नवीनीकरण के आवेदन का परीक्षण अधिकारिक स्तर पर किया गया। प्रतिवेदन महापौर परिषद के माध्यम से परिषद की ओर निर्णय हेतु भेजा गया है। (2) बाल विहार मैदान में पार्किंग व्यवस्था विकास हेतु प्राक्कलन तैयार कर तीन बार निविदाऐं आमंत्रित की गई किंतु किसी भी निवदाकर्ता द्वारा भाग नहीं लिया गया। इसी बीच वार्ड क्र. 7 एवं 17 के पार्षदों द्वारा जिला न्यायालय में पार्किंग व्यवस्था के विरूद्ध प्रकरण दायर किया गया। न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 8002/2279/2012/18-2, दिनांक 30.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं
269.	324	ध्यानाकर्षण क्रमांक (क्र. 296) दि. 22.07.2011	नगर निगम ग्वालियर द्वारा वृद्धावस्था पेंशन भोगियों की बिना जांच के पेंशन बंद की जाने की भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी से जांच एवं की गई कार्यवाही से माननीय सदस्य श्री प्रद्यम्न सिंह	जी उपाध्यक्ष महोदय, जी उपाध्यक्ष महोदय।	प्रकरण में संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्वालियर द्वारा जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि नगर निगम ग्वालियर द्वारा हितग्राहियों का सर्वेक्षण कराया जाकर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि-शुक्तजन पेंशन के कुल 12 हजार आवेदन प्राप्त हुये जिसमें से 5,100 आवेदन वैद्य पाये गये जिसके	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			तोमर को अवगत कराया जाना।		आधार पर पेंशन दी जा रही है। वस्तुस्थिति से मान. सदस्य श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी विभागीय पत्र क्रमांक 1737/1223/2012/18-3 दिनांक 26.06.2012 द्वारा अवगत करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1783/1233/2012/18-3, दिनांक 26.06.2012	

जुलाई, 2011 सत्र
(16) औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
270.	325	अता.प्र.सं. 39 (क्र. 1009) दि. 14.07.2011	रायसेन जिले के जिला उद्योग एवं व्यापार कार्यालय द्वारा हितग्राहियों को स्वीकृतऋण एवं सब्सिडी की राशि का वितरण।	14 प्रकरणों में ऋण वितरण एवं मार्जिन मनी वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के प्रक्रियाधीन 14 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4-53/11/अ/ग्यारह, दिनांक 05.04.2013	कोई टिप्पणी नहीं
271.	326	अता.प्र.सं. 43 (क्र. 1024) दि. 14.07.2011	भिण्ड शहर में उद्योग स्थापित करने हेतु दी गई लीज जमीन का आवंटित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही साथ ही नाजायज कब्जेदारों एवं बंद पड़ी इकाईयों से जमीन वापस ली जाना।	(1) लीज डीड निरस्तीकरण एवं बकाया वसूली की कार्यवाही की जा रही है। (2) बंद पड़ी ईकाईयों की भूमि निरस्त कर भूमि वापस लेने की कार्यवाही लगभग एक वर्ष में पूर्ण की जाएगी।	(1) लीज डीड की शर्तों के अनुरूप 19 इकाईयॉ कार्यरत हैं तथा इन इकाईयों से राशि रू. 28,700/- वसूल हुई है। (2) लीज डीड की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप 10 इकाईयों की लीजडीड पूर्व में निरस्त की गई थी इनमें से 3 इकाईयों ने संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, ग्वालियर में अपील प्रस्तुत की। उक्त में से एक इकाई की लीजडीड बहाल की गई। दो इकाईयों की अपील लंबित है। शेष 7 इकाईयों के विरूद्ध आधिपत्य वापसी हेतु कार्यवाही की जा रही है। (3) कुल 40 इकाईयों के स्थापित नहीं होने के कारण 60 दिवसीय नोटिस जारी किये गये थे। इनमें से 20 इकाईयों की लीजडीड निरस्त की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12-90/2011/बी-ग्यारह, दिनांक 28.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
272.	327	परि.ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1186) दि. 21.07.2011	मध्यप्रदेश लघु निगम द्वारा शासकीय विभागों को 5000/- से अधिक राशि की सामग्री सप्लाई करने पर वेट टैक्स की राशि काटकर वाणिज्यिक कर विभाग में जमा करने के एवं सप्लाई आदेश में शर्त लगाये जाने की कार्यवाही की जाना।	वेट टैक्स के संबंध में निर्देशों को ओर संशोधित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है यह कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर ली जावेगा।	मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा पत्र क्रमांक ल.उ.नि/वि.प/पीएस-15/2011/05 दिनांक 22.07.2011 से निर्देश जारी कर दिये गये है। **(छाया प्रति संलग्न)** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4-61/2011/अ-ग्यारह, दिनांक 17.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
273.	328	परि.ता.प्र.सं. 33 (क्र. 1714) दि. 21.07.2011	अशोक नगर जिला व्यावरा एवं उद्योग कार्यालय में हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों का निराकरण।	टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों में बैंक औपचारिकताओं की पूर्णता पश्चात बैंक ऋण वितरण करेंगे।	अशोक नगर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनान्तर्गत 04 लंबित प्रकरणों में से दीनदयाल रोजगार योजना के 2 प्रकरणों में मार्जिन मनी वर्ष 2012-13 के प्रथम त्रैमास में दिनांक 23.05.2012 को वितरित की जा चुकी है। द्वितीय त्रैमास में रानी दुर्गावती स्व-रोजगार योजना के 2 प्रकरणों में दिनांक 17.07.2012 एवं 18.7.2012 को मार्जिन मनी वितरण किया जा चुका है। अशोकनगर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मार्जिन मनी वितरण की कार्यवाही पूर्ण। बैंक द्वारा ऋण वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4-65/11/अ/ग्यारह, दिनांक 27.06.2013	कोई टिप्पणी नहीं
274.	329	परि.ता.प्र.सं. 98 (क्र. 2468) दि. 21.07.2011	भोपाल के गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र एफ एवं एच सेक्टर में तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की गई भूमि की जांच एवं कार्यवाही।	विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है।	श्री आर.सी. कुरील, तत्कालीन महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल को शासन द्वारा जारी आरोप पत्र पर श्री कुरील के प्रतिवाद उत्तर पर शासन द्वारा उद्योग, आयुक्त से अभिमत चाहा गया। संचालनालय के सतर्कता प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक 81 दिनांक 21.01.2013 द्वारा अभिमत मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग को प्रेषित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12-108/2011/बी-ग्यारह, दिनांक 25.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
275.	330	परि.ता.प्र.सं. 99 (क्र. 2409) दि. 21.07.2011	भोपाल शहर अंतर्गत उद्योग विभाग की जमीन पर संस्थाओं/ व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में महाप्रबंधक द्वारा कलेक्टर को लिखे पत्र पर शासन द्वारा कार्यवाही।	कार्यवाही कलेक्टर भोपाल एवं आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल से अपेक्षित है।	अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी करने संबंधी तिथिवार सूची **परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4-155/2017/अ-तेहत्तर, दिनांक 11.07.2017	कोई टिप्पणी नहीं
276.	331	परि.ता.प्र.सं. 111 (क्र. 2551) दि. 21.07.2011	नीमच जिला मुख्यालय में मह-नसीराबाद मार्ग पर उद्योग विभाग के कब्जे की जमीन आवंटन में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	श्री एच.एल. मेहर एवं श्री ओ.पी. अग्रवाल के विरूद्ध चल रही विभागीय जांच के संबंध में लेख है कि व्ही.के. बारोनिया प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक केन्द्र विकास निगम जबलपुर को जांचकर्ता अधिकारी शासनादेश दिनांक 22.03.13 द्वारा नियुक्त किया गया था। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 31.12.2014 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नीमच जिले के ग्राम कनावटी सर्वे क्र. 81 में	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					भू-खण्ड आवंटन में की गई अनियमितता के संबंध में संबंधित अधिकारी श्री एच.एल. मेहर, तत्कालीन महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र एवं श्री ओ.पी. अग्रवाल तत्कालीन प्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केन्द्र नीमच के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में जाचंकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अपचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम (9) के अंतर्गत इन्हें देय पेंशन राशि में से प्रत्येक की 10 प्रतिशत पेंशन 01 वर्ष के लिये वापिस लेने की शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश क्रमांक एफ 9-2/2016/बी-तेहत्तर दिनांक 19.05.16 द्वारा जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 397/529/2017/बी-73, दिनांक 25.05.2017	
277.	332	अता.प्र.सं. 88 (क्र. 2507) दि. 21.07.2011	(1) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायसेन के अंतर्गत मण्डीदीप व पीपखखिरियों में आवंटित भूखण्डों में औद्योगिक गतिविधियां संचालित न करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध की कार्यवाही। (2) मण्डीदीप एवं पीपलखिरियों में औद्योगिक गतिविधियों संचालित करने हेतु भूखण्डों पर गैर औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर कार्यवाही।	(1) नियमानुसार भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। (2) नियम 2008 व निष्पादित पट्टाभिलेख की कण्डिकाओं के उल्लंघन के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।	(1) एक वर्ष पश्चात भी जिन इकाईयों द्वारा औद्योगिक गतिविधियॉं नहीं की गई थी उनकी संख्या 139 थी जिनमें से 86 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है एवं 15 इकाईयॉं स्थापनाधीन है। शेष 38 इकाईयों की स्थिति इस प्रकार है – न्यायालयीन प्रकरण-8, अध्यक्ष द्वारा उतपदन हेतु प्रदत्त अतिरिक्त समयावधि-09, हस्तांतरित-15, निरस्त-2, निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन-2, अध्यक्ष स्तर पर निरस्तीकरण उपरांत अपील विचारार्थ-2 (2) गैर औद्योगिक गतिविधियॉं संचालित करने वाली इकाईयों की संख्या 21 थी जिसमें से 14 इकाईयों द्वारा गैर औद्योगिक गतिविधि हटाने के पश्चात उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। शेष 07 इकाईयों पर कार्यवाही विभिन्न स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (गैर औद्योगिक गतिविधियां न हटाकर-01 इकाई उत्पादनरत। 01 में न्यायालयीन प्रकरण। 01 में गैर औद्योगिक प्रयोजन रहते हुये उत्पादनरत नहीं है, 01 इकाई की अध्यक्ष स्तर पर अपील विचाराधीन एवं 03 इकाईयों भूखण्ड वन भूमि में होने के फलस्वरूप नियमन की कार्यवाही प्रचलन है) (3) आवंटित भूमि के अतिरिक्त भूमि पर अतिक्रमण करने वाली 2 इकाईयां थी जिसमें 01 इकाई का प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा 01 इकाई के अतिक्रमण हटाने से निरस्तीकरण आदेश अपास्त तत्पश्चात इकाई उत्पादनरत।	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(4) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायसेन के कार्यक्षेत्र अंतर्गत इकाईयों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के प्रति उत्तर में प्रस्तावित औद्योगिक इकाईयों ने अवगत कराया कि पानी, सड़क एवं बिजली के अभाव में निर्माण कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके तारतम्य में परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 350-313, दिनांक 25.02.2014 से सड़क, बिजली, पानी इत्यादि सुविधा मुहैया होने तक इकाईयों के भूखण्ड एवं लीज डीड निरस्तीकरण को स्थगित रखे जाने के निर्देश होने से इकाईयों के निरस्तीकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा गया। (5) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायसेन के कार्यक्षेत्र अंतर्गत किसी भी भूखण्ड पर गैर औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12-106/2011/बी-ग्यारह, दिनांक 25.10.2014	
278.	333	अशासकीय संकल्प (क्र. 06) दि. 22.07.2011	ग्वालियर स्थित बंद जे.सी. मिल के गरीब मजदूरों के गरीबी रेखा के कार्ड बनाये जाना।	सरकार की भावना मजदूरों को उनका हक दिलाने की है वे श्रमिक जो वास्तव में गरीबी रेखा की श्रेणी में आते है उनके कार्ड बनाने के निर्देश हम जिलाधीश को दे देगें इससे वे सब श्रमिकों को जिनको गरीबी की रेखा का कार्ड बन जायेगा।	गरीबी रेखा की सूची में नाम शामिल करने के लिये 3219 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसमें से 3139 आवेदन पत्र अप्राप्त पाये जाकर कुल 80 आवेदन पात्र पाये गये जिनमें से 75 आवेदकों को कार्ड वितरित किये गये हैं जबकि 4 आवेदक उपलब्ध न होने के कारण वितरण नहीं किया गया है। एक श्रमिक श्री घनीराम कोरी का नाम डबल होने से कम किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12-88/2011/बी-ग्यारह, दिनांक 05.03.2013	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(17) लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
279.	341	ता.प्र.सं. 02 (क्र. 857) दि. 14.07.2011	(1) विधान सभा क्षेत्र खुरई जिला सागर में रोड़ो का निर्माण अनुबंधानुसार न करने के ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। (2) खुरई की चार महत्वपूर्ण सड़कों का कार्य पूर्ण किया जाना।	(1) जो ठेकेदार समय पर कार्य नहीं कर रहे है उनके विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा रही है। (2) इस वित्तीय वर्ष में हम इन 4 सड़कों को निश्चित रूप से पूर्ण कर लेंगे। हमने यह निश्चित किया है कि 2009 के पूर्व जितने भी अपूर्ण कार्य है उनको हम 31 मार्च, 2012 तक पूरा करने का प्रयास करें और मुझे यह उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद और अधिकांश काम जो पुराने पड़े है हम उनको पूर्ण कर पायेंगे।	(1) लोंगर सेमरा लोधी परसोन मार्ग लं. 14.00 कि.मी. मु. बेन्द्रला कन्स. ललितपुर को दिया गया था। ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण धारा 3सी में दि. 17.09.2009 को निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रित की गई। कार्य की नवीन एजेंसी श्री जे.के. जैन मकरोनिया सागर को दि. 26.12.2011 में दिया गया, ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, मार्ग की प्रगति निम्नानुसार है:- अर्थवर्क- 13.50 किमी, जीएसबी- 13.50 किमी, जी1- 13.50 किमी, जी2- 13.50 किमी, जी3- 13.50 किमी, बी.बी. 5.20 किमी, पुलिया- 25 नग व्यय- 327.49 लाख। शेष कार्य दि. 31.01.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है। (2) नोनिया रजौआ मार्ग का कार्य नवीन एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है:- अर्थवर्क- 14.50 किमी, जी1- 13.70 किमी, जी2- 13.70 किमी, जी3- 10.0 किमी, पुलिया- 32 नग व्यय – 460.00 लाख। शेष कार्य प्रगति पर। (3) बमनोरा मोहली झोलसी मार्ग का कार्य 31.07.12 को कार्य पूर्ण किया जा चुका है। (4) बमनोरा तिगड्डा से रामछायरी मार्ग का कार्य 31.01.2013 तक पूर्ण हो जावेगा। 300 मी. में सीसी का कार्य शेष है। (5) परसोन भिलैया अण्डेला मार्ग की प्रगति निम्नानुसार है अर्थवर्क- 4.25, जीएसबी-4.25, जी1- 4.25, जी2- 4.25, जी3- 4.25, बी.टी.- 1.0 पुलिया- 06 पूर्ण। उक्त कार्य 31.01.2013 तक पूर्ण होने की संभावना है। (6) बेसरा किशनगढ़ भटनोरा मार्ग अनुबंध की धारा- 3सी में निरस्त। उक्त अनुबंध पुन: जीवित कर कार्य 1.80 किमी में बी.टी. पूर्ण करा लिया गया है। कार्य पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 594/10924/2012/19/यो, दिनांक 28.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
280.	342	ता.प्र.सं. 06 (क्र. 411) दि. 14.07.2011	(1) खाचरोद विधान सभा क्षेत्र के नागदा भीकमपुर बड़ागांव रोड़ निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया जाना। (2) नागदा-बेरछा रोड़ निर्माण की मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का क्रियान्वयन।	(1) इस पर विचार कर लेंगे और भी मद है और मदों में शामिल करने की कोशिश करेंगे । हम विशेष प्रयास करेंगे कि इनकी भी सड़क स्वीकृत हो जाए। (2) ठीक है। अध्यक्ष महोदय के निर्देश :- मंत्री जी इसको देख ले सी.एम. साहब की घोषणा है।	(1) नागदा भीकनपुर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त होकर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। (2) नागदा बेरछा मार्ग की स्वीकृति प्राप्त होकर वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 403/51/2013/19/यो, दिनांक 18.01.2013	कोई टिप्पणी नहीं
281.	343	ता.प्र.सं. 07 (क्र. 714) दि. 14.07.2011	सागर जिले में भापा जयसिंहनगर रोड़ के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना।	(1) एन्युअल रिपेयर का जो मद है इससे यद्यपि राशि काफी अधिक है दो करोड़ छः लाख रूपये की राशि मांगी जा रही है एन्युअल रिपेयर में यह काफी अधिक होता है इसलिए हम इसको खंडशः व्यय करने की कोशिश करेंगे। (2) हम और इसको पूरा करने का आश्वासन दे रहे है। (3) कर देंगे।	सागर जिले के भापेल जैसीनगर मार्ग की कुल लंबाई 25.00 कि.मी. है। केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 495.98 लाख वर्ष 2006-07 में प्राप्त हुई थी। मेसर्स श्री जितेन्द्र पटेल ठेकेदार को दि. 29.08.2007 को जारी अनुबंध के तहत लं. 16.50 कि.मी. में बीटी का कार्य एवं 4 नग पुलिया निर्माण का कार्य एवं शेष 7.50 कि.मी. लं. में केवल डब्ल्यू.बी.एम. स्तर का कार्य दि. 26.06.2010 को पूर्ण किया गया। शेष 7.50 कि.मी. में बी.टी. वार्षिक मरम्मत मद के अंतर्गत दि. 23.06.2012 को पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1784/1782/2016/19/यो, दिनांक 31.03.2016	कोई टिप्पणी नहीं
282.	344	ता.प्र.सं. 20 (क्र. 594) दि. 14.07.2011	इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच पड़ने वाले ग्राम जामन्दा से तिरला जर्जर मार्ग का मेन्टनेंस पूरा किया जाना।	4 लेन निर्माण होने तक सतत संधारण किया जायेगा।	मार्ग का उल्लेखित मार्ग भारत सरकार के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के आधिपत्य में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1072/822/2012/19/यो, दिनांक 13.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
283.	345	परि.ता.प्र.सं. 08 (क्र. 241) दि. 14.07.2011	टीकमगढ़ जिले में बम्होरी से मोहनगढ़ एवं बल्देवगढ़ से खरगापुर मार्ग में भेलसी ग्राम से उखड़े की मरम्मत कराई जाना।	मार्ग का कार्य वर्षाकाल समाप्ति उपरांत पूर्ण कराया जाना संभव हो सकेगा।	(1) बम्होरी से मोहनगढ़ मार्ग- मार्ग पर बी.टी. नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की स्थिति अच्छी है। (2) बल्देवगढ़ से खरगापुर मार्ग से (भेलसी ग्राम) में कार्य- मार्ग के इस भाग (भेलसी ग्राम) सी.सी. कार्य पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1527/2248/2015/19/यो, दिनांक 18.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
284.	346	परि.ता.प्र.सं. 14 (क्र. 294) दि. 14.07.2011	मण्डला जिले के रानी टकेंला से बिछिया सड़क निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	अनुबंधानुसार दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा।	कार्य दिनांक 29.12.2011 को पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2516/245/19/यो/12, दिनांक 30.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं
285.	347	परि.ता.प्र.सं. 25 (क्र. 511) दि. 14.07.2011	राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खुजनेर में 30 बिस्तर चिकित्सालय का उन्नयन करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाना।	पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त होने पर ही राशि की व्यवस्था बाबत् निर्णय हो सकेगा।	खुजनरे में 30 बिस्तर चिकित्सालय की प्रशासकीय स्वीकृति रूपये 175.45 लाख म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 15.9.2008 द्वारा लो.नि.वि. को जारी की गयी। 10 लाख से उपर होने की वजह से कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग राजगढ़ द्वारा संपूर्ण अभिलेख संभागीय परियोजना यंत्री भोपाल द्वारा मुख्य वास्तुविद से प्राप्त एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुमोदित कार्यकारी मानचित्र के आधार पर तकनीकी स्वीकृति रूपये 156.67 लाख की प्रदान कर उक्त कार्य की निविदायें आमंत्रित कर कार्यादेश दिनांक 16.11.2011 को जारी कर दिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2516/245/19/यो/12, दिनांक 30.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं
286.	348	परि.ता.प्र.सं. 35 (क्र. 779) दि. 14.07.2011	बालाघाट जिले के लामता से बैहर मार्ग के जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।	जांच में पाया गया कि सामग्री रेत, गिट्टी का प्रयोग निर्धारित मानक के आधार पर किया गया है। (2) जांच में सीमेंट कांक्रीट के ग्रेड एम-10, एम-15 एवं सी.सी. सड़क एम-40 के क्यूब टेस्ट परीक्षण परिणाम उपयुक्त एवं निर्धारित मानक के आधार पर किया गया, पाया गया है। (3) जांच में परीक्षण उपरांत सी.बी.आर. वेल्यू एवं पी.आई. आदि निर्धारित मानक एवं मापदण्ड पर की गई, पाई गई। (4) जांच में पाया गया कि आर.सी.सी.एन.पी-4 स्टेण्डर पाईप निर्धारित मानक के मुताबिक उपयोग में लाये गये। (5) जांच में भुगतान आदि की प्रक्रिया लेख एवं कोष केन्द्रिय कार्यालय भोपाल के माध्यम से दिनांक 1.4.11 से किया गया, पाया गया। (6) अत: शिकायत निराधार पाई जाने से नस्तीबद्ध की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7534/112/2012/स्था/19, दिनांक 24.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
287.	349	परि.ता.प्र.सं. 36 (क्र. 793) दि. 14.07.2011	परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बाघ नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जाना।	22.6.11 को निविदा खोली गई है जो परीक्षणाधीन है।	कार्यादेश दिनांक 10.10.2011 को जारी। वर्तमान में नींव एवं सब स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5092/6693/2012/यो/19, दिनांक 03.09.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
288.	350	परि.ता.प्र.सं. 47 (क्र. 976) दि. 14.07.2011	अशोक नगर जिले में मुंगावली पिपरई मार्ग एवं पिपरई अशोक नगर मार्ग को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना।	6 माह (दिनांक 31.12.11 तक) जी हां समय सीमा में पूर्ण होने की संभावना है।	माह फरवरी 2014 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1617/2013/19/यो, दिनांक 29.04.2014	कोई टिप्पणी नहीं
289.	351	परि.ता.प्र.सं. 57 (क्र. 1027) दि. 14.07.2011	श्योपुर जिले के कलमुण्डा से काला पट्टा सड़क मार्ग की स्वीकृति के संबंध में प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाना।	प्राक्कलन परीक्षण की कार्यवाही विचाराधीन है।	मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 6555/7945/2012/19/यो, दिनांक 22.11.2012 द्वारा रू. 181.83 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 820/530/2013/यो/19, दिनांक 01.02.2013	कोई टिप्पणी नहीं
290.	352	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 513) दि. 14.07.2011	राजगढ़ विधान सभा अंतर्गत चाटूखेड़ा सुस्तानी मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा वितरित किया जाना।	मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्रचलन में है।	मुआवजा की राशि रू. 1 करोड़ कलेक्टर राजगढ़ द्वारा निर्धारित की जा चुकी है। उक्त राशि कलेक्टर राजगढ़ को जमा कराने की कार्रवाई प्रचलित है। जमा के प्रस्ताव मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 200/233/2012/19/यो, दिनांक 09.01.2015 ***<u>अद्यतन जानकारी</u>*** :- चाटूखेड़ा सुस्तानी पहुंच मार्ग निर्माण में ग्राम चाटूखेडा सौंधिया, लसूडली, धाकड़, पीपलखेडा, गिन्दोरी, दूबली, धुलेन, चौतरा, देवलीनारायण, सुस्तानी, लूटरी दांगी, पीपलखेड़ा कुल 10 ग्रामों के 209 कृषकों की भूमि के कुल 321 सर्वे क्रमांक एवं कुल रकबा 12.452 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई है। उक्त अर्जित भूमि में हितबद्ध कृषकों को मुआवजा राशि भुगतान हेतु रू. 84, 88, 545.00 (चौरासी लाख अठ्यासी हजार पॉच सौ पैतालिस मात्र) का दिनांक 07.10.2014 को कलेक्टर राजगढ़ द्वारा अवार्ड पारित किया गया है। दिनांक 17.01.2015 को कलेक्टर राजगढ़ द्वारा हितबद्ध कृषकों के खाते में राशि हस्तांतरण करने के लिये निर्देशित किया गया है। जिला कोषालय द्वारा संबंधित कृषकों के खाते में राशि हस्तांतरित की जानी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2010/2745/2013/19/यो, दिनांक 13.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं
291.	353	अता.प्र.सं. 21 (क्र. 618) दि. 14.07.2011	सरदारपुर-भोपावद मार्ग पर आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा हेतु पुल का निर्माण।	विस्तृत सर्वेक्षण पूर्ण किया जाकर सामान्य संरचना तैयार की जा रही है।	रूपये 534.68 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 16.02.2012 को जारी की गई। निविदा स्वीकृति कर कार्यादेश दिनांक 27.07.2012 को जारी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 609/8124/2012/11/9, दिनांक 15.10.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
292.	354	ता.प्र.सं. 04 (क्र. 2546) दि. 21.07.2011	जबलपुर-दमोह मार्ग पर सत्ताईस मिल से सिंग्रामपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत।	मैं उसको दिखवा लूंगा यदि रिपेयर के लायक है तो स्पेशल रिपेयरिंग के द्वारा उसको हम बना सकते है।	सिंग्रामपुर से सत्ताईस मील मार्ग की कुल लंबाई 35 कि.मी. में से 17.00 कि.मी. पूर्व से ही अच्छी है शेष को जनवरी 2012 तक अच्छी स्थिति में बना दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6613/8723/2012/19/यो, दिनांक 09.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
293.	355	ता.प्र.सं. 05 (क्र. 2505) दि. 21.07.2011	रायसेन संभाग के गढ़ी अहमदपुर एवं किशनपुर तरावली बनियाखेड़ी रोड़ निर्माण में देरी एवं अधिक लागत के जिम्मेदारों के विरुद्ध की कार्यवाही।	अनुबंधानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । अहमदपुर सड़क है उसमें ठेकेदार ने एक्सटेंशन की मांग की थी उसको हमने एक्सटेंशन दिया है और 31.3.2012 तक इस कार्य को हम पूर्ण कर रहे है परफार्मेंस गारंटी का पैसा हमने रोक रखा है और जो डिले होगा उसकी भी हम कटौती उसके साथ करेंगे इस रूप में हम उसको सजा देंगे । किशनपुर-तरावली बनियाखेड़ी मार्ग के अब दोबारा हम टेंडर काल करने जा रहे है यह रिस्क एण्ड कास्ट में है जितना भी उसमें अतिरिक्त खर्च लगेगा वह खर्च उसको वहन करना पडेगा।	गढ़ी अहमदपुर मार्ग :- गढ़ी अहमदपुर मार्ग की अनुबंधानुसार ठेके की राशि रू. 1036.67 लाख प्रतिशत रहित है। कार्यपूर्ण करने हेतु अनुबंधानुसार समयावधि दि. 30.06.11 तक थी। अनुबंधित अवधि में ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं करने पर उनके आवेदन पर अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि.म.क्र.-2, भोपाल द्वारा दि. 31.03.2012 तक समयावधि वृद्धि प्रदान की गई है। ठेकेदार द्वारा अभी तक लगभग 49% कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में आगे कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में परफार्मेन्स गारंटी हेतु अभी तक किये गये कार्य की 10 % राशि रू. 35.65 लाख एवं समयावधि वृद्धि में क्षतिपूर्ति के दंड स्वरूप रू. 1.15 लाख कुल राशि 36.80 लाख रोककर जमा रखे गये है। कार्य पूर्ण उपरांत कार्य विलम्बता पर दंड स्वरूप राशि व परफार्मेन्स गारंटी में ठेकेदार द्वारा मार्ग मरम्मत नहीं करने पर विभाग द्वारा मरम्मत कराने पर व्यय की राशि उपरोक्त रोकी गई राशि से कार्य पूर्णोपरांत वसूल की जावेगी। किशनपुर-तरावली मार्ग:- किशनपुर-तरावली मार्ग निर्माण की अनुबंधानुसार समयावधि दि. 10.06.08 तक थी। ठेकेदार द्वारा उक्त अवधि व्यतीत होने पर उनके द्वारा समयावधि वृद्धि हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. मण्डल क्र-2, भोपाल द्वारा पत्र क्र. 784 दि. 25.03.11 द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु दि. 28.05.2011 तक समयावधि वृद्धि दी गई। उक्त प्रदत्त समयावधि वृद्धि अवधि में कार्य पूर्ण न करने पर ठेका अनुबंध की धारा 3(सी) के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र क्र. 2920 दि. 17.06.11 द्वारा विखण्डित कर दिया गया। उक्त ठेका विखंडन पर ठेकेदार द्वारा अनुबंध की धारा-29 के अंतर्गत पुन: पुर्नजीवित करने हेतु अधी. यंत्री लो.नि.वि. में क्र.-2 भोपाल को आवेदन करने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा उनके पत्र क्र. 2409/सा/कान/भोपाल दि. 03.08.11 द्वारा ठेका पुन: पुर्नजीवित कर कार्य पूर्ण करने हेतु शासन को होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 15.11.2011 तक समयावधि प्रदान की गई। ठेकेदार द्वारा अभी तक 2.80 कि.मी. जी-3 कार्य एवं उसके उपर 1.40 कि.मी. डामरीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्तमान में कार्य बंद होने व कार्य पूर्ण न करने पर पुन: इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 540 दि. 25.01.2012 द्वारा अनुबंध की धरा-3(सी) के अंतर्गत ठेका विखण्डित कर	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					दिया गया है। ठेकेदार द्वारा परित्यक्त कार्य की निविदायें उनके रिस्क एण्ड कास्ट पर आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2416/804/2012/यो/19, दिनांक 23.04.2012	
294.	356	ता.प्र.सं. 12 (क्र. 2480) दि. 21.07.2011	(1) धार जिले के मनावर-मांगोद, धार-नागदा के निर्माण कार्य में संलग्न ठेकेदार को जिले में दिये गये अन्य निर्माण कार्यों की जांच। (2) सरदारपुर-भान, मनावर-मनगोद एवं धार-नागदा मार्ग का उचित गुणवत्ता का निर्माण।	(1) जी हां। (2) सरदारपुर भान 16 इसके लिये एजेंसी है फिक्स्ड काम करने के लिये ओर छः महीने में इसको विशेष काम प्रारंभ हो जायेगा मनावर, मनगोद इसकी भी एजेंसी फिक्स हो चुकी है और बरसात के बाद यह कार्य प्रारंभ होगा । मैं इस सड़क के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है उसका पता लगा लेता हूँ यदि किसी प्रकार की विभाग के द्वारा कोई कमी की गई है उसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी वह करेंगे।	प्रश्न क्र. 2480 के आश्वासन विषयक निम्न सड़कों के कार्य मेसर्स वीनस कन्सट्रक्शन राजगढ़ द्वारा सम्पादित किये गये है। मेसर्स वीनस कन्सट्रक्शन द्वारा आर.डी.सी. में निर्माण कार्य धार जिले में संपादित नहीं किये गये है। विषयांकित प्रश्न संख्या तथा प्रश्न क्रमां में निम्नलिखित तीन मार्ग सम्मलित थे। 1. सरदारपुर-भैसोला (बदनावर) यह राज्यमार्ग क्रमांक -335 माननीय मंत्रीजी द्वारा दिये गये आश्वासन अनुरूप संपूर्ण मार्ग का नवीन निर्माण हो चुका है एवं यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। 2. मनावर – मांगोद राज्य मार्ग क्र. 38 का निर्माण ए.डी.बी. के सहायता द्वारा किया जा रहा है। अत: माननीय मंत्रीजी द्वारा जो आश्वासन दिया गया था कि बरसात बाद कार्य प्रारंभ हो जायेगा वह प्रारंभ हो चुका है। 3. धार-नागदा मार्ग यह मार्ग राज्यमार्ग क्र. 31 है। इस मार्ग पर बी.ओ.टी. के अंतर्गत निविदा दिनांक 14.07.2011 को आमंत्रित की गई थी, परंतु शासन द्वारा निविदा निरस्त किये जाने के फलस्वरूप एम.ओ.आर.टी.एच. के मापदण्डो के अनुसार संधारण एवं रखरखाव का कार्य कराया गया है, जो कि दिनांक 24.02.2012 को पूर्ण हो चुका है। उक्त निर्माण कार्यों में विभाग द्वारा कोई कमी नहीं की गई है। अत: किसी भी कार्यवाही का प्रश्न नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3899/4876/2012/यो/19, दिनांक 04.07.2012	कोई टिप्पणी नहीं
295.	357	ता.प्र.सं. 21 (क्र. 2043) दि. 21.07.2011	सतना जिले की रैगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत क्षतिग्रस्त खराब मार्गों के मरम्मतीकरण उन्नयन एवं अन्य मार्गों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाना।	मार्गों में मरम्मतीकरण उन्नयन कार्य आवंटन की उपलब्धता एवं स्वीकृति अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे है।	रैगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके है एवं संधारण के अंतर्गत आने वाले मार्गों के रख रखाव का कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार उपलब्ध आवंटन के अनुसार पूर्ण किया गया है। पूर्ण किये गये कार्य निम्नानुसार है:-	कोई टिप्पणी नहीं

क्र.	योजना	सड़क का नाम	स्वी. राशि	वर्तमान स्थिति
1	योजना	नैना बठिया सगमनिया मार्ग लं. 4.55	139.10	कार्य पूर्ण दि. 30.04.13

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>कि.मी.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>योजना</td><td>सतना भरजुना मार्ग से टिकुरी शिवपुरवा पथरहा मार्ग लं. 8.85 कि.मी.</td><td>336.70</td><td>कार्य पूर्ण दि. 31.12.14</td></tr>
<tr><td>3</td><td>योजना</td><td>हरदुआ वचवई छींदा उमरहट मार्ग लं. 12.10 कि.मी.</td><td>498.23</td><td>कार्य पूर्ण दि. 30.6.15</td></tr>
<tr><td>4</td><td>योजना</td><td>गडरा विधाता मार्ग लं. 2.50 कि.मी.</td><td>99.83</td><td>कार्य पूर्ण दि. 24.4.14</td></tr>
<tr><td>5</td><td>योजना</td><td>शेरगंज पहुंच मार्ग लं. 2.60 कि.मी.</td><td>90.27</td><td>कार्य पूर्ण दि. 26.3.15</td></tr>
<tr><td>6</td><td>चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण</td><td>करहिया बेला पडरौद बांधी मार्ग में मजबूतीकरण कार्य</td><td>234.69</td><td>कार्य पूर्ण दि. 30.6.15</td></tr>
<tr><td>7</td><td>चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण</td><td>हडखार से सिंहपुर मार्ग में मजबूतीकरण कार्य</td><td>97.12</td><td>कार्य पूर्ण दि. 30.6.15</td></tr>
<tr><td>8</td><td>चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण</td><td>विधाता से ओढकी मार्ग में मजबूतीकरण कार्य</td><td>97.72</td><td>कार्य पूर्ण दि. 30.6.15</td></tr>
<tr><td>9</td><td>चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण</td><td>ओढकी हडखार मार्ग</td><td>96.18</td><td>कार्य पूर्ण दि. 30.6.15</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><table>
<tr><td></td><td></td><td>में मजबूतीकरण कार्य</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>चौड़ीकरण/ मजबूतीकरण</td><td>सिंहपुर से पटपरपाथ पहुंच मार्ग में मजबूतीकरण कार्य</td><td>35.43</td><td>कार्य पूर्ण दि. 30.6.15</td></tr>
<tr><td>11</td><td>सी.आर.एफ.</td><td>पैकारी खडौरी, खडौरा, इटमा उमरहट मार्ग ल. 17.58 कि.मी.</td><td>853.97</td><td>कार्य पूर्ण दि. 10.1.15</td></tr>
<tr><td>12</td><td>नवीनीकरण</td><td>सतना हाटी जैतवारा मार्ग कि.मी. 1 से 4= 4.00</td><td>48.96</td><td>कार्य पूर्ण दि. 31.03.14</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1333/8763/2015/19/यो, दिनांक 26.11.2015</td><td></td></tr>
<tr><td>296.</td><td>358</td><td>परि.ता.प्र.सं. 07
(क्र. 780)
दि. 21.07.2011</td><td>परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लामता से बैहर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराया जाना।</td><td>अनुबंधानुसार कार्य दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण होना निर्धारित है निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी पुल-पुलियों की फेसवाल तोड़कर उनका पुनः निर्माण कराया गया।</td><td>परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एल.डब्ल्यू.ई. योजना में स्वीकृत लं. 46.00 कि.मी. में अनुबंधानुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर पुल-पुलियों सहित डामरीकरण स्तर तक निर्माण कार्य दि. 20.6.13 को पूर्ण किया जा चुका है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1823/2015/सामा/19, दिनांक 05.12.2015</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
<tr><td>297.</td><td>359</td><td>परि.ता.प्र.सं. 31
(क्र. 1554)
दि. 21.07.2011</td><td>रूनीजा अंगारी मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के शेष भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना।</td><td>अवार्ड पारित होने के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा।</td><td>अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड सीतामउ के द्वारा समस्त 28 कृषकों को दिनांक 22.12.2011 के द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1823/2015/सामा/19, दिनांक 05.12.2015</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
298.	360	परि.ता.प्र.सं. 54 (क्र. 1942) दि. 21.07.2011	टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नियम विरूद्ध रोड मार्किंग कार्य कराये जाने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	परीक्षण उपरांत ही गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जाना संभव होगा।	टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में रोड़ मार्किंग का कार्य लघु उद्योग निगम एवं डिवाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया गया एल.यू.एन. के माध्यम से रूपये 8,69,703=00 9,95,623= 00 मार्गों के नाम क्रमश: बल्देवगढ नौगांव मार्ग, डारगुवा कुडीलामार्ग दोनों मार्गों पर कुल राशि रूपये 18,63,326 = 00 का कार्य कराया गया। मेसर्स डिवायन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी टीकमगढ़ से जतारा खरगापुर मार्ग एवं फूलपुर मगरई पाली मार्ग पर कार्य कराया गया, इन दोनों मार्गों पर कुल रूपये 48,88,112= 00 व्यय किये गये। एल.यू.एन. के माध्यम से कार्य कराने हेतु मुख्य अभियंता सागर द्वारा स्वीकृति दी गई और मेसर्स डिवायन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी टीकमगढ़ से कार्य कराने हेतु अधीक्षण यंत्री नौगांव द्वारा अनुमति दी गई। तीनों दरों से तुलना की गई तो पाया कि एस.ओ.आर. की दर @704/- रूपये प्रति वर्ग मीटर है, म.प्र. लघु उद्योग निगम की दर @558/- रूपये प्रति वर्ग मीटर है एवं जिस एजेंसी से कार्य कराया है (डिवायन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी टीकमगढ़) की दर @540/- रूपये प्रति वर्ग मीटर है जो कि एस.ओ.आर. की दर से रूपये 164/- प्रति वर्ग मीटर कम है। इस प्रकार कम दर पर ही शासन हित में कार्य कराया गया है, जिससे शासन को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4230/6021/2014/19/यो, दिनांक 19.09.2014	
299.	361	परि.ता.प्र.सं. 60 (क्र. 2009) दि. 21.07.2011	राजगढ़ जिले के जीरापुर माचनपुर मार्ग को वर्षाकाल में यातायात को सुचारू रूप से चलाने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य किया जावेगा।	इस मार्ग को पचोर-छापीहेडा जीरापुर-माचलपुर (राजस्थान सीमा तक) से सोयत (एस.एच.-51) तक एशियन डेव्हलपमेंट बैंक परियोजना में सम्मिलित किया जाकर दिनांक 30.06.2011 को कार्यादेश जारी किया गया। वर्षाकाल 2011 में मार्ग को मोटेरेबल बना कर रखा गया। वर्तमान में मार्ग के नवीनीकरण का कार्य प्रचलन में है एवं मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 969/778/2012/यो/19, दिनांक 10.02.2012 अद्यतन जानकारी:- यह कार्य ए.डी.बी. फेस-6 अंतर्गत दिनांक 05.06.2013 को पूर्ण किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 310/238/2015/19/यो, दिनांक 14.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
300.	362	परि.ता.प्र.सं. 65 (क्र. 2085) दि. 21.07.2011	राजमार्ग क्रमांक 69 सुखतरा से इटारसी का पूर्ण मार्ग एन.एच.आई. को समय सीमा में हस्तांतरित किया जाना।	शेष कि.मी. 62 से 87/4 कुल 25.40 कि.मी में दोहरी लेन में चौड़ीकरण कार्य दिनांक 31.3.2012 को पूर्ण होने तथा परफार्मेस गारंटी समाप्त होने की एवं कि.मी. 192 से 205 तक कुल 14.00 कि.मी. दिनांक 26.7.2012 को पी.जी. सामाप्त होने के तत्काल बाद एन.एच.आई. को हस्तांतरित कर दिया जावेगा।	भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा रा.रा. 69 के कि.मी. 62 से 87/4 =25.40 कि.मी. की पुनरीक्षित स्वीकृति कार्य की आवश्यकतानुसार विलंब से दिनांक 10.01.2011 को प्राप्त होने के कारण समय अवधि दिनांक 30.06.2012 तक स्वीकृत हुई है। अत: कि.मी. 62 से 87/4 = 25.40 कि.मी. तथा कि.मी. 26 से 205 = 14.00 कि.मी. की परफारमेंस गारंटी दिनांक 26.07.2012 को समाप्त होने के उपरांत एन.एच.ए.आई. को हस्तांतरित किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1288/1169/2012/यो/19, दिनांक 22.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
301.	363	परि.ता.प्र.सं. 68 (क्र. 2168) दि. 21.07.2011	आगर विधान सभा क्षेत्र के बडौद से सुसनेर मार्ग में डामरीकरण समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	मार्च, 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।	डामरीकरण का कार्य पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5048/6880/2012/19/यो, दिनांक 30.08.2012	कोई टिप्पणी नहीं
302.	364	परि.ता.प्र.सं. 76 (क्र. 2283) दि. 21.07.2011	भोपाल नगर निगम सीमा में मार्गो का डामरीकरण किया जाना।	डामरीकरण का कार्य वर्षा के बाद किया जा सकेगा।	(1) हमीदिया मार्ग- उक्त मार्ग का डामरीकरण कार्य करा दिया गया है। (2) बैरसिया भोपाल टाकीज से रेलवे क्रासिंग करोंद चौराहा मार्ग तक मध्यप्रदेश शासन लोनिवि के पत्र क्रमांक 5489/6308/11/यो/19 दिनांक 13.10.2011 से मजबूतीकरण डामरीकरण हेतु रूपये 404.05 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में डामरीकरण मजबूतीकरण कार्य प्रगति पर है। (3) भोपाल-विदिशा रोड (नादिरा बस स्टैंड से प्रथम रेलवे क्रासिंग छोला रोड) के डामरीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु लंबाई 1.80 किमी के लिये रूपये 307.78 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन लोनिवि के पत्र क्रमांक 5489/6308/11 यो-19 भोपाल दिनांक 30.10.2011 से रूपये 307.78 लाख की प्राप्त हुई है। वर्तमान में मजबूतीकरण- डामरीकरण कार्य प्रगति पर है। (4) बैरागढ़ मार्ग – उक्त मार्ग लोनिवि के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। (5) वल्लभ भवन मार्ग- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नर्मदा परियोजना मंडल द्वारा मार्ग की मरम्मत करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2445/814/2012/यो/19, दिनांक 25.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं
303.	365	परि.ता.प्र.सं. 91 (क्र. 2426) दि. 21.07.2011	सुआसरा विधान सभा क्षेत्र के डिगांव से बसई व्हाया रूपनी मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिगांव से रूपनी बसई सड़क (लंबाई 44.20 किमी) के निर्माण की स्थिति निम्नवत है:- 1. डिगांव से जग्गा खेडी तक मार्ग लंबाई 6.50 किमी. के चौडीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रू. 149.76 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					29.03.2012 से प्राप्त हुई है। निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2014 को पूर्ण हो गया है। 2. डिगांव से बसई की शेष लंबाई 31.20 किमी. के आयोजन मद में रू. 722.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 1.4.13 को प्राप्त हो चुकी है तथा कार्यादेश दिनांक 6.9.13 को जारी किया जाकर निर्माण कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3116/ /2015/19/यो, दिनांक 05.06.2015	
304.	366	परि.ता.प्र.सं. 115 (क्र. 2563) दि. 21.07.2011	विदिशा अंतर्गत कोटरा से नामाखेड़ी सड़क निर्माण में हुई अनियमितता पूर्ण किये गये भुगतान की वसूली।	विभागीय जांच में होने वाले निर्णय अनुसार।	विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-16/2011/स्था/19 दिनांक 18.11.2014 द्वारा श्री ए.के. सक्सेना, तत्का. उपयंत्री को शासकीय सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित की गई। 2. श्री आर.के. सक्सेना, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी को आदेश दिनांक 20.4.2015 द्वारा संपूर्ण पेंशन राशि (न्यूनतम पेंशन राशि को छोड़कर) रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। प्रकरण में अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5556/282/2013/स्था/19, दिनांक 29.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं
305.	367	अता.प्र.सं. 82 (क्र. 2478) दि. 21.07.2011	टीकमगढ़ जिले में मार्गों के निर्माण कार्य हेतु जमा सुरक्षा निधि अनियमित रूप से निकाले जाने के जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की कार्यवाही।	जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में सभी कार्यों के निरीक्षण जांच की गई अधिक वर्षा के कारण एवं भारी वाहनों के आवागमन से जो आंशिक क्षति हुई थी उसकी मरम्मत संबंधित ठेकेदारों से कराई गई एवं जो कार्य वार्षिक मरम्मत के अंतर्गत थे उनकी मरम्मत विभागीय तौर पर कराई गई। लोक निर्माण विभाग संभाग टीकमगढ़ से अनियमित रूप से सुरक्षा निधि निकालने का कोई भी प्रकरण नहीं है, जिस ठेकेदारों के द्वारा समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया था उनके विरूद्ध नियमानुसार अधीक्षण यंत्री द्वारा पेनाल्टी लगाई गई एवं उसी आधार पर ठेकेदारों की राशि रोकी गई। प्रकरण में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4234/6084/2014/19/यो, दिनांक 19.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं
306.	368	अता.प्र.सं. 99 (क्र. 2545) दि. 21.07.2011	लोक निर्माण विभाग में 31.3.2008 तक कार्य पूर्ण करने की दृष्टि से सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी संभाग के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा प्राप्त प्रशासकीय	परीक्षणोपरांत गुण-दोषों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।	वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग-2 के आयटम क्रमॉक 31 के अनुसार फुटकर काम इत्यादि हेतु निविदायें आमंत्रित करने/ठेकेदारों को कार्यादेश देने के प्रयोजन हेतु स्वीकृत प्राक्कलन को विभाजित करने की शकित कार्यपालन यंत्री को उनके द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों हेतु पूर्ण शक्तियॉं प्राप्त है। वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग-2 के आयटम क्र. 31 के अनुसार कार्यादेश	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			स्वीकृतियों की धनराशि की एक मुश्त निविदा आमंत्रित न कर उसे विभक्त कर छोटी-छोटी निविदाएं आमंत्रित की जाने की जांच एवं कार्यवाही।		अंशकार्य आदि जारी करने के लिये निविदाओं को बुलाने ठेको के जारी करने के प्रायोजन के लिए मंजूर प्राक्कलनों के विभक्त करने की शक्तियाँ कार्यपालन यंत्री को उनके द्वारा मंजूर प्राक्कलन के लिए पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। शासन का आदेश क्र. 8514/11623/19/योजना/99 भोपाल दिनांक 20.10.1999 द्वारा कार्यपालन यंत्री को 100.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार दिये गये थे। तत्पश्चात मण्डल कार्यालय पुन: स्थापित हो जाने के बाद शासन के पत्र क्र. एफ-34/2/2006 स्था एवं राज्य शासन एतद् द्वारा आदेश क्र. 34-35/2003/स्था/19 दिनांक 23.02.2006 / 03.03.2006 / 28.03.2006 द्वारा अधीक्षण यंत्री को पुन: पूर्वत अधिकार प्रदाय किये गये थे। म.प्र. शासन के पत्र क्र. 879/2008/नियम/चार/395 भोपाल दिनांक 23 मई 2008 के द्वारा जारी वित्तीय अधिकार आदेश में कार्यपालन यंत्री के 20.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2945/1782/यो/19/2017, दिनांक 29.05.2017	
307.	369	अता.प्र.सं. 100 (क्र. 2552) दि. 21.07.2011	राष्ट्रीय राजमार्ग एच.एन. 3 इंदौर खलघाट के विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच पूर्ण की जाकर जांच प्रतिवेदन भेजा जावेगा।	प्रश्नाधीन रा.रा. क्रं. 03, इंदौर खलघाट का भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है। आश्वासन संबंधी एन.एच.ए.आई. से प्राप्त जानकारी **परिशिष्ट -1 संलग्न है।** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6864/स्था/2015/19/यो, दिनांक 04.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं
308.	370	अता.प्र.सं. 109 (क्र. 2579) दि. 21.07.2011	ग्राम पहरा (छतरपुर) में पशु औषधालय का भवन निर्माण न होने पर भी राशि का भुगतान किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध की कार्यवाही।	जांच कार्यवाही प्रचलन में है।	अनुबंध से हटकर कार्य कराये जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी श्री एस.एल. श्रीवास्तव प्रभारी अधीक्षण यंत्री नौगांव एवं तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध प्रारूप आरोप पत्र प्रमुख अभियंता द्वारा दिनांक 1.1.15 को जारी कर दिये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6542/डी/2015/19/यो, दिनांक 26.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
309.	371	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 69) दि. 22.07.2011	सिवनी जिले के अंतर्गत बेनगंगा नदी पर नवीन पुर निर्माण प्रारंभ किया जाना।	नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव सेतु परिक्षेत्र द्वारा तैयार किया जाकर परीक्षणाधीन है । नवीन पुल के प्रस्ताव की लागत लगभग 312.57 लाख संभावित है शीघ्र ही इन प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण किया जाकर योग्य निर्णय लिया जायेगा एवं कार्य को बजट में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। दिसम्बर में कार्य चालू कर देगें।	सिवनी-मण्डला मार्ग के किमी 55/4 (बैनगंगा पुल) के क्षतिग्रस्त तीन स्लैबों का रिपेयर दिनांक 24.11.2011 को पूर्ण कर दिया है। पुल पर निरंतर यातायात चालू है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2403/3302/2012/यो/19, दिनांक 24.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई, 2011 सत्र
(18) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
310.	373	ता.प्र.सं. 16 (क्र. 999) दि. 15.07.2011	छतरपुर में धसान में जल प्रदाय योजना समय सीमा में पूर्ण की जाना।	दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण होने की संभावना है।	योजना पूर्ण की जाकर 5 टंकियों के माध्यम से नगर में प्रतिदिन जल प्रदाय किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1602/746/2012/2/34, दिनांक 03.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं
311.	374	परि.ता.प्र.सं. 44 (क्र. 928) दि. 15.07.2011	नरयावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में हेण्ड पंप खनन कार्य पूर्ण किया जाना।	वर्ष 2011-12 में माह मार्च, 2012 तक पूर्ण किये जाना लक्षित है।	सागर जिले के नरयावली विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2011-12 में लक्षित 55 नलकूपों के खनन कार्य के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक 21 नलकूपों का खनन कार्य पूर्ण कर लिया गया था शेष 34 ग्रामों में से 32 ग्रामों में खनन कार्य पूर्व में पूर्ण किया जा चुका है। शेष 2 ग्रामों में से 01 ग्राम (मकरोनिया झुग्गी बस्ती) के स्थान पर मान.विधायक जी द्वारा बताये गये स्थान पर तथा 01 ग्राम (मझगवां) में नलकूप खनन कार्य किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4980/604/2012/2/34, दिनांक 18.12.2012	कोई टिप्पणी नहीं
312.	375	परि.ता.प्र.सं. 70 (क्र. 1158) दि. 15.07.2011	विगत तीन वर्षों में जिला मुरैना में खोदे गये तालाबों का भुगतान प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक करने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	जिला मुरैना में खोदे गये तालाबों की प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सर्वश्री बी.एल. पाठक, व्ही.के.छारी, पी.एस.सिकरवार, के.आर. गोयल एवं व्ही.पी.शर्मा, सहायक यंत्रियों एवं बी.के. पाण्डे, राजीव भारद्वाज, बी.एस.सेंगर एवं आर.एस.सेंगर, उपयंत्रियों को कार्यालयीन पत्र दिनांक 5.7.2011 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 11006 दि. 02.12.2011 द्वारा संबंधितों से प्राप्त प्रतिवाद उत्तरों पर मुख्य अभियंता, ग्वालियर का अभिमत मांगा गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 762/3315/2011/2/34, दिनांक 22.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
313.	376	परि.ता.प्र.सं. 81 (क्र. 1240) दि. 15.07.2011	टीकमगढ़ जिले में लघु उद्योग निगम से नियमानुसार क्रय न कर मेसर्स स्टार एण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन छतरपुर से हैण्ड पंपों की सामग्री क्रय करने में बरती गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही ।	संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं अन्यों के विरूद्ध प्रथम दृष्टया जांच के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्कर्षों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जावेगी ।	टीकमगढ़ जिले में लघु उद्योग निगम से सामग्री क्रय न कर निजी फर्म से नियम विरूद्ध सामग्री क्रय किए जाने के लिए उत्तरदायी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री एन.आर.गोडिया के विरूद्ध विभागीय पत्र क्रं. एफ 5-10/2014/1/34, दिनांक 11.7.2014 द्वारा आरोप पत्रादि जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति अपचारी श्री गोड़िया को भेजकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में परीक्षणोपरांत अपचारी अधिकारी श्री गोड़िया के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत उनकी 30 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकी जाने का अनंतिम निर्णय लिया जाकर दि. 16.03.2018 को म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर की सहमति हेतु प्रकरण भेजा गया है। आयोग की सहमति/प्रकरण वापिस प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग की सहमति/मत उपरांत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2113/2814/2014/1/34, दिनांक 28.05.2018	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग आयोग की सहमति / मत उपरान्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करेगा।
314.	377	अता.प्र.सं. 81 (क्र. 1269) दि. 15.07.2011	भिण्ड जिले के लहार तहसील के ग्राम लपवाहा निवासी श्री कढोरेलाल पुत्र श्री नाराण एवं विनोद पुत्र श्री प्रकाश बुधोलिया द्वारा कराये गये निजी हैंड पंप खनन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी भुगतान किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं कार्यवाही ।	जांच पूर्ण होने पर प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।	प्रकरण से जुडे श्री ए.पी.मिश्रा, उपयंत्री के विरूद्ध प्रमुख अभियंता कार्यालय के पत्र क्रमांक 8267 दिनांक 6.8.2013 द्वारा आरोप पत्र जारी कर आदेश क्रमांक 41 दिनांक 13.9.2013 द्वारा अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना मंडल चंबल संभाग मुरैना को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय जांच चल रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3909/4245/2014/1/34, दिनांक 19.11.2014	कोई टिप्पणी नहीं
315.	378	परि.ता.प्र.सं. 82 (क्र. 2209) दि. 22.07.2011	बडवानी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत पेयजल टंकियों के निर्माण के लंबित प्रस्तावित पर कार्यवाही ।	पुनः निविदाएं आमंत्रित की जा रही है ।	बड़वानी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 7 योजनाओं की टंकियों का निर्माण लंबित था जिसमें से बडगांव एवं रेगुन की टंकियां पूर्ण की जा चुकी है। ग्राम सुक्तिखेडा एवं लोनसरा प्रगति पर है तथा ग्राम कोटरा, करी एवं पिपलाज की टंकी निर्माण हेतु निविदायें पुनः आमंत्रित की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 830/570/2012/2/34, दिनांक 01.03.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
316.	379	अता.प्र.सं. 20 (क्र. 1301) दि. 22.07.2011	उज्जैन जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्दियॉं क्रय में अनियमितता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण कर तदुपरांत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।	प्रकरण के संबंध में मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र इंदौर द्वारा पत्र क्रं. 87 दिनांक 29.02.2012 द्वारा सूचित किया है कि अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल उज्जैन द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड नगर पालिका निगम उज्जैन द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में जांच की गयी। जांच में कार्यपालन यंत्री से स्पष्टीकरण मांगा गया था। वर्दियों के वितरित करते समय खराब वर्दी आने के कारण कर्मचारियों द्वारा हंगामा किया गया। ऐसी स्थिति में नयी वर्दी क्रय की गयी एवं कर्मचारियों को वितरित की गयी। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 की क्रय की गई अधिक वर्दियों को भण्डार में उपलब्ध वर्दियों में शामिल कर वर्ष 2008-09 में वितरित की गयी। अब भण्डार में कोई भी वर्दी शेष नहीं है तथा जांच में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है। कार्यपालन यंत्री के स्पष्टीकरण से सहमत होते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने हेतु अनुशंसा की गयी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1755/2940/2012/1/34, दिनांक 13.06.2012	कोई टिप्पणी नहीं
317.	380	अता.प्र.सं. 35 (क्र. 1430) दि. 22.07.2011	प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा कटनी जिले में माननीय मंत्री जी एवं कार्यपालन यंत्री को नवीन हैण्ड पंप खनन करने हेतु की गई अनुशंसा अनुसार हैण्ड पंपों का खनन ।	शेष खनन आगामी 02 वर्षों में किया जायेगा ।	प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा की गई अनुशंसा में विभाग द्वारा परीक्षण करने पर 69 बसाहटों में 106 नलकूप खनन हेतु मांग उचित पाई गई जिसमें से समस्त 69 बसाहटों में 106 नलकूपों का खनन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3561/1673/2012/2/34, दिनांक 04.09.2014	कोई टिप्पणी नहीं
318.	381	अता.प्र.सं. 60 (क्र. 1883) दि. 22.07.2011	विकासखण्ड सिहोरा के ग्राम पनवानी में नल जल योजना हेतु अनुबंध अनुसार जी आई पाईप एवं टंकी का निर्माण किया जाना।	अनुबंध एवं कार्यादेश संबंधी कार्यवाही की जा रही है ।	विकासखण्ड सिहोरा के ग्राम फनवानी में स्वीकृत नलजल योजना के अंतर्गत जी.आई. पाईप (वितरण पाईप लाईन) के कार्य हेतु ठेकेदार से अनुबंध किया गया एवं दिनांक 25.02.2011 को कार्यादेश जारी किया गया। योजनान्तर्गत पेयजल टंकी निर्माण कार्य का ठेकेदार से अनुबंध किया गया एवं दिनांक 24.09.2011 को निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 836/569/2012/2/34, दिनांक 25.02.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
319.	382	अता.प्र.सं. 76 (क्र. 2147) दि. 22.07.2011	सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजना/मुख्यमंत्री की स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण किया जाना।	शेष एक योनजा में माह अक्टूबर 2011 तक स्त्रोत निर्माण करा दिया जायेगा।	ग्राम नन्दापुरा जल प्रदाय योजना के सभी अवयव पूर्ण कर योजना चालू की जा चुकी है। वर्तमान में जल प्रदाय चालू है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3877/635/2012/2/34, दिनांक 13.10.2014	कोई टिप्पणी नहीं
320.	383	अता.प्र.सं. 90 (क्र. 2248) दि. 22.07.2011	रीवा जिले के विकासखण्ड सिरमौर रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान में नलजल की बंद पडी योजनाओं को प्रारंभ किया जाना।	स्त्रोत सूखने से बंद 7 योजनाओं के स्त्रोत निर्माण कर चालू कराने के प्रयास किये जा रहे है।	रीवा जिले के विकासखण्ड सिरमौर रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान में बंद पड़ी 17 नलजल योजनाओं में से 8 योजनाओं को चालू किया जा चुका है। शेष 9 योजनाओं में से 6 योजनायें विद्युत कनेक्शन विच्छेद एवं विद्युत लाईन के तार चोरी हो जाने के कारण बंद है। 2 योजनाओं में स्त्रोत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। पंप स्थापना एवं पाईप लाईन संयोजन की कार्यवाही की जारही है। 01 योजना में स्त्रोत असफल हो जाने के कारण पुन: स्त्रोत निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। विद्युत कनेक्शन चालू करने एवं एल.टी. लाईन में पुन: तार खीचने हेतु म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी को पत्र लिखा गया है। कार्यवाही अपेक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1618/633/2012/2/34, दिनांक 05.04.2012	कोई टिप्पणी नहीं
321.	384	अता.प्र.सं. 108 (क्र. 2398) दि. 22.07.2011	छतरपुर जिलान्तर्गत राजनगर विधान सभा क्षेत्र में नल जल योजनाओं के तहत टंकियों का निर्माण पूर्ण किया जाना।	मार्च 2012 तक टंकियों का निर्माण पूर्ण हो सकेगा।	विधानसभा क्षेत्र राजनगर के अंतर्गत कदोहा, नदया जल टंकी से जलप्रदाय प्रारंभ कर ग्राम पंचायत को योजना हस्तांतरित कर दी गई है एवं शेष 3 टंकी चन्द्रनगर, बरा, पाय जल टंकियों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 477/145/2012/2/34, दिनांक 30.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं
322.	385	अता.प्र.सं. 119 (क्र. 2476) दि. 22.07.2011	टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री नल जल योजना का क्रियान्वयन।	विद्युत कनेक्शन उपरांत योजना शीघ्र ही चालू कर दी जायेगी।	वर्ष 2010-11 में जिले में मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत 25 योजनायें स्वीकृत थी। स्वीकृत योजनाओं में से 17 योजनाओं के विद्युत कनेक्शन के कार्य पूर्ण कर योजनाओं को चालू किया गया तथा 01 में सोलरपंप स्थापित किया गया है। शेष 07 योजनाओं में जल स्त्रोत प्राप्त होने पर विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2684/1694/2012/2/34, दिनांक 26.07.2013	कोई टिप्पणी नहीं

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>323.</td><td>386</td><td>अता.प्र.सं. 146
(क्र. 2631)
दि. 22.07.2011</td><td>कटनी में पदस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही।</td><td>जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष उपरांत संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।</td><td>प्रकरण में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध विधिवत विभागीय जांच की कार्यवाही की जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण समाप्त किया गया/आगामी कार्यवाही की जा रही है।
<table>
<tr><td>श्री आर.एस. चौधरी, उपयंत्री</td><td>शासनादेश क्र. एफ 5-44/2009/1/34 दि. 24.08.2018 द्वारा ''उनको देय पेंशन में से 20 प्रतिशत पेंशन राशि स्थाई रूप से कटौती की शास्ति अधिरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया।</td></tr>
<tr><td>श्री एस.आर. मेहरा, उपयंत्री</td><td>शासनादेश क्र. एफ 5-44/2009/1/34 दि. 30.01.2018 द्वारा ''उनको वर्तमान में देय वेतनमान में दो वर्ष पूर्व की स्थिति में वापस लाने'' की शास्ति अधिरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया।</td></tr>
<tr><td>श्री आर.के. परोचे, उपयंत्री</td><td>श्री परोचे का निधन दिनांक 04.09.2016 को हाने के कारण शासनादेश क्र. एफ 5-44/2009/1/34 दि. 24.08.2018 द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया।</td></tr>
<tr><td>श्री आर.पी. उपाध्याय, उपयंत्री</td><td>शासनादेश क्र. एफ 5-44/2009/1/34 दि. 24.08.2018 द्वारा ''उनको देय पेंशन में से 5 प्रतिशत पेंशन राशि स्थाई रूप से कटौती की शास्ति अधिरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया।</td></tr>
<tr><td>श्री एस.एस. धुर्वे, सहायक-2</td><td>विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.2017 द्वारा दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त किया गया।</td></tr>
<tr><td>श्री एस.के. दुबे, सहायक ग्रेड-2</td><td>शासनादेश क्र. एफ 5-44/2009/1/34 दि. 24.08.2018 द्वारा ''उनको देय पेंशन में से 10</td></tr>
</table></td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><table><tr><td></td><td>प्रतिशत पेंशन राशि स्थाई रूप से कटौती की शास्ति अधिरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया।</td></tr><tr><td>श्री व्ही.के. मरावी, कार्य. यंत्री</td><td>शासनादेश क्र. एफ 5-44/2009/1/34 दि. 24.08.2018 द्वारा ''उनको देय पेंशन में से 10 प्रतिशत पेंशन राशि स्थाई रूप से कटौती की शास्ति अधिरोपित की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया।</td></tr></table>**विभागीय पत्र क्रमांक :-**
4941/2041/2012/1/34, दिनांक 19.12.2018</td><td></td></tr>
<tr><td>324.</td><td>387</td><td>अता.प्र.सं. 152
(क्र. 2646)
दि. 22.07.2011</td><td>माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 के पालन में दिनांक 01.12.2007 की स्थिति में संबंधित उपयंत्रियों को पदोन्नति प्रदान करने हेतु की गई कार्यवाही।</td><td>निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जायेगी।</td><td>प्रमुख अभियंता कार्यालय के आदेश क्रं. 481/स्था/शि./नि.प्र./प्रअ/लोस्वायांवि/2010, दिनांक 23.12.2010 द्वारा मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के निर्णय दिनांक 25.11.2010 के परिपालन में श्री जगदीश प्रसाद सोगानी, स्नातक उपयंत्री (वि/यां) की वरिष्ठता दिनांक 01.04.10 की स्थिति समूह 'अ' के अनुक्रम से विलोपित कर समूह 'ब' में सरल क्रमांक 4 पर अंकित की गयी है। वरिष्ठतानुसार पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1737/2936/2012/1/34, दिनांक 11.06.2012</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
</table>

(19) जनजातीय कार्य विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
325.	412	परि.ता.प्र.सं. 24 (क्र. 610) दि. 15.07.2011	अमझेरा तहसील सरदारपुर जिला धार में शैक्षणिक सत्र 2011-12 में हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति दी जाना।	वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा हाई स्कूल उन्नयन के प्रस्ताव सूची में सम्मिलित है।	विभागीय ओदश क्रमांक एफ 10-8/2011/25-2 दिनांक 16.08.2011 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21/244/2011/25-2, दिनांक 21.01.2012	कोई टिप्पणी नहीं
326.	413	परि.ता.प्र.सं. 79 (क्र. 1228) दि. 15.07.2011	पन्ना जिले के अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के छात्रावासों/ आश्रमों हेतु क्रय की गई सामग्री के भुगतान स्टोर एवं वितरण में अनियमितता तथा शासकीय राशि का गबन करने वालों के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही।	विभागीय जांच संस्थित की जाकर कार्यवाही की जा रही है तथा चन्द्रेश वाल्मीक सहायक ग्रेड 3 तत्कालीन स्टोर प्रभारी को जिला स्तर पर निलंबित किया जाकर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा विभागीय जांच की जा रही है।	(1). छात्रावास एवं आश्रमों हेतु क्रय सामग्री में वित्तीय अनियमितता किए जाने पर श्री लखनलाल अग्रवाल, तत्कालीन जिला संयोजक ,पन्ना के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के अंतर्गत एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिनांक 25.09.2017 को जारी किये गये है। (2). श्री चन्द्रेश बाल्मीक, सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध जिला स्तर पर संस्थित विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाकर रू. 6,53,782/- राशि वसूली के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 11849/12 दायर की गई है, जिसमें वादोत्तर प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। (3). श्री पी.के. श्रीवास्तव, तत्का. जिला संयोजक, पन्ना के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित पाये जाने उनकी सेवानिवृत्ति तिथि दिनांक 31.07.2017 के पश्चात उन्हें मिलने वाले स्वत्वों से राशि रू. 2,317/- की वसूली के आदेश आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, म.प्र. द्वारा दिनांक 11.07.2018 को जारी किये गये है। (4). श्री साबित खॉन, तत्कालीन जिला संयोजक, पन्ना के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में जांच अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि वभाग विभागीय जांच पूर्ण कर दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर निर्णय लेने की कार्यवाही परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1634/2439/2017/1/25, दिनांक 29.08.2019	
327.	414	अता.प्र.सं. 22 (क्र. 593) दि. 15.07.2011	प्रगति सहायक, संगणक अनुसंधान सहायक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं अन्वेषक को समयमान वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही।	कार्यवाही प्रचलनमें है।	प्रश्न के उत्तर में कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था.02/01/2011-2012/1308 दिनांक 04.07.2011 द्वारा दी गई जानकारी के संदर्भ में विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक आयोजित कर पात्रता अनुसार निम्न कर्मचारियों/अधिकारियों के 10 एवं 20 वर्ष सेवा काल पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान के आदेश जारी किये जा चुके है:- संगणक- 02 अनुसंधान सहायक- 04 सहा.साख्यिकी अधि.- 02 अन्वेषक- 01 **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 23-45/2011/1/25, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
328.	415	ध्यानाकर्षण सूचना (क्र. 144) दि. 21.07.2011	डिंडोरी में एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना तथा भवन के घटिया निर्माण की जांच एवं कार्यवाही।	यथाशीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही हम करेंगे। पी.डब्ल्यू.डी. का काम है हम उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को यहां भोपाल में लिखेगे उनके माध्यम से जांच करायेंगे।	मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग जबलपुर क द्वारा जॉच प्रतिवेदन के द्वारा कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद बताते हुये किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं बताया गया है। तदोपरांत कार्य पूर्ण कराने हेतु शासन के पत्र क्रमांक एफ 3-14-15/25-2/652 दिनांक 20.04.2015 द्वारा कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-61/2011/25-2/707, दिनांक 02.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
329.	416	ता.प्र.सं. 19 (क्र. 483) दि. 22.07.2011	खरगोन जिले में आदिवासी विकासखण्डों में प्रभारी प्राचार्य के स्थान पर स्थाई प्राचार्यों की नियुक्ति।	स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	शासन आदेश क्रमांक एफ 4-36/2010/1-25 दि. 25.05.2012 द्वारा 180 प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उ.मा.वि. एवं शासन आदेश क्र. 4-37/10/1-25 दिनांक 25.05.2012 द्वारा 234 व्याख्याताओं को प्राचार्य हाईस्कूल के पदों पर पदोन्नती कर स्थाई प्राचार्यो की	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					पदसथापना की गई है। खरगौन जिले में प्राचार्य हाईस्कूल के 22 एवं प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर 13 प्राचार्यो को पदोन्नत कर पदस्थ किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-23-49/2011/1/25, दिनांक 26.09.2012	
330.	417	परि.ता.प्र.सं. 96 (क्र. 2295) दि. 22.07.2011	आदिम जाति कल्याण विभाग में अन्य विभागों से हस्तांतरित कर्मचारियों के लिये सेवा भर्ती नियम बनाकर उसका लाभ दिया जाना।	अधिकारियों के सेवा भर्ती नियम विभाग की आवश्यकता के अनुरूप बनाकर इन्हें सेवा भर्ती नियम का लाभ दिया जायेगा।	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संवर्ग के पदों को आदिम जाति कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1969 में शामिल कर यथासंशोधित कराया जाना है तथापि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पदोन्नती के सोपान उपलब्ध कराने हेतु विभाग के पास पद उपलब्ध नहीं होने से मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सहायक आयुक्त (विकास) एवं सहायक आयुक्त (विकास) से उपायुक्त (विकास) के नवीन पर सृजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का समयमान वेतनमान का लाभ भी दिया जा चुका है। सेवा भर्ती/पदोन्नती नियम बनाया जाना एक लम्बी प्रक्रिया है, जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-23-50/2011/25/1, दिनांक 12.07.2016	कोई टिप्पणी नहीं
331.	418	परि.ता.प्र.सं. 116 (क्र. 2463) दि. 22.07.2011	राजपुर एवं बडवानी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हा.स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति।	पदों की पूर्ति किये जाने हेतु पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलन में है।	शासन आदेश क्रमांक एफ-4-37/2010/1-25 दिनांक 25.05.2012 द्वारा विधान सभा क्षेत्र बड़वानी में प्राचार्य हाईस्कूल के 08 एवं शासन आदेश क्रमांक एफ-4-36/2010/1-25 दिनांक 25.05.2012 द्वारा प्राचार्य हायर सेकेण्डरी के 03 पद पदोन्नती से भरे गये है। इसी प्रकार विधान सभा क्षेत्र राजपुर में प्राचार्य हाईस्कूल के 07 एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी में 04 पद पदोन्नती से भरे गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-28-48/2011/1/25, दिनांक 26.11.2012	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
332.	419	परि.ता.प्र.सं. 139 (क्र. 2637) दि. 22.07.2011	संभागीय कार्यालयों को छात्रवृत्ति फार्म/शिष्यावृत्ति फार्म स्टेशनरी व प्रचार सामग्री दिये गये आवंटन से मुद्रण कार्य कराये जाने की उच्च स्तरीय जांच एवं कार्यवाही ।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	आदिवासी विभाग द्वारा विगत 3 वर्षो में दिये गये आवंटन की स्थिती निरंक है। अत: फर्जी भुगतान होना नहीं पाया गया। संभागीय कार्यालय जबलपुर के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु संभागीय आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर को लिखा गया था। संभागीय आयुक्त द्वारा तत्काली संभागीय उपायुक्तों को पत्र क्रमांक 1899/चार-4/2012 दिनांक 09.11.2012 से आरोप पत्र जारी किये गये है। प्रकरण में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलित है। चूंकि विभागीय जांच एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसकी समय-सीमा बतलाई जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 716/2944/2014/1/25, दिनांक 27.04.2015	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग विभागीय जांच पूर्ण कर दोषियों पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

स्थान : भोपाल

दिनांक : 17.12.2024

हरिशंकर खटीक
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

आरक्षण क्रमांक 327 परिशिष्ट-5 (136)

(327)

मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित
विपणन विभाग, मुख्यालय
भोपाल

क्रमांक : लउनि / विप / पीएस–15 / 2011 / 05 भोपाल, दिनांक 22-7-11

प्रति,

1. समस्त उप मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / प्रबंधक (कच्चा माल) एवं समस्त कच्चा माल भण्डार, म.प्र. लघु उद्योग निगम ।
2. समस्त उप मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / प्रबंधक (एम्पोरियम) एवं समस्त मृगनयनी म.प्र. एम्पोरियम, म.प्र. लघु उद्योग निगम ।
3. समस्त महाप्रबंधक / प्रबंधक (विपणन), म.प्र. लघु उद्योग निगम ।
4. समस्त महाप्रबंधक / प्रबंधक, क्षेत्रीय विपणन कार्यालय, म.प्र. लघु उद्योग निगम ।

विषयः–निगम द्वारा जारी किये जा रहे प्रदाय आदेशों में उल्लेखित शर्तों में संशोधन ।
संदर्भः–विपणन विभाग की टीप दिनांक 07–7–2011

उपरोक्त विषय में निर्देशित किया जाता है कि निगम द्वारा जो प्रदाय आदेश जारी किये जा रहे हैं उनके टर्म्स एण्ड कण्डीशन्स के सरल क्रमांक 03 एवं 09 पर वेट / सी.एस.टी. हेतु जो शर्तों का उल्लेख किया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया जावे । भविष्य में जो भी प्रदाय आदेश जारी किये जावें उनमें उक्त दोनों शर्तों को काट कर लघु हस्ताक्षर किया जावे तथा उसके स्थान पर निम्न शर्तों का उल्लेख प्रदाय आदेश में किया जावे :–

3. (a) Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Ltd. being a marketing agency does not bear any responsibility for collection/deduction of any tax in respect of the material being supplied.

(b) The person making payment to the supplier for the goods supplied to state Government Departments should deduct the amount of Value Added Tax (VAT) from the amount payable to the supplier and deposit the same with the State Government as per the applicable provisions of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002. He shall be responsible for issuing appropriate Form as per the said Act and Rules framed there- under.

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(हस्ताक्षर) 22/07/11
मुख्य महाप्रबंधक (विपणन)

आश्वासन क्रमांक 330 परिशिष्ट–29

137

विधानसभा सत्र जुलाई, 2011 के आश्वासन कमांक–330 के बिन्दु कमांक–1 की तिथिवार सूची :–

क्र0	इकाई का नाम	नोटिस जारी होने की तिथि	रिमार्कस
1.	मेसर्स स्टार डेल्टा ट्रांसफामर लिमि.	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
2.	मेसर्स बी.एस.पी.एल. यूनिट–2	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
3.	मेसर्स आस्था इंडस्ट्रियल कंपनी	12–6–2012	भूखण्ड निरस्त किया गया। इकाई की अपील परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय पर विचाराधीन
4.	मेसर्स शुभलक्ष्मी इंजीनियरिंग (वर्तमान में मे. बंसल लेबोटरीज एण्ड इक्यूपमेंट)	12–6–2012	अतिकमण हटाया गया
5.	मेसर्स संजय स्टील	12–6–2012	निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
6.	मेसर्स सत्यम इण्डस्ट्री	12–6–2012	अतिकमण हटाया गया
7.	मेसर्स शर्मा एण्ड ऐसोसियेट्स	05–3–2012	जिला प्रशासन द्वारा अतिकमण हटाया गया
8.	मेसर्स टेसला ट्रांसफार्मर लिमि0	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
9.	मेसर्स चेम्पीयन इंजीनियरिंग इण्ड.	12–6–2012	अतिकमण हटाया गया
10.	मेसर्स कपिल ब्राईट इण्डस्ट्री	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
11.	मेसर्स किलपेस्ट इंडिया लिमि0	12–6–2012	अतिकमण हटाया गया
12.	मेसर्स एस.के.इण्डस्ट्री	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
13.	मेसर्स पूनम इण्डस्ट्री	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
14.	मेसर्स पायोनियर पैकेजिंग	12–6–2012	अतिकमण हटाया गया
15.	मेसर्स आर.जी.इंजीनियरिंग वर्क्स	12–6–2012	बेदखली निर्णय उपरांत अतिकमण हटाया गया
16.	मेसर्स नर्बदा इलेक्ट्री इंजीनियरिंग	12–6–2012	अतिकमण हटाया गया
17.	महाप्रबंधक,(सिविल)म0प्र0म0क्षे0वि0वि0क0लि	05–3–2012	अपीलीय अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश निरस्त।
18.	मेसर्स एस.एम.मोटर्स	12–6–2012	भूखण्ड निरस्त किया गया। इकाई की अपील परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय पर विचाराधीन
19.	मेसर्स सिगमा हैवी इंजीनियरिंग इण्ड	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
20.	मेसर्स पूजा केबिल प्राय0लिमि0	26–5–2012	अतिकमण हटाया गया
21.	मेसर्स डनहिल प्रोडक्ट्स	25–5–2012	अतिकमण हटाया गया
22.	मेसर्स द जागरण प्रिंटर्स	03–5–2012	बेदखली की कार्यवाही के विरूद्ध इकाई की अपल अपीलीय अधिकारी (राजस्व आयुक्त) के समक्ष विचाराधीन

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,भोपाल

लोकनिर्माण विधा आश्वासन क्र० 369 (138)

परिशिष्ट-ग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport and Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
Project Implementation Unit,
14, [illegible], इन्दौर-देवास बायपास,
14, [illegible], Indore-Dewas Bypass,
[illegible], इन्दौर (म.प्र.) [illegible]
[illegible], Indore (M.P.)-452016

दूरभाष / Phone : [illegible]
फैक्स / Fax : [illegible]
e-mail : [illegible]

परिशिष्ट "क"

भा.रा.प्रा. / परि.का.इ. / इन्दौर / पी.म.यू. / 2014 / [illegible]

दिनांक 23.12.2014

प्रति,

मुख्य अभियन्ता (रा.रा. [illegible]),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता,
म.प्र.लोक निर्माण विभाग,
प्लाट नं. 27–29 निर्माण भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.) 462004

विषय : जुलाई 2011 सत्र में दिये गये आश्वासन क्रमांक 369 पर कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ : (i) क्षेत्रीय [illegible] का पत्र क्रमांक भा.रा.रा.प्रा. / क्षे.का.–म.प्र. / 2014 / [illegible] दिनांक 23.12.2014
(ii) मुख्य अभियन्ता (रा.रा. [illegible]), लो.नि.वि., भोपाल, का पत्र क्रमांक [illegible] / आर / [illegible] क्र.298 / 2014 / [illegible] दिनांक 15.12.2014
(iii) मुख्य अभियन्ता ([illegible]), लो.नि.वि., भोपाल, का पत्र क्रमांक 117 / [illegible] / 2014 / 171 दिनांक 07.11.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–[illegible] इन्दौर–[illegible] के [illegible] हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच कलेक्टर, [illegible] द्वारा की जा रही है, जिसकी जांच निष्कर्ष रिपोर्ट अपेक्षित है।

अतः उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत आपकी ओर प्रेषित की जावेगी।

परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, इन्दौर

प्रतिलिपि :

- कलेक्टर, [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भा.रा.रा.प्रा., भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- [illegible] विभाग (रा.रा.) संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।